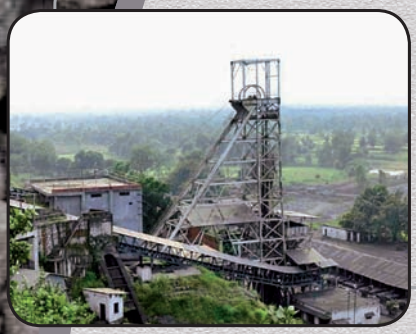

मॉयल लिमिटेड

[पूर्व नाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड]

49वीं
वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

इस्पात को शक्तिशाली बनायें...

लक्ष्य, मिशन एवं उद्देश्य

लक्ष्य

- उपलब्ध कुशलता / प्रतिभा का उपयोग एवं उसके उन्न्यन के माध्यम से विश्व की उत्तम मैंगनीज खनन कंपनियों में से एक बनना !
- संयुक्त उद्यम/तकनीकी स्थानांतरण के द्वारा मुल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी संभावित क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना !

उद्देश्य

- भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाएं रखना ।
- पर्याप्त अधिशेषों की उत्पत्ति करना तथा संतोषजनक रूप से पणधारियों का लाभांश सुनिश्चित करना ।
- सभी स्तरों पर मैंगनीज अयस्क तथा संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा गुणवत्ता पूर्ण सामग्री एवं सेवाएं अविलम्ब प्रदान कर ग्राहकों के समाधान में वृद्धि करना ।
- निम्न एवं मध्यम श्रेणी अयस्क के परिष्करण एवं मूल्यवर्धन के द्वारा वृद्धि करने हेतु खनन एवं उन्नयन प्रणाली का अनुसंधान एवं विकास के माध्यम एवं नई प्रोद्योगिकी द्वारा विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण करना ।
- (क) उत्पादकता में सुधार करने, क्षमता की पूर्ण उपयोगिता एवं लागत दक्षता हासिल करने के लिए मानव एवं वस्तुगत संसाधन दोनों का इष्टतम उपयोग करना !

  (ख) फैरो मैंगनीज संयंत्र के लिए हर संभव सस्ते लागत की प्रभावी बिजली सेवाओं की खोज करना ।
- हमारे खनन क्षेत्र को स्वच्छ, हरा-भरा तथा पर्यावरण-मित्र बनाना !
- सुरक्षा उपायों में और सुधार करके शून्य दुर्घटना दर हासिल करने के प्रयास करना !
- उद्योग से जुड़े कर्मचारियों तथा अन्य सम्बद्ध पणधारियों का ऊँचा जीवन स्तर सुनिश्चित करना !

विषय सूची

निष्पादन - एक दृष्टि में 3

अध्यक्ष का वक्तव्य 5

अनुलग्नक के साथ निदेशक की रिपोर्ट 7

नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां 38

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 39

वार्षिक लेखा

तुलन पत्र 42

लाभ हानि लेखा 43

लेखा की अनुसूचियां एवं अनुलग्नक 45

तुलन पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा 63

सदस्यों को महत्वपूर्ण संसूचना

कंपनियों द्वारा पेपर रहित अनुपालन की अनुमति के द्वारा निगमित मामलों के मंत्रालय ने ''निगमित अधिशासन में नई पहल'' की है तथा परिपत्र जारी कर कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ सूचना / दस्तावेज ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेजे जा सकते है। सरकार के इस नई पहल को पूरी तरह से सहायता करने के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनके संबंधी डिपॉजटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजटरी के पास इलेक्ट्रानिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। भौतिकी रूप से अंशधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे मॉयल लिमिटेड या हमारे आर एण्ड टी एजेंट (मेसर्स बीग शेअर सर्विसेस प्रा. लि.)के पास पंजीकृत करें ताकि कंपनी प्रिंटेड कॉपी के बदले ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भेज सके।

निदेशक मंडल

श्री के. जे. सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

डॉ. दलिप सिंह

श्री ए. एम. ख़ान

श्री एस. के. मिश्रा

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. सुबीर के भट्टाचार्या

श्री विजय काले

डॉ. मधु विज

श्री संजीव नारायण

श्री एच. सी. डिसोडिया

श्री बाल किशन गुप्ता

डॉ. डी. डी. कौशिक

कार्यकारी निदेशक

श्री एम.ए.वी. गौतम
निदेशक (वित्त)

श्री ए. के. मेहरा
निदेशक (वाणिज्य)

श्री जी. पी. कुंदरगी
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

निष्पादन - एक दृष्टि में

विवरण	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
वित्तीय (रूपये लाख)					
बिक्री	**114531.23**	97232.72	128484.06	97335.83	41762.99
अन्य आय	**14527.56**	12992.22	12314.68	5668.47	3419.26
कुल आय	**129058.79**	110224.94	140798.74	103004.30	45182.25
सकल पडता	**91266.35**	73209.27	103142.25	75098.44	21020.78
कर पूर्व लाभ	**88015.18**	70679.41	100675.67	73490.79	20114.58
कर पश्चात लाभ	**58805.58**	46634.71	66379.33	47981.77	13420.75
लाभांश	**11760.00**	9408.00	13300.00	9660.00	2800.00
अंश पूंजी	**16800.00**	16800.00	2800.00	2800.00	2800.00
आरक्षण एवं अधिशेष	**196029.49**	150937.10	129287.22	78468.22	43348.50
कर्ज	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल खंड	**39646.13**	35702.66	34199.97	30247.57	17151.97
कार्यरत पूंजी	**189281.25**	147127.32	111817.20	63200.54	34285.38
नियोजित पूंजी	**209876.26**	166781.37	132380.87	82088.42	41894.00
नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	**41.94**	42.38	76.05	89.53	48.01
बिक्रीपर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	**76.85**	72.69	78.36	75.50	48.16
इक्वीटी अनुपात पर कर्ज	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेअर पर आय - रूपये	**35.00**	27.76	2370.69	1713.63	479.31
शुद्ध संपत्ति	**211849.98**	167737.10	132087.22	81268.22	45763.59
राजकोष में योगदान					
आय कर	**30343.08**	24611.61	34122.93	24112.29	6035.41
लाभांश कर	**1953.19**	1576.83	2260.33	1641.72	409.33
बिक्री कर	**2837.12**	2254.81	3072.00	2925.83	1524.00
रॉयल्टी एवं उपकर	**4349.81**	3469.42	3500.34	2688.17	1148.88
उत्पाद शुल्क	**534.39**	293.26	464.00	763.49	381.85
एम.पी.रोड उपकर	**2452.10**	1848.33	2511.12	2802.71	0.00
कुल	**42469.69**	34054.26	45930.72	34934.21	9499.47
भौतिकीय उत्पादन					
मैंगनीज अयस्क(लाख टन)	**11.51**	10.93	11.75	13.65	10.47
फेरो श्रेणी(लाख टन)	**5.19**	5.95	6.31	6.44	6.06
ई.एम.डी.(टन)	**805.00**	1150.00	1240.00	1122.00	1312.00
फेरो मैंगनीज(टन)	**9081.00**	9555.00	10120.00	11130.00	10200.00
प्रति मानव पाली (ओएमएस/टन)	**0.78**	0.73	0.77	0.88	0.66

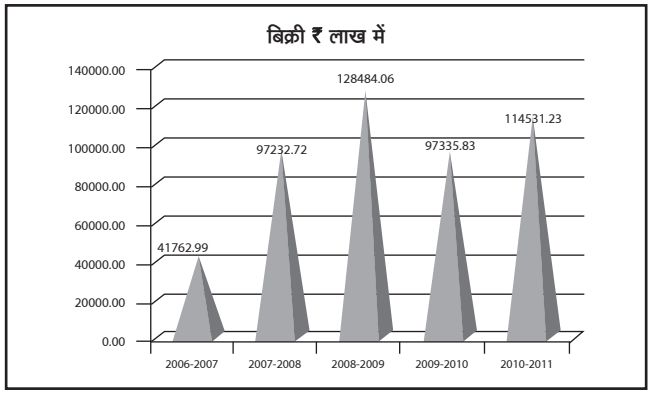
बिक्री ₹ लाख में
140000.00
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
41762.99
97232.72
128484.06
97335.83
114531.23
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

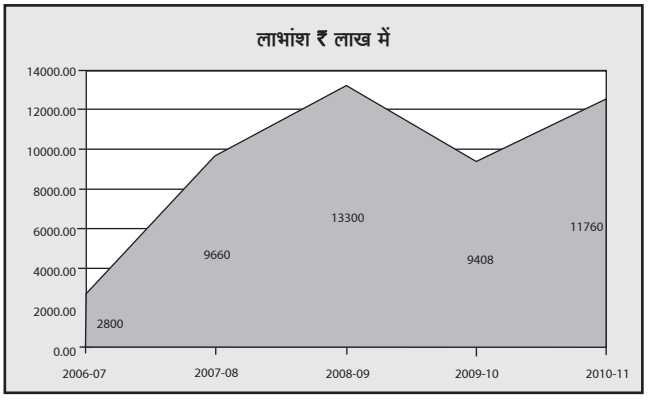
लाभांश ₹ लाख में
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
2800
9660
13300
9408
11760
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

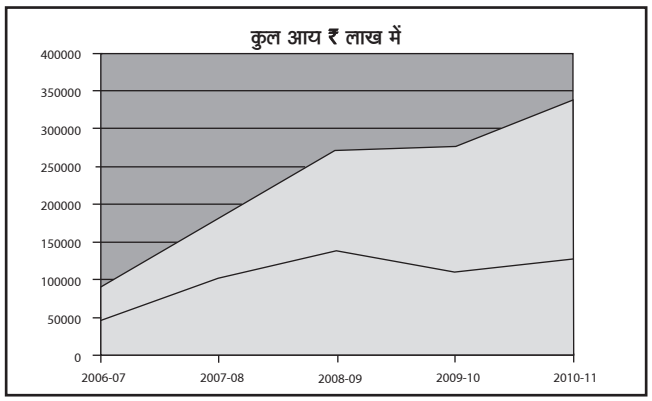
कुल आय ₹ लाख में
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

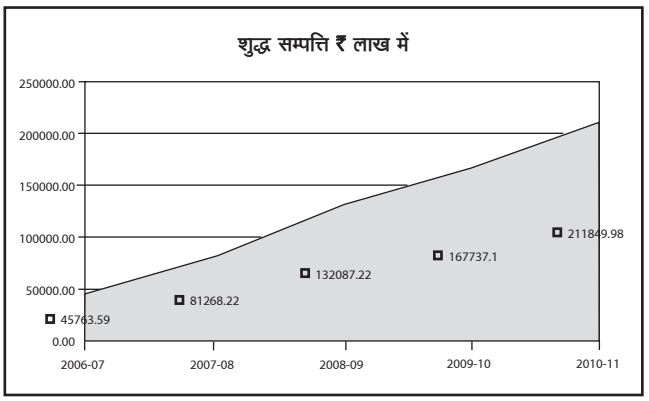
शुद्ध सम्पत्ति ₹ लाख में
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
45763.59
81268.22
132087.22
167737.1
211849.98
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

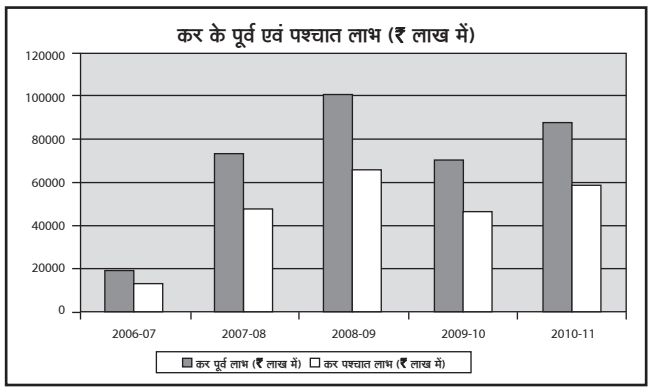
कर के पूर्व एवं पश्चात लाभ (₹ लाख में)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
कर पूर्व लाभ (₹ लाख में)
कर पश्चात लाभ (₹ लाख में)

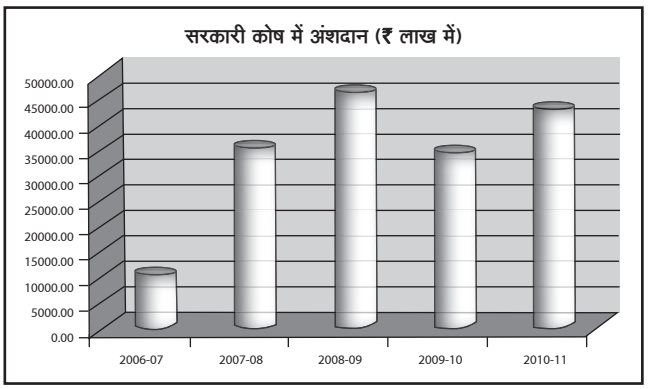
सरकारी कोष में अंशदान (₹ लाख में)
50000.00
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

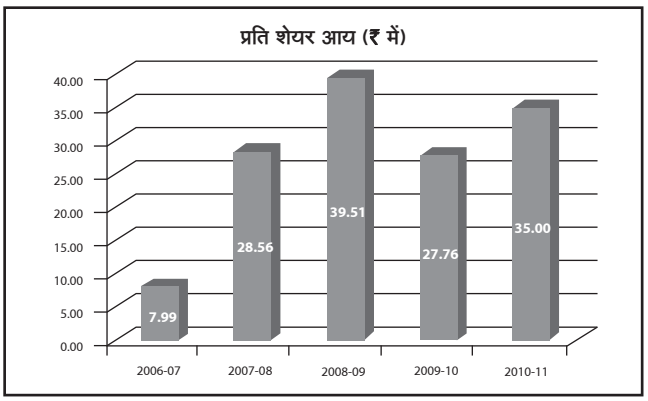
प्रति शेयर आय (₹ में)
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
7.99
28.56
39.51
27.76
35.00
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

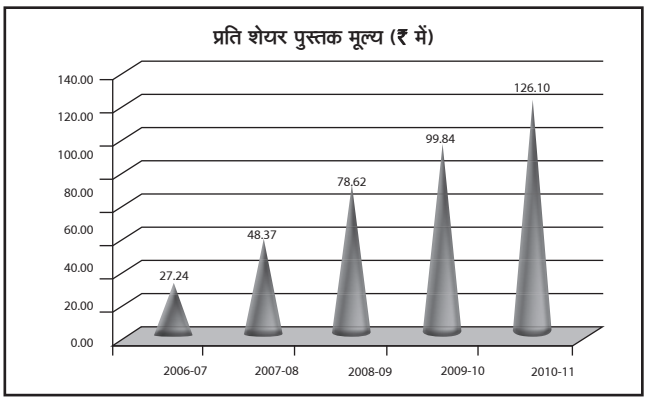
प्रति शेयर पुस्तक मूल्य (₹ में)
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
27.24
48.37
78.62
99.84
126.10
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

अध्यक्ष का वक्तव्य

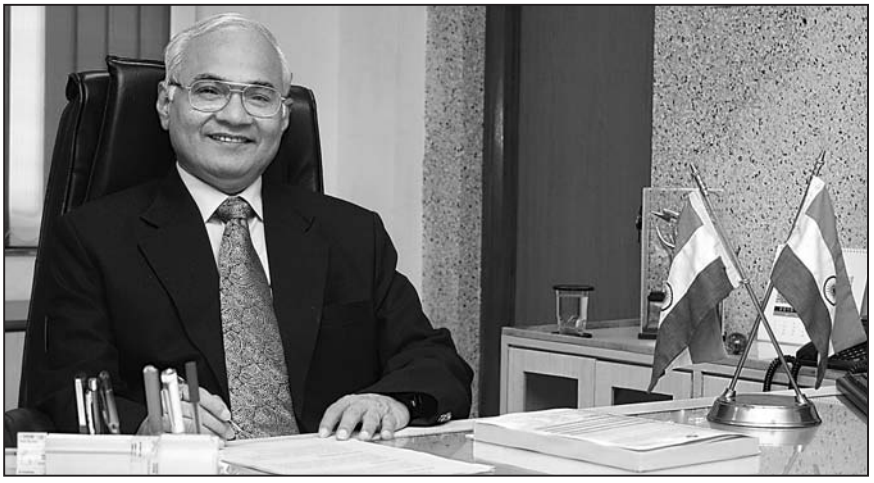

प्रिय शेयर धारकों,

कंपनी के सूचीबद्ध होने के पश्चात पहली बार, आपकी कंपनी की 49 वीं वार्षिक सर्वसाधरण सभा में,आपसे संवाद करते हुए तथा वित्त वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्याधिक गौरव एवं हर्ष हो रहा है।

जैसे हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 15 दिसम्बर 2010 को आपकी कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किया गया। मुझे यह उल्लेख करते हुए अत्याधिक खुशी हो रही है कि खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के द्वारा कंपनी के आईपीओ को 56 गुणा अधिक प्रतिसाद प्राप्त हुआ। मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से उन सभी निवेशकों/अंशधारकों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कंपनी में अपना विश्वास रखते हुए आईपीओ को भारी सफलता दिलाई।

मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने प्रचालन एवं वित्तीय मामलों में प्रभावशाली ढंग से कार्य निष्पादन किया है। आपकी कंपनी ने गत् वर्ष के 10.93 लाख टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 11.50 लाख टन विविध श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है। इसी प्रकार गत् वर्ष 969.39 करोड रूपये के कारोबार की तुलना में इस वर्ष 1139.97 करोड रूपये का रिकार्ड बिक्री कारोबार किया है। आपकी कंपनी ने 880.15 करोड रूपये कर पूर्व लाभ एवं 588.05 करोड रूपये कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

आपकी कंपनी ने माह मार्च 2011 में 25% अर्थात रूपये 2.50 प्रति इक्वीटी शेअर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया है तथा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल 45% अर्थात रूपये 4.50 प्रति इक्वीटी शेअर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2010-11 का कुल लाभांश 7.00 रूपये प्रति इक्वीटी शेअर निकाला गया है जबकी पिछले वर्ष यह रूपये 5.60 था।

आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक व्यवहार की दिशा में, अपनी सतत वचनबद्धता के साथ, आंतरिक और बाहरी पणधारियों एवं समाज के आर्थिक विकास तथा उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार में भारी योगदान दिया है। राष्ट्र के जिम्मेदार निगमित नागरीक के रूप में आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की विभिन्न गतिविधियों के लिए 5.75 करोड रूपये खर्च किये। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रस्तावित निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 9.50 करोड रूपये का प्रावधान किया है। आपकी कंपनी ने, कंपनी की खदानों में तथा आसपास के क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रस्ते तथा स्कुल का निर्माण /पुर्ननिर्माण, जलपूर्ति सुविधा, परिक्षेत्र विकास, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि, रोजगार के अवसर का विकास इत्यादि अनेक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य हाथ में लिए हैं।

आपकी कंपनी, निगमित अधिशासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने का सदैव प्रयास करती है। इन्टीग्रीटी पॅक्ट, आचरण संहिता का अंगीकार तथा सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण ढांचे से कंपनी के व्यापार व्यवहार की पारदर्शिता में अतिरिक्त योगदान प्राप्त हुआ है। मॉयल में सरकारी दिशा निर्देशों तथा लिस्टींग समझौते का अनुपालन किया जाता है।

आपकी कंपनी, सरकार के साथ प्रतिवर्ष सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है तथा पिछले 15 वर्षो से लगातार उत्कृष्ट रेटींग प्राप्त करती आ रही है। उसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य करने के लिए राष्ट्रीय /क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त होते आ रहे है। विश्व की बडी एवं उत्तम मैंगनीज अयस्क खनन कंपनियों में से एक बनने की दृष्टि के साथ हम वर्ष 2020 तक के लिए एक निगमित

योजना बनाने पर काम कर रहे हैं। दीर्घकालिन योजना, एक मजबूत तुलना पत्र के साथ वित्तीय स्थायीत्व बनाए रखना, उत्तम नगद प्रवाह तथा लागत एवं उत्पादकता के कार्यो में ध्यान केन्द्रीत करना, हमारे प्रमुख निर्णयों को दर्शाता है।

पिछले वर्ष के दौरान, विश्व अर्थ व्यवस्था नें उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। जिसके परिणाम स्वरूप, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उत्पादकों ने अपनी क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है। इस्पात उत्पादन के लिए मैंगनीज अयस्क अत्याधिक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इस्पात उद्योग के कार्य निष्पादन के साथ ही मैंगनीज उद्योग का कार्य निष्पादन जुडा हुआ है। वर्ल्ड स्टील असोसिएशन के द्वारा की गई अनुमान के अनुसार भारत के इस्पात खपत में वर्ष 2011 तक 13.3% तथा वर्ष 2012 तक 14.3% की वृद्धि अपेक्षित है।

भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 8% - 9% के मध्य प्रक्षेपित करने तथा उनकी ढांचागत विकास नीति के परिणाम स्वरूप, और संरचना विकास के लिए इस्पात प्रमुख घटक होने के कारण, आने वाले समय में इस्पात की मांग में वृद्धि होने की अपेक्षा है, जिसके साथ ही मैंगनीज अयस्क के मांग में भी बढोतरी होगी।

यद्यपि भारत विश्व की मजबूत अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी कुछ चिंता के क्षेत्र है। हाल ही के दिनों में मैंगनीज अयस्क उद्योग में मैंगनीज अयस्क के मूल्य में भारी उतार देखा गया है। इसका मुख्य कारण घरेलू बाजार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल का भारी स्टॉक खडा हो जाना है। पिछले वर्ष के लगभग 35 मिलिय टन उत्पादन की तुलना में मैंगनीज अयस्क का वैश्विक उत्पादन लगभग 47 मिलियन टन तक पहुंच गया। हमारे देश में भी मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 2.24 मिलियन टन से 2.82 मिलियन टन तक पहुंच गया तथा इस अधिक मात्रा में मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता ने कीमत पर दबाव पैदा किया। इसके अलावा, इस्पात का वैश्विक उत्पादन लगभग 16% बनाम भारत 6% से बढ गया जबकि मैंगनीज अयस्क का वैश्विक उत्पादन 33% बनाम भारत 22% से बढ गया। इसके बावजूद हमारा विचार यह है कि मैंगनीज अयस्क की मांग चक्रीय प्रवृत्ति होने के कारण तथा मांग में वृद्धि एवं इस्पात के उत्पादन के कारण मैंगनीज अयस्क की मांग में भी सुधार होगा। आपकी कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 1.2 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आपकी कंपनी, भारत वर्ष में मैंगनीज अयस्क की सबसे बडी उत्पादक कंपनी है। आपकी कंपनी लगभग 69.5 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क के भंडार एवं स्त्रोत के साथ 17% प्रमाणित भंडार धारित करती है। भारत की इस्पात मांग में वृद्धि, उसकी प्रभाव पूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी अयस्क भंडार, मध्य क्षेत्र में अवस्थित खदानें, कम उत्पादन लागत एवं ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध के कारण वह पूंजी बनाने की अच्छी स्थिति में है।

आपकी कंपनी ने सेल एवं आरआईएनएल के साथ फेरो अलाए उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम प्रारंभ किया जिसके कारण उसे मैंगनीज अयस्क उत्पादन के लिए तैयार बाजार मिलेगा। आपकी कंपनी ने उसकी वर्तमान खदानों के विकास के लिए भारी निवेश की भी योजना बनाई है। जिससे भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में आगे वृद्धि होगी। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर एवं भंडारा जिलों में 814.71 हेक्टर भूमि का क्षेत्र आरक्षित किया है तथा कंपनी ने 765.61 हेक्टर भूमि के लिए प्रास्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु आवेदन कर दिया है। इस परियोजना से मैंगनीज अयस्क की भविष्य की मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन में योगदान मिलेगा तथा 2020 तक 2.2 मिलियन टन परियोजित उत्पादन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। आपकी कंपनी देश के बाहर भी उत्तम खनन संपत्ति की खोज कर रही है। आपकी कंपनी सशक्त संचित नीधि के साथ कर्जमुक्त कंपनी है जिस कारण आने वाले समय में विभिन्न ब्राउन फिल्ड के साथ साथ ग्रीन फिल्ड में भी उसे अवसर प्राप्त है।

राष्ट्र के हित में, पवन उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत के माध्यम से, स्वच्छ एवं हरित उर्जा के निर्माण के लिए, आपकी कंपनी ने सीडीएम (क्लीन डेवलपमेंट मेक्रॅानिझम) परियोजना के रूप में मध्यप्रदेश के देवास के निकट 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा संयंत्र स्थापित किया है। जुलाई 2011 में 15.2 मेगावाट पवन उर्जा संयंत्र के लिए इस परियोजना को यूएनएफसीसीसी (यूनाईटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेशंस ऑन क्लाईमेंट चेंज) के अंतर्गत पंजीकृत किया है जो 27149 टन कार्बन डायऑक्साईड का उत्तर्जन की बचत करेगी जो 27149 सर्टीफाईड एमीशन रिडक्शन (सीईआर) के बराबर है। सीईआर का खुले बाजार में व्यापार किया जा सकता है तथा उर्जा के चालू निर्माण दर के हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि आने वाले 10 वर्षो में यह लगभग 2 करोड रूपये का राजस्व निर्माण करेगा।

अंत में मैं, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार, सम्मानित ग्राहक एवं पूर्तिकर्ता, सभी मायलियन्स द्वारा, कंपनी के कार्य निष्पादन में दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिए, पूरे गर्म जोशी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आगे भी कंपनी को और अधिक उंचा उठाने एवं अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए उनके लगातार सहयोग एवं वचनबद्धता की आशा करता हूँ।

हस्ता /-

स्थानः नागपुर
19 अगस्त 2011

के. जे. सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

अंशधारियों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

कंपनी सूचीबद्ध होने के पश्चात पहली बार, निदेशक मण्डल की ओर से, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट एव अंकेक्षित लेखा जोखा के साथ कंपनी के कार्य निष्पादन पर 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम :

वर्ष 2010-11 तथा गत वर्ष का वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है :-

₹ करोड में

	2010-11	2009-10
बिक्री टर्न ओवर	**1139.97**	969.39
अन्य आय	**145.28**	129.92
कुल आय	**1335.09**	1087.85
ब्याज पूर्व लाभ मूल्य ह्रास एवं कर (ईबीआईडीटीए)	**912.66**	732.09
मूल्य ह्रास	**32.51**	25.30
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**880.15**	706.79
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	**292.10**	240.44
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**588.05**	466.35
सामान्य आरक्षण को स्थानांतरण	**450.00**	357.00

वित्तीय अनुपात कुंजी

	2010-11	2009-10
बिक्री करोबार का ईबीआईडीटीए (%)	**80.06**	75.52
शुद्ध मूल्य पर पीएटी (%)	**27.76**	27.80
औसत नियोजित पूंजी पर ईबीआईडीटीए (%)	**48.58**	48.94
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य रूपये प्रति 10)	**35.00**	27.76
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	**126.10**	99.84

विनिवेश/प्रारंभिक पब्लिक ऑफर(आईपीओ)

आपके निदेशकों को यह उल्लेख करने में गर्व महसूस हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आईपीओ को भारी सफलता प्राप्त हुई जिसके लिए हम पुनः एक बार निवेशक/अंशधारकों को धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी में अपना विश्वास व्यक्त किया। यह आईपीओ की सफलता कंपनी की आंतरिक शक्ति एवं उज्जवल भविष्य को प्रतिबिंबित करती है। दिनांक 15 दिसम्बर 2010 को मॉयल को नेशनल स्टाक एक्सचेंज एवं बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी में से, आईपीओ में भारत सरकार ने 10%, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश सरकारों ने प्रत्येकी 5% विनिवेश किया था। कुल 33600000 के इक्विटी शेअर में से 2% इक्विटी शेअर अर्थात 672000, पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गये थे। सरकार की स्वीकृति अनुसार सभी व्यक्तिगत निवेशकों को 5% की छूट दी गई है। यहां उल्लेख करते हुए गर्व महसूस होता है कि मॉयल के आईपीओ को संस्था एवं एचएनआय खंड की ओर से लगभग 56 गुणा भारी योगदान प्राप्त हुआ। इस इशु के द्वारा भारत सरकार ने 618.76 करोड रूपये तथा महाराष्ट्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार प्रत्येक ने 309.38 करोड रूपये अर्जित किये।

लाभांश :

मॉयल, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा लाभांश के भुगतान के संदर्भ में जारी किये गए दिशा निर्देशों का बराबर पालन करती आ रही है। वर्ष के दौरान माह फरवरी 2011 में ऽ 25% अर्थात प्रति इक्विटी शेअर पर 2.50 रूपये की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने ऽ 45% अर्थात प्रति इक्विटी शेअर पर 4.50 रूपये की दर से अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2010-11 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेअर पर 7.00 रूपये निकाला गया है जो पिछले वर्ष 5.60 था। वर्ष के लिए कुल लाभांश 70% अर्थात 117.60 करोड रूपये होता है (पिछले वर्ष 56% अर्थात 94.00 करोड रूपये)।

वित्तीय निष्पादन :

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 969.39 करोड रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 1139.97 करोड रूपये का कारोबार दर्ज किया है। इस वर्ष के लिए 880.15 करोड रूपये कर पूर्व लाभ अर्जित किया है जो पिछेले वर्ष की तुलना में 24.52% अधिक है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 466.35 करोड रूपये की तुलना में 588.05 करोड रूपये कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

बिक्री :

आपके निदेशकों को यह उल्लेख करते हुए गर्व होता हैं कि पिछले वर्ष 910 करोड रूपये की बिक्री की तुलना में 17.47 % वृद्धि दर्ज करते हुए 1069 करोड रूपये के मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री की गई। 10.25 लाख टन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 9.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री दर्ज की तथा लगभग 96% उपलब्धि प्राप्त की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान, बनाए गए उत्पाद अर्थात फेरो मैंगनीज, ई.एम.डी.,

फेरो मैंगनीज स्लॅग की बिक्री 67.74 करोड रूपये रही जो वर्ष 2009-10 के दौरान 52.93 करोड रूपये थी। इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साईट (ई.एम.डी.) की 911 टन की बिक्री हुई जबकि लक्ष्य 1000 टन था अर्थात लक्ष्य की लगभग 91% की उपलब्धि हुई। फेरो मैंगनीज की बिक्री 6903 टन की हुई जबकि लक्ष्य 9000 टन था अर्थात उत्पादन के लक्ष्यों की लगभग 77% की उपलब्धि हुई। जबकि पिछले वर्ष के 10911 टन की तुलना में 14339 टन फेरो मैंगनीज स्लॅग की बिक्री हुई। मूल्य के मात्रा में, पिछले वर्ष के 969.39 करोड रूपये (9.31 करोड रूपये की बिजली की बिक्री का समावेश करते हुए) वर्ष 2010-11 के दौरान 1139.96 करोड रूपये (8.32 करोड रूपये की बिजली की बिक्री का समावेश करते हुए) का कुल शुद्ध बिक्री कारोबार बिक्री में 17-60% की दर्ज करते हुए किया गया। प्रभावी मूल्य एवं विपणन नीति तथा उत्तम बिक्री कार्यान्वयन के कारण बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई

उत्पादन एवं उत्पादकताः

कंपनी में पिछले वर्ष के 10,93,363 टन उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 11,50,742 टन उत्पादन प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 1000 टन उत्पादन लक्ष्य की तुलना में इलैक्ट्रीलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (ई. एम. डी.) का उत्पादन 805 टन था (गत वर्ष 1150 टन)। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान ई.एम.डी.संयंत्र के वार्षिक रखरखाव कार्य के लिए 3 माह के लिए बंद रहा। आगे मांग की कमी, कम निकासी तथा अत्यधिक मात्रा में माल के स्टॉक के कारण ई.एम.डी. का उत्पादन कम हुआ। 9000 टन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में फैरो मैंगनीज का उत्पादन 9081 टन रहा (गत वर्ष 9555 टन) हुआ। कंपनी की उत्पादकता अति उत्तम रही। 0.500 टन लक्ष्य की तुलना में प्रति मानव पाली 0.779 रही (गत वर्ष 0.728 टन)।

पिछले वर्ष 31.3.2010 को 20.36 करोड रूपये के 0.67 लाख टन बंद भंडार के तुलना में 31.3.2011 को 66.82 करोड रूपये का 1.91 लाख टन मैंगनीज अयस्क का बंद भंडार कम्पनी के पास था। कंपनी के पास पिछले वर्ष दिनांक 31.3.2010 के 16.32 करोड रूपये का 4444 टन फेरो मैंगनीज की तुलना में 31.3.2011 को 19.53 करोड रूपये का 6622 टन फेरो मैंगनीज का बंद भंडार था। वर्ष के अंतिम तिमाही में मुख्यतः कम निकासी के कारण बंद भंडार में वृद्धि हुई है। 31-3-2011 को ई.एम.डी. का बंद भंडार 590 टन (गत वर्ष 696 टन) था जिसका मूल्य 4.04 करोड रूपये था।

अन्य आयः

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान भी कंपनी ने लगातार अपनी दूरदर्शि नगदी योजना को जारी रखा तथा अपनी अधिशेष नीधि को सावधी योजना में नियोजित किया तथा 133.93 करोड रूपये (पिछले वर्ष 124.20 करोड रूपये) ब्याज के रूप में अर्जित किये।

पूंजीगत /मूल्यवर्धित परियोजनाएं :

- **गुमगांव खान में वर्टिकल शाप्ट की खुदाई :**

  गुमगांव खान की अयस्क पट्टे में बडे रिजर्व के साथ उच्च श्रेणी मॅगनीज अयस्क है। इस अयस्क के दोहन हेतु इस खान पर वर्टिकल शाफ्ट स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना से उत्पादन तथा उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार होगा। 190 मीटर तक शाफ्ट सिंकिंग तथा लाईनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है तथा अक्टूबंर 2011 तक पूर्ण होना अपेक्षित है।

- **बालाघाट खान वर्टिकल शाफ्ट तथा होम्स शाफ्ट का गहरीकरणः**

  वर्तमान उत्पादन स्तर को कायम रखने तथा आने वाले वर्ष में बडी हुई मांग को पूर्ण करने के लिए, उसमें वृद्धि करने हेतु, कंपनी ने बालाघाट खान वर्टिकल शाप्ट को 14 1 /2 लेवल पर लोडिंग स्टेशन के साथ 10 लेवल से आगे 15 लेवल तक गहरीकरण करने का कार्य हाथ में लिया। शाफ्ट सिंकिंग एवं लाईनिंग का काम 157 मीटर का पूर्ण हो चुका है। परियोजना जुलाई 2011 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। कंपनी, उत्पादन में सुधार करने हेतु, होम्स शाफ्ट के 12 लेवल से 16 1/2 लेवल (135 मीटर) तक गहरीकरण का कार्य करने की प्रक्रिया में भी है।

- **बेलडोंगरी खान वर्टिकल शाप्ट का गहरीकरणः**

  बेलडोंगरी खान का उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए वर्ष 2007 में वर्टिकल शाफ्ट को और आगे 45 मीटर गहरा करने का कार्य हाथ में लिया गया था। यह कार्य जून 2010 में पूर्ण हो चुका है।

- **मनसर खान वर्टिकल शाप्ट सिंकिंगः**

  वर्तमान उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने हेतु कंपनी ने 150 मीटर गहराई का वर्टिकल शाप्ट सिकिंग का कार्य का प्रारंभ किया था। वर्टिकल शाप्ट सिंकिंग का कार्य मई 2010 में प्रारंभ किया गया था तथा उसे 48 माह की कालावधि में पूर्ण होना था। 150 मीटर सिकिंग लक्ष्य की तुलना में 42 मीटर सिंकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **उकवा खान वर्टिकल शाप्ट सिंकिंगः**

  उकवा खान में विशाल भंडार के साथ उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क का भंडार है। इस भंडार का दोहन करने हेतु वर्टिकल शाप्ट की सिंकिंग की जा रही है। इस शाप्ट की गहराई 134 मीटर होगी तथा 7.5 मीटर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य का आरंभ फरवरी 2011 में किया गया था तथा इसे 42 माह में पूर्ण किया जाना है।

- **संयुक्त उद्यम :**

i) **सेल एवं मॉयल फेरो अलायस प्रा. लि.:** आपकी कंपनी ने सेल के साथ संयुक्त उद्यम (50:50)के तहत छत्तीसगढ राज्य में भिलाई के निकट नंदीनी में 31000 टन फेरो मैंगनीज एवं 75000 टन सिलिको मैंगनीज का 1.06 लाख टीपीए क्षमता का फेरो अलाईस संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी ने मुख्य भट्टी के लिए निविदा जारी किया है तथा प्राप्त हुए निविदाएं विचाराधीन है। इस संयंत्र को बिजली पूर्ति हेतु ग्रिड कनेक्शन प्राप्त करने का कार्य भी विचाराधीन है।

ii) **रीनमॉयल फेरो अलायस प्रा. लि.:** उसी तरह आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम (50:50)के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले के बोबीलि में दूसरा अन्य 20000 टन फेरो मैंगनीज एवं 37500 टन सिलिको मैंगनीज का 57500 टीपीए क्षमता का फेरो अलाईस संयंत्र स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है। विभिन्न कार्य जैसे भू-तकनीकी अन्वेषण, कार्य स्थल का सर्वेक्षण एवं परिलेखन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने टर्म्स ऑफ रिफरेंस दिया है तथा जन सुनवाई त्याग दी है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को जल, बिजली, अनुज्ञापत्र आदि भी देना मंजूर किया है। संयुक्त उद्यम कम्पनी ने मुख्य भट्टी के लिए निविदा जाहिर किया हैं तथा प्राप्त हुई निविदाएं विचाराधीन है।

अनुसंधान एवं विकास :

उद्योग में बढती हुई प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर, मैंगनीज अयस्क स्त्रोतों का प्रभावशाली ढंग से दोहन करने हेतु अनुसंधान एवं विकास के कार्य अत्यावश्यक है। प्रत्येक परिवर्तन के पथ पर चुनौतियों का सामना करना होता है। ऐसी चुनौतिओं का प्रभावशाली ढंग से सामना करने हेतु आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों का अनुसंधान एवं विकास हेतु चयन किया है :-

- भू-गर्भ खदानों के विकास एवं स्टोपिंग प्रचालन हेतु लोड हॉल एवं डम्प मशीन (एलएचडी) टायर प्रारंभ करना।
- सुरक्षा एवं उत्पादकता में सुधार हेतु स्टोप डिझाइन को अनुकूल बनाना।
- कान्द्री खान में भू-गर्भ खनन प्रचालन हेतु जलीय - भू वैज्ञानिक अध्ययन करना।
- तेज खनन प्रचालन के लिए लेवलों के अन्तराल (वर्तमान 30 मीटर से 45 मीटर) में वृद्धि करना।
- बालाघाट खान पर 650 मीटर के लिए भू-गर्भ खनन हेतु, स्वतंत्र उच्च गति शाफ्ट सिंकिंग प्रचालन, परियोजना की सुरक्षा हेतु कार्य स्थल पर हाईड्रोलॉजीकल अध्ययन एवं गहन मॉनीटर का कार्य चल रहा है।
- कान्द्री, उकवा एवं गुमगांव खान पर उर्जा बचत के लिए पी. एल.सी. चलित काम्प्रेशर स्थापित करना तथा वेस्ट डम्प का पुर्नउपयोग के लिए अध्ययन एवं अन्य पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए अन्वेषण का कार्य।
- विश्वेश्वरैय्या नैशनल इंस्टीट्यूट टेकनालॉजी, नागपुर के साथ भू-गर्भ खनन प्रचालन के लिए सपिंडित हाईड्रोलिक स्टोईंग प्रचालन के लिए ओवर बर्डन सामग्री के उपयोग पर अनुसंधानात्मक अध्ययन।
- भू-गर्भ खदानों के लिए पर्यायी खनन प्रणाली एवं सपोर्ट सिस्टम का विकास करना।
- बालाघाट खान पर एकीकृत मैंगनीज बेनीफिसएशन संयंत्र एवं डम्प से फेके गए माल से दुबारा मैंगनीज अयस्क प्राप्त करने हेतु 100000 टीपीए क्षमता का अतिरिक्त स्वदेश विकसित आयएमबी संयंत्र स्थापित करना।
- ग्रॅविटि मैंगनीटीक एवं हाईड्रोस्टेटीक वेधन मशीन के द्वारा गवेषण के आधुनिक तकनीकी से भूभौतिकीय जैसे गवेषण करना।
- ओपन कास्ट खदानों में उडने वाले पत्थर एवं भू कंपन के लिए नियंत्रित विस्फोट तकनीकी का अध्ययन।
- मैंगनीज अयस्क के सही सही एवं शीघ्र विश्लेषण हेतु XRF स्प्रेक्ट्रोफोटो मीटर के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।
- इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स, धनबाद के साथ वेंटीलेशन पर अध्ययन।
- टोटल स्टेशन लागू करना -खदानों के सही सही सर्वेक्षण किये जाने हेतु उच्च परिशुद्धता के साथ उच्च गति सर्वेक्षण उपकरण।

ऊर्जा संवर्धन :

मॉयल ने उत्पादक क्षेत्रों में उर्जा की खपत कम करने के लिए नई तकनीकी लागू करने के साथ साथ पूर्णरूप से उर्जा क्षमता में सुधार लाने हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा उर्जा संवर्धन के पूंजीगत मद में नीधि आबंटित करने की नीति बनाई है।

मॉयल उर्जा संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है जिसमें वर्तमान उपकरणों के क्षमता में परम्परागत उपायों द्वारा सुधार करने के साथ साथ राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण नीति के समकक्ष नई तकनीकी लागू करना शामिल है। वर्ष 2010-11 के दौरान

कंपनी ने अपनी विभिन्न खदानों पर वीएफडी (VFD) पॅनल के साथ, तीन, 1000 सीएफएम (CFM) स्क्रू एयर काम्प्रेशर स्थापित एवं चालू किये है जो संबंधित खदानों पर काम्प्रेशर के प्रचालन में बिजली बचत में 5% से 10 % योगदान देंगे।

भूगर्भ खदानों में जल पम्प द्वारा ईष्टतम उर्जा खपत होने के लिए पम्प का आकार के साथ साथ पम्पींग लेवल की डिझाईन की गई है। प्रोद्योगिकी मोर्चे पर पम्प एवं कांप्रेसर जिनका कई घण्टे लगातार उपयोग किया जाता है उन में परिवर्तनशील संचालन एवं संचार व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, जिससे जब उपकरणों का कार्य समाप्त हो तो उसे तुरन्त बन्द किया जा सके।

अपरम्परागत उर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए मॉयल ने मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले के नागदा पर्वत माला पर 4.8 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म तथा रतेडी पर्वत माला पर 15.2 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है, जिसके द्वारा 310.3 लाख यूनिट बिजली निर्माण की गई है। बिजली खपत निम्नानुसार है :-

प्रति टन बचत (किलो वाट में)	2010-11	2009-10
मैंगनीज ओर	17.94	17.64
ईएमडी	2777.0	2387.0
फेरो मैंगनीज	3059.0	2988.0

खनन पट्टा :

दिनांक 31 मार्च 2011 को मॉयल के पास 1798.908 हेक्टर कुल खनन पट्टा क्षेत्र है जिसमें से 695.996 हेक्टर महाराष्ट्र में तथा 1102.912 हेक्टर मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिले में 814.71 हेक्टर क्षेत्र भी आरक्षित कर रखा है। मॉयल ने इस क्षेत्र के लिए प्रॉस्पेक्टींग लाईसेंस हेतु पहले ही आवेदन कर दिया है तथा अधिग्रहण के लिए कार्य प्रगति पर है।

सुरक्षा एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य :

आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीकी एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खदानों में सुरक्षा स्तरों में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- मजदूरों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण देकर सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करना।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा समिति की सभा खदानों पर नियमित तौर पर की जाती है जिसमें बारीकी से दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- दुर्घटनाओं के अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ करीबी वार्तालाप किया जाता है।

मॉयल का सुरक्षा के संबंध में रिकार्ड अति उत्कृष्ट रहा है तथा चोट की निम्न आवृत्ति दर रिकार्ड धारकों में से एक रही है। अपने उत्कृष्ट सुरक्षा रिकार्डो के लिए उसे पिछले कई वर्षो से लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हो रहे है। इस वर्ष मॉयल ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये हैं :-

- 'दीर्घतम दुर्घटना मुक्त कालावधि ' के लिए चिखला खदान को विजेता ट्राफी।
- 'न्यूनतम चोट आवृत्ति दर' के लिए डोंगरी बुजुर्ग खदान को उप विजेता ट्राफी।

वर्ष के दौरान कंपनी ने अखिल भारतीय खान बचाव प्रतिस्पर्धा (कोल एवं मेटल) 2010-11 में भाग लिया तथा रिकवरी ड्रिल (मेटल) की विजेता रही।

पर्यावरण संरक्षणः

आज के युग में इकोलॉजी संवर्धन कठिन समस्या है। जबकि विकास प्रक्रिया समुदाय के पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के साथ भी अनुकूल रहना अनिवार्य है। आपकी कंपनी ने स्थायी विकास को प्राप्त करने के लक्ष के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पहले ही संभावित कदम उठा लिए है। कंपनी अपनी खदानों एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी की विभिन्न खानों में करीब 53000 पौधों का रोपण किया गया। अब तक कुल पौधों का रोपण 17.14 लाख हो चुका है। कंपनी ने जेटरोपा के पौधे, सुखी/बंजर जमीन पर रोपण करने का काम हाथ में लिया है, जिसके बिजों का उपयोग बायोफ्यूल के उत्पादन में उपयोग किया जाएगा। यह कार्य परीक्षण के स्तर पर किया जा रहा है। पर्यावरण -मित्र उद्योग के तौर पर कंपनी ने 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा संयंत्र स्थापित किया है जिसमें से 4.8 मेगावाट बिजली की खपत कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र में की जाएगी तथा 15.2 मेगावाट बिजली एमपीईडीसीएल को बेची जाएगी।

सतर्कता :

मॉयल में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है, जो भारतीय पोलिस सेवा से है, उनके नेतृत्व में, डी.पी.ई. के दिशा निर्देशानुसार पूर्णरूपेण बहु-शाखाई विभाग है। नवनियुक्त सर्तकता कार्मिकों को सक्षम बनाने हेतु कुल 26आंतर विभाग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा आयोजित 6 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। सतर्कता विभाग की भूमिका निभाते समय, कार्पोरेट

ऑफिस नागपुर का समावेश करते हुए,सभी आस्थापन / खान/ संयंत्र / उद्यम से संबंधित मामलों पर कार्य करने एवं मामलों को निपटाने में प्र-क्रियाशीलता एवं भविष्य सूचक सतर्कता पर अत्याधिक जोर दिया जाता है।

सतर्कता विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम :-

i) मई 2010 में **आई.एस.ओ. 9001:2008** के अनुसार प्रमाणिकरण प्राप्त।

ii) प्रबंधन एवं विभाग प्रमुखों के साथ '' विजिलेंस फोकस मिटिंग'' का आयोजन किया गया। व्याप्त प्रमुख क्षेत्र :-

अ. उत्पादन

- रेलिंग एवं ट्रांसपोर्ट संविदा के मामलों में, ''समान कार्य'' के अनुभव की पूर्व योग्यता धारा को एवं उत्तम भागीदारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक दर हेतु संविदा के व्यापकप्रचार करने के लिए, युक्ति संगत बनाना।
- फाईन्स के शोधन एवं रिकार्डिंग प्रणाली में परिवर्तन।
- संभावित अनियमितता एवं छुटपूट चोरी कम करने के लिए वास्तविक एवं सही आंकडों को पंजी में दर्ज करना।
- वेन्डर्स / ठेकेदार के पंजीकरण की आवश्यकता तथा कंपनी के वेब साईट पर आन लाईन पंजीकरण की सुविधा।

ब. विपणन :

- ई-आक्शन में और अधिक श्रेणी के अयस्क का समावेश करना।
- विपणन नीति में सुधार एवं परिवर्तन लाना।

iii) संचार, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार दमन के साधन के तौर पर वेब साईट का अधिक से अधिक प्रयोग करना मॉयल वेब साईट में कालावधि / माह के दौरान ''टेंडर '' विशेषतः ''टेंडर इनक्वारीस अपलोडेड '' एवं ''टेंडर फाईनालाईज्ड'' से संबंधित क्षेत्र में संशोधन करना। मॉयल ने ''विजलेंस पेज'' भी वेब साईट में जोडा है, जो समस्त जानकारी प्रदान करता है।

iv) **अन्य प्रतिरोधक कार्य** :

- मॉयल के विभिन्न आस्थापनाओं /खदानों पर 25 अक्टूंबर 2010 से 1 नवम्बर 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- रेलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट संविदा में सतर्कता विभाग द्वारा लिए गए सुझावों का क्रियान्वयन करने के कारण काफी बचत की गई।
- इस समय के दौरान 19 काम / संविदाओं की छानबीन की गई तथा 33 जांच कार्य किये गए। एक अनुशासन -जांच की गई। प्रचालन के अलग अलग स्तरों पर काम की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने एवं उसमें पारदर्शिता लाने हेतु, समय समय पर परामर्श जारी किये गए। वर्ष के दौरान 27 शिकायतें प्राप्त हुए, विस्तृत जांच के पश्चात संबंधित प्राधिकारी को निष्कर्ष एवं निर्णय के साथ 12 मामलों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन :

हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ मॉयल ने इसके प्रभावी परिपालन हेतु प्रमुख कदम उठाए हैं।

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपने खदान इकाईयों पर भी जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किये है। निदेशक (उत्पादन एवं योजना) को अधिनियम के अंतर्गत ''अपीलीय प्राधिकारी'' के तौर पर नियुक्त /पदनामित किया है। सभी जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में दर्शाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(बी) में निर्धारित के अनुसार कंपनी, उसके कर्मचारी के संबंध में जानकारी,17 शीर्षकों में तैयार की है तथा उसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है। मॉयल आवश्यक जानकारी एवं रिर्टनस् निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर उसे अद्यतन करती रहती है।

अधिनियम का उद्देश्य एवं सही भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए भारी जागरूकता पैदा की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र द्वारा ध्यान में लाया गया है तथा उन्हें कहा गया है कि अपने रोजमर्रा के कार्य में पारदर्शिता लाए एवं सभी रिकार्ड को सही एवं सुचारू रूप से रखें। आगे, जनता के लिए, कंपनी अपने वेबसाईट में नियमित अन्तराल के पश्चात स्वमेव अधिक से अधिक जानकारी डालती है /अद्यतन भी करती है,ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों क ा कम से कम उपयोग करना पडे।

कर्मचारियों में भारी संख्या में जागरूकता पैदा करने के लिए,वर्तमान परिप्रेक्ष में,सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के खास-खास प्रावधान समझने हेतु,संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना के अधिकार

अधिनियम के अंतर्गत 50 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 48 स्वीकृत किये गए, 2 अस्वीकृत किये गए एवं 1 अपिल आर.पी. आई. के अंतर्गत मंजुर की गई तथा वर्ष के दौरान सभी का निपटारा कर दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2010-11 के दौरान 376 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें खान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में कामगारों के लिए किये गए 280 व्यावसायिक प्रशिक्षणों का समावेश है। लगभग 970 कार्यपालक एवं 1704 गैर कार्यपालक तथा 3860 कामगारों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। अर्थात समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 117861 मानव दिवस प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों पर पूर्ण किये गए तथा कुल 8934 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान समझौता ज्ञापन के रेटिंग के अनुसार 1.25 अतिउत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष की रेटिंग 2.85 थी।

श्रमिक कल्याण योजनाएं, मनोरंजन एवं चिकित्सा सुविधाएं:

आपकी कंपनी, अपने कर्मचारियों तथा साथ ही सुदूर स्थित खदानों के सन्निकट रहने वाले लोगों के भलाई के लिए कई कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ऐसी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :-

- कर्मचारियों के जीवन मान में सुधार एवं उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, खान के बहुसंख्य कर्मचारियों को पेयजल, बिजली सुविधा युक्त निवासी क्वार्टर आबंटित किये गए।
- खदानों पर अस्पतालों का निर्माण किया गया तथा आपातकाल के लिए अंबुलेंस का प्रावधान किया गया है।
- कुछ खदानों पर, जहां पर मुप्त शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे प्रायमरी पाठशालाओं को चलाने के लिए सहायता प्रदान की गई।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर खदानों पर मनोरंजन क्रियाकलापों को भी बढावा दिया जा रहा है।
- खदानों पर पर्यावरण सुरक्षा को बढावा देने के लिए तथा खान के आसपास का वातावरण धुंआ रहित एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

अनुसूचित जाती/जनजाती के लिए कल्याणकारी कदम :

31.3.2010 को कंपनी 6667 मानव बल के साथ, मॉयल एक श्रमिक बहुल संस्थान है। कुल मानव बल में से लगभग 73 % अनु.जाती/जनजाती/अन्य पिछडी जाती के लोग है जिसमें से 43.94% अनु.जा./ज.जा. के समुदाय से है। कंपनी दलित विशेषकर उन लोगों के विकास के लिए जो सुदूर स्थित खान क्षेत्र के समीप रहने वाले है उनके विकास में भी गहरी रूची ले रही है, जिसका विवरण नीचे दर्शाएअनुसार है :-

- खानों के करीब बसे गांवों को गोद लिया है तथा उन गावों में बसने वाले लोगों को पेय जल सुविधा, रास्तों का रखरखाव, समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षा एवं ईलाज किया जाता है।
- खदान क्षेत्र से जुडे हुए पाठशालाओं को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि मुहैय्या किया जा रहा है।
- महिलाओं के विकास एवं स्वःरोजगार हेतु सिलाई मशीन प्रदान की जा रही है।
- स्वःरोजगार के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- शारीरिक रूप से अंपग लोगों को स्वालम्बी बनने के लिए ति-पहीया साईकिलें प्रदान की गई।
- आदिवासी महिलाओं के विकास एवं उनका जीवन स्तर उंचा उठाने के लिए अन्य कल्याणकारी कदम जैसे सिलाई क्लासेस, प्रौढ शिक्षा वर्ग, एड्स जागृति कार्यक्रम, पोस्टर, नोटिस एवं बॅनर लगाकर अन्य कार्यक्रमों का प्रचार, महारोग जागृति कार्यक्रम आदि किया जा रहा है।
- अप्रेन्टीस अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक रूप से अंपग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण :

दिनांक 31.3.2011 को मॉयल का कुल मानव बल 6667 था जिसमें 807 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानव बल का 12.10% है।

कार्यस्थल पर महिला कामगारों के लैंगिक उत्पीडन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किये गए। तद्नुसार तीन अधिकारियों की शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी जिसमें महिला चिकित्सक का समावेश था तथा मार्च 2006 में समिति का पुर्नगठन किया गया। तब से अब तक कंपनी की किसी भी खदान से या निगमित कार्यालय से उत्पीडन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। महिला कामगारों में जागृति पैदा करने के लिए दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार किया गया।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मण्डल का कार्य प्रभाव पूर्ण ढंग से चल रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक क्रिया कलाप जैसे - प्रौढ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि के कार्यक्रम, विशेषकर सुदूर खान क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए, आयोजित किये जा रहे है।

प्रत्येक वर्ष, 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। कंपनी परिवार नियोजन केलिए मातृत्व छुट्टी एवं विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करती है। कंपनी ने अपनी खदानों पर शिशु गृह स्थापित किये हैं तथा माताओं को बच्चों की परिचर्या हेतु समय दिया जाता है।

अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यो के एक भाग के तौर पर खदानों पर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है जिसमें सुदूर गावों के महिलाओं का समावेश है। उन्हें मोमबत्ती, वाशिग पावडर,साबुन, बेत की टोकरियां, सिलाई तथा विभिन्न अन्य व्यवसायिक कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वालंबी बन सके। मॉयल में इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है।

कार्मिक :

31.3.2011 को आपकी कंपनी के मानव बल की स्थिति नीचे दिये अनुसार है :-

श्रेणी	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	पीस रेट कामगार	कुल
पुरूष	318	2408	3134	5860
महिला	13	143	651	807
कुल	331	2551	3785	6667

31.3.2011 को वर्गानुसार कर्मचारी की संख्या, इस प्रकार :-

समूह	**अनु. जाति**	**अनु. जनजाति**	**ओ.बी. सी.**	**अन्य**	**कुल**
अ	33	10	41	138	222
ब	33	6	58	118	215
क	357	243	416	595	1611
ड	833	1355	1418	953	4559
सफाई कामगार	60	-	-	-	60
कुल	1316	1614	1933	1804	6667
कुल %	19.01%	24.43%	29.26%	27.30%	100

नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रणा :

- कर्मचारियों की शिकायत - मॉयल के पास कार्यपालक साथ ही गैर कार्यपालक कर्मचारियों के लिए स्वयं की शिकायत निवारण कार्य प्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है।
- मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक इकाई के लिए एक मनोनीत शिकायत अधिकारी होता है। इकाईयों में इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मुख्यालय में मनोनीत किया गया शिकायत अधिकारी इकाईयों के शिकयत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है।
- जन शिकायत - जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने के तरीके से सभी शिकायत अधिकारी को परिचित कराया गया। पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रणाली बनाई गई है।
- जन शिकायतों के लिए पदनामित निदेशक शिकायतों का परीवीक्षण करता है तथा मंत्रालय /विभाग से स्वतंत्र विभागों के प्रभाग के लिए जन शिकायत निवारण यंत्रणा भी होती है।
- इकाई से प्राप्त डाटा के मूल्यांकन के आधार पर,शिकायत अधिकारी, मासिक रिपोर्ट तथा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण के माध्यम से परीवीक्षण करते है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) :

निगमित सामाजिक मूल्य, ईमानदारी तथा पणधारकों के हित के साथ निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार संचालन के साथ साथ चलता है। वर्ष 2010-11 के दौरान नि.सा.उ. के लिए 5.75 करोड रूपये खर्च किये गए।

डी ए वी स्कूल की स्थापना :

कंपनी डी ए वी कॉलेज न्यास के साथ मिलकर पूर्ण विकसित स्कूल स्थापित करने जा रही है। यह स्कूल डी ए वी न्यास के नियंत्रण में होगी। इस स्कूल से विभिन्न ग्राम जैसे डोंगरी बुजुर्ग, सितासावंगी, चिखला, तिरोडी तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से लगे हुए समीपस्थ गावों को लाभ मिलेगा। इन गावों के बच्चों के अलावा मॉयल कर्मचारियों के बच्चों को भी इसका लाभ उपलब्ध होगा।

नि.सा.उ. के अंतर्गत कल्याण कार्यक्रमों में से कुछ नीचे दर्शाए अनुसार है :-

- " **नशा मुक्ति तथा स्थाई आर्थिक जीवन निर्वाह** " के लिए महिला एवं विकास हेतु बालाघाट के प्रकृति - रिसोर्स सेन्टर की सेवाएं ली जा रही है।
- वेध इंडिया नागपुर के द्वारा " **स्थाई विकास प्राप्ति तथा बाम्बु तकनीकी के द्वारा सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यक्रम** " परियोजना को प्रोत्साहित किया गया है।
- स्कूल के बच्चों को यूनिफार्म के कपडे दिए गए।

- नागपुर में बॉयोलॉजिकल पार्क स्थापित करने हेतु योगदान किया गया।
- नागपुर के होम फार एज्ड एवं हैंडीकेप तथा मिशनरीस टू चॅरीटीस मदर टेरेसा होम संस्था को गरीब एवं जरूरत मंदों के लिए अम्बुलंस दान दी गई है।
- जहां कहीं आवश्यक हो चश्मों के साथ बच्चों की मुफ्त मोतियां बिन्द शस्त्र क्रिया एवं नेत्र परीक्षा के लिए मदत दी गई।
- **योगी राज स्वामी सितारामजी महाराज हास्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर, रामटेक, जिला नागपुर** को दवाईयां खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी गई।
- जानवरों के कल्याण हेतु कार्यरत दिल्ली के अशासकीय संस्था को फ्रिडीस्कोस के लिए एक्सरे मशीन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता।
- नागपुर के ग्रामीण भाग में कार्यरत **जिवोदय हास्पिटल** को, बिजली पूर्ति हेतु जनरेटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- कंपनी द्वारा गोद लिए गए गावों में तथा खदानों के आसपास के अन्य गावों में भी रस्ते बनाना, शव दहन शेड, अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण, नालियां एवं जल पूर्ति सुविधा इत्यादि के काम किये गए।

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग :

वर्ष के दौरान कंपनी, कार्यालयीन भाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को प्रचारित करने एवं लागू करने का लगातार प्रयास करती रही। कंपनी अपनी गृह पत्रिका ''संकल्प'' हिंदी में प्रकाशित कर रही है ताकि कर्मचारी हिंदी के प्रचार हेतु विविध प्रतियोगिताए जैसे निबंध, टिप्पणी, आलेखन, कविता में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित हो।

खानों में 97% कार्य हिंदी में किया जा रहा है। कंपनी के संगणकों में युनिकोड सिस्टम डाला गया है। हिंदी शाप्ट वेअर का संगणक में प्रावधान किया गया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे इसका अपने कार्य में अधिक से अधिक उपयोग कर सके।

गृह मंत्रालय के हिन्दी शिक्षण योजना के तहत कर्मचारियों को पुर्नप्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 120 कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्च स्तरीय) प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा कंपनी के अन्य 40 कर्मचारी / अधिकारियों का भी प्रशिक्षण चल रहा है।''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति'' नागपुर के द्वारा भी हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मॉयल को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है तथा मॉयल की गृह पत्रिका''संकल्प'' को भी पुरस्कृत किया गया। राजभाषा संस्थान नई दिल्ली ने भी कंपनी की हिन्दी गृह पत्रिका संकल्प को पुरस्कृत किया है।

पुरस्कार एवं उपाधियां :

आपकी कंपनी की देश की उन चुनीदा सरकारी कंपनियों में से है जिनका लगातार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन रहा है। आपकी कंपनी को अपने अच्छे कामों के लिए करीब करीब सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय /क्षेत्रीय पहचान प्राप्त होते आ रहा है। यह देश की उन चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में एक है जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है और लगातार पिछले कई वर्षो से **उत्कृष्टता** की श्रेणी प्राप्त करती आ रही है। कंपनी को प्राप्त कुछ मान्यताओं का विवरण नीचे दर्शाएअनुसार है :-

- अधिकतम कर भुगतानकर्ता पुरस्कार :- मॉयल को अधिकतम कर भुगतानकर्ता पुरस्कार 2008-09 के लिए 1 लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया है। जो मध्यप्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है।
- **कान्द्री खान को राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार - 2010 के लिए मेरीट सर्टीफिकेट प्रदान किया गया**।
- **वार्षिक मेटलीफेरस खान सुरक्षा सप्ताह 2011** में अंडर ग्राउंड एवं ओपन कास्ट वर्ग में 28 पुरस्कार प्राप्त हुए।
- **खान पर्यावरण एवं खनिज संवर्धन सप्ताह 2010**, इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स के तत्वाधान में मनाया गया तथा जिसमें कंपनी ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त कियेः-
  - i. **अंडर ग्राउंड खान** - प्रथम बालाघाट खान, द्वितीय चिखला खान, तृतीय उकवा खान तथा अंडर ग्राउंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 24 पुरस्कार प्राप्त हुए।
  - ii. **ओपन कास्ट खान** - डोंगरी बुजुर्ग खान द्वारा तृतीय पुरस्कार एवं विभिन्न वर्गो के लिए 6 पुरस्कार प्राप्त किये।
- **अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मंडल स्वर्ण पुरस्कार 2010** - डोंगरी बुजुर्ग खान की पंचरत्न गुणवत्ता मंडल टीम तथा तिरोडी खान की गुणवत्ता मंडल टीम परख ने **स्वर्ण पुरस्कार** हासिल किया।
- **गुणवत्ता संकल्पना पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2010** - डोंगरी बुजुर्ग खान की **पंचरत्न** गुणवत्ता मंडल टीम तथा तिरोडी खान की **संकल्प** काईजन मंडल टीम ने **'' पार एक्सलेंस अवार्ड ''** प्राप्त किया। डोंगरी बुजुर्ग खान के ईएमडी संयंत्र की **अमन** गुणवत्ता मंडल टीम ने **'' एक्सलेंस अवार्ड ''** प्राप्त किया। संकल्प काईजन मंडल टीम के सदस्यों ने उत्तम गुणवत्ता मंडल कविता तथा उत्तम गुणवत्ता मंडल स्लोगन के लिए पुरस्कार हासिल किया।

- **आई.एस.ओ. 9001:2008** : बालाघाट खान के फेरो मैंगनीज संयंत्र एवं ई.एम.डी. संयंत्र के लिए क्रमशः उच्च श्रेणी फेरो मैंगनीज धातु एवं ई.एम.डी के लिए प्रमाणिकरण से पुरस्कृत किया गया।
- वर्ष 2009-10 के लिए **समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता रेटिंग** वर्ष के दौरान कंपनी के कुछ अधिकारियों को संस्थाओं द्वारा औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया।
- मानव संसाधन नेतृत्व पुरस्कार
- मानव संसाधन नेतृत्व पुरस्कार
- 5 वां एम्पलायर ब्रांडिंग पुरस्कार
- भारत ज्योती पुरस्कार (आईआईएफएस)

निदेशक :

वर्ष के दौरान पदावधि पूर्ण होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों में से 3 स्वतंत्र निदेशक डॉ. एम.महाराजन, श्री ए.बलराज एवं श्री डी. डी.कौशिक दिनांक 25 जून 2010 से पद मुक्त हो गए। दिनांक 9.2.2011 से सरकार द्वारा श्री डी.डी.कौशिक को पुर्ननियुक्त किया गया है। दिनांक 9.11.2010 को मध्यप्रदेश सरकार के नामजद श्री एस.के.मिश्रा पदमुक्त हो गए थे उन्हें 3-2-2011 से पुर्ननियुक्त किया गया।

निदेशकों की उत्तरदायित्व संबंधी कथनः

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 217 (2 ए ए) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि :-

i) सामग्री विभाग से संबंधी, वार्षिक खातों को तैयार करते समय, योग्य स्पष्टीकरण करण के साथ, लागू लेखा मानको को अपनाया गया।

ii) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों को चुना एवं उन्हें दृढतापूर्वक अपनाया तथा उसके आधार पर निर्णय लिये एवं अनुमान लगाया जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी की स्थिति और उस अवधि के दौरान लाभ हानि की स्पष्ट एवं सही तस्वीर पेश करने में सक्षम थी।

iii) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षितता के लिए तथा धोखाधडी या अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकंन अभिलेखों के लिए योग्य सावधानी बरती है।

iv) निदेशकों ने विकासशील प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है।

जमा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी सावधी जमा स्वीकार नहीं किया हें।

लेखा परीक्षक :

मे. शाह बहेती चांडक एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट नागपुर को भारतीय महा लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट वर्ष के लिए कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखा नीति में परिवर्तन :

वर्ष के दौरान, लेखापरिक्षक के सुझाव के अनुसार मॉयल ने फैरो मैंगनीज स्लेग, जिसे पहले रद्दी सामग्री समझा जाता था, के मूल्यांकन संबंधी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। फैरो मैंगनीज स्लेग का स्टॉक, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जाता था अब शुद्ध वसूली योग्य कीमत में मूल्यांकित किया जाता है। इस परिवर्तन का प्रभाव फिनस्ड उत्पाद अर्थात फैरो मैंगनीज के उत्पादन लागत पर हुआ। लेखा नीति में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप फेरो मैंगनीज वस्तुसूची में कमी आई, फैरो मैंगनीज स्लेग के वस्तुसूची वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के कर पूर्व लाभ में 1030.33 लाख रूपये घट गए तथा कर पश्चात लाभ में 688.08 लाख रूपये की कमी आई। स्लेग की बिक्री से होने वाली आय, जो इसके पूर्व अन्य आय में जोडा जाता था, अब बिक्री में जोडा गया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष की बिक्री 1622.44 लाख रूपये से बढ गई तथा अन्य आय में सम समान राशि घट गई।

अन्य प्रकटीकरण

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोद्यौगिकी आत्मसात आदि का ब्यौरा :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1)(ए) के अंतर्गत एवं कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के पठन के साथ अनुसंधान एवं प्रोद्यौगिकी आत्मसात का ब्योरा अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मैंगनीज अयस्क का निर्यात नहीं किया है। परीवीक्षाधीन वर्ष के दौरान यात्रा के लिए 59.83 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई जबकि पिछले वर्ष 7 लाख रूपये थी। यह खर्च केवल विदेश यात्रा के लिए किया गया है तथा वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में अन्य कोई खर्च नहीं हुआ।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए) के अंतर्गत कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 का पठन एवं समय समय पर संशोधन होने वाली धारा के साथ विवरण **शुन्य** है।

नियंत्रित कंपनी :

मॉयल की कोई नियंत्रित कंपनी नहीं है।

निगमित अभिशासन :

कंपनी उच्च कोटी के निगमित शासन के लिए सतत प्रयासरत रहती है। अतःअलग से निगमित अभिशासन पर सेक्शन जोडा गया है तथा जो निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है एवं अनुलग्नक-2 में है।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण :

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-3 में प्रस्तुत की गई है।

औद्योगिक संबंध :

वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कम्पनी में औद्योगिक संबंध सौहार्द पूर्ण एवं शांतिप्रिय रहा। कंपनी में इस दौरान कोई भी काम बंद या श्रम आंदोलन की घटना नहीं हुई। अच्छे उत्पादन तथा उत्पादकता की भावना बनी रही। संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चलने तथा तक्रार निवारण के लिए उपयुक्त निर्णय लेने हेतु खदानों तथा निगमित स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जो संतोष जनक रीति से कार्य कर रही है।

आभार ज्ञापनः

आपके निदेशक, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार तथा कम्पनी के बैंकर्स तथा ग्राहकों के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार प्रदर्शित करते है।

कर्मचारियों की ओर से लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरे उत्तरदायित्व के साथ कार्य किया जा रहा है। आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है एवं आशा करते है कि आने वाले वर्षो में भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक उंचाई पर ले जा सके।

आपके निदेशक अंशधारकों के विश्वास एवं कंपनी के उद्यम में सहयोग के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
के. जे. सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थानःनई दिल्ली
दिनांक :20. मई .2011

अंशधारको के लिए निदेशकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक I

प्रारूप -बी

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (ख) (ई) के एवं 1988 में किये गए संशोधनों के अंतर्गत आवश्यक, आत्मसात की गई प्रौद्योगिकी ब्यौरे की प्रकटीकरण विवरणी :-

(I) अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी):		
अनु. क्रं.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां कम्पनी ने आर. एण्ड डी का कार्य किया है। नीचे दर्शाए गए क्षेत्र जिसमें कंपनी ने अनु. एवं वि. के कार्य हाथ में लिए है।	**आर.एण्ड डी के फलस्वरूप प्राप्त लाभ**
1	सुरक्षा मानकों में सुधार	वर्तमान प्रि-माईनिंग सपोर्ट प्रणाली के अलावा यांत्रिक टेक लगाया गया है जिससे कंपनी की भू-गर्भ खदानों की सुरक्षा मानक में सुधार हुआ है।
2	नियंत्रित विस्फोट तकनीकी	ओपन कास्ट खदानों में भूकंपन एवं उडने वाले पत्थरों की समस्या के लिए CIMFR एवं VNIT की सेवाएं ली गई है। इस अध्ययन से कंपनी के ओपन कास्ट खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है।
3	अयस्क भंडार का गवेषण	यह एक लगातार प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की वेधन -मशीनों द्वारा, कोर ड्रिलिंग होल, के द्वारा अयस्क पिंड तथा कंपनी के पट्टा क्षेत्रों के आसपास अतिरिक्त अयस्क भंडार का पता लगाया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस प्रक्रिया के द्वारा हम अतिरिक्त 0.73 मिलियन टन अयस्क भंडार /संसाधन जोडने में सफल हुए।
4	भूभौतिकीय गुरूत्व चुम्बकीय	संसाधनों का जल्द गति से गवेषण करने हेतु भूभौतिकीय प्रणाली द्वारा गवेषण। गुरूत्व चुम्बकीय प्रणाली द्वारा गवेषण का उपयोग किया जा रहा है। एमईसीएल / जीएसआई के द्वारा किये गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप तिरोडी/ सुकली खान के उस स्थलों को गवेषण वेधन के लिए निर्धारित किया गया है।
5	खनन प्रक्रिया	अस्वीकृत /डम्प से मैंगनीज अयस्क के उत्पादन के लिए स्वदेश विकसित सामग्री व्यवस्था इकाई बालाघाट खान पर स्थापित की गई है। इससे बालाघाट खान की उत्पादकता में सुधार हुआ।
6	रेत के बदले पर्यायी भराई सामग्री के लिए सहयोगी अनुसंधान	वीएनआईटी, नागपुर के साथ सहयोगी अनुसंधान परियोजना चल रही है। रेत के बदले कोई पर्यायी सामग्री पाई जा सकती है।
7	उर्जा बचत	उर्जा बचत हेतु कान्द्री, गुमगांव एवं उकवा खान पर पीएलसी चलित काम्प्रेशर लगाये गये है। इनके स्थापित होने से बिजली की खपत में कमी आई।
8	लेवल अंतराल में वृद्धि	30 मीटर से 45 मीटर लेवल अंतराल बढाने के लिए सुझााव देने हेतु मेसर्स सी.आय.एम.एफ.आर. की नियुक्ति की गई थी। तद्नुसार बालाघाट खान में 12 लेवल से नीचे वर्तमान 30 मीटर से 45 मीटर लेवल अंतराल बढाने की डिझाईन बना ली गई है।
9	XRF विश्लेषक	कंपनी ने सफलता पूर्वक खदानों एवं मुख्यालय नागपुर में XRF विश्लेषक मशीन लगाए है। इससे ग्राहक समाधान में सुधार हुआ है।

(ii) प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकार एवं नवीनता :		
	संक्षिप्त में प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण एवं नवीनता के लिए प्रयास।	**उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ।**
	1) उपरोक्तानुसार खनन में अनु.एवं वि. प्रयास	1) उपरोक्त के परिणाम स्वरूप, खनन प्रचालन में उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों में सुधार पाया गया। इस विकसन से तीव्र खनन तकनीकी जैसे भूभौतिकीय संभवनाओं ने गवेषण के नए क्षेत्र निर्धारित किये है।
	2) पीएलसी चलित काम्प्रेसर लगाना	2) पीएलसी काम्प्रेशर के उपयोग के कारण उर्जा खपत में 5-10% की कमी आई है।

(iii)	भविष्य की कार्ययोजना	सौर उर्जा एवं हाईड्रोस्टॅटीक ड्रिलिंग मशीन का भविष्य में उपयोग करना प्रस्तावित है।			
(iv)	अनु. एवं वि. पर व्यय	पूंजीगत (अ)	आवर्ती (ब)	कुल (क)	टर्न ओवर का अनु. एवं वि. पर प्रतिशत खर्च
		3.33	3.43	6.76	0.59

पिछले पांच वर्षो के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गिनती करते हुए	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूपेण समावेश किया गया	यदि नहीं तो वह पूर्ण समावेश क्षेत्र जहां नहीं किया गया, उसका कारण तथा उसके लिए भविष्य की कार्य योजना
(अ)	(ब)	(क)	(ड)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-II

निगमित शासन रिपोर्ट

''निगमित शासन कंपनी प्रबंधन, उसका मण्डल, उसके अंशधारक एवं अन्य पणधारियों के मध्य सामूहिक संबंध को आवृत्त करता है। निगमित शासन वह ढांचा भी प्रदान करता है जिसके द्वारा कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किये जाते है तथा उन उद्देशों के प्राप्ति के साधन एवं तय किये गए निष्पादनों का पर्यवेक्षण किया जाता है ''।

-:आर्गनाईजेशन फार एकानॉमिक ऑण्ड डेवलपमेंट

1. निगमित शासन दर्शन :

मॉयल, प्रभावी, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, उत्तरदायी तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए वचनबद्व है तथा उत्तम इस बात में विश्वास करते हैं कि निगमित शासन कानून की सीमा से भी ऊपर है। यह प्रबंधन की संस्कृति एवं सोच से उभरती है तथा केवल कानून द्वारा इसका नियमन नहीं किया जा सकता। आपकी कंपनी इस तरह संचालन करती है कि उसके काम से अधिक से अधिक पणधारियों को लाभ मिले। यह वचनबद्धता निदेशक मण्डल से प्रारंभ होती है, जो सभी को दीर्घकाल तक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीके से, पणधारियों के विशेष हित में, कंपनी के उत्कृष्ट रणनीतिक एवं प्रचालन कार्यो में ध्यान केन्द्रीत कर निगमित शासन की जिम्मेदारी का निर्वहन करते है।

निगमित शासन, लगातार स्थायी मूल्य निर्माण में सुधार करने वाली यात्रा है तथा लगातार आगे बढते हुए लक्ष्य की ओर जाना है। नियमन एवं पालन आवश्यकताओं के तौर पर परम्परागत शासन के दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप शासन करने के लिए मार्ग मुहैया कराया है। धारा 49 में पंजीकृत कंपनी के लिए पालन करने के लिए बैंच मार्क स्थापित किये है तथा शासन मानकों के लिए निर्देश रेखा तय किया है। मॉयल, धारा 49 में निर्धारित निगमित व्यवहार का न केवल पालन करती है किन्तु विश्व में उभरते हुए उत्तम आचरणों को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। यह हमारा प्रयास है कि उच्चतर मानकों को प्राप्त कर सके तथा रणनीतिक कार्यान्वयन एवं जोखिम प्रबंधन तथा बताए गए लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

2. निदेशक मंडलः

मॉयल एक सरकारी कंपनी रहने के कारण निदेशकों की नियुक्ति / नामजदकी इस्पात मंत्रालय के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिनांक 31 मार्च 2011 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को मिलाकर 4 पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 3 सरकारी निदेशक तथा 7 स्वतंत्र निदेशकों का समावेश था। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक 3 वर्षो के लिए नियुक्त किये जाते है। लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 49 के अनुरूप मॉयल लिमिटेड का मंडल गठित किया गया है।

2.1 31 मार्च 2011 को निदेशक मंडल की संरचना एवं श्रेणी :

पूर्णकालिक निदेशक :

1. श्री के.जे. सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री एम.ए.वी. गौतम, निदेशक (वित्त)
3. श्री ए.के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)
4. श्री जी.पी. कुंदरगी, निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

भारत सरकार के नामजद निदेशक :

1. डॉ. दलिप सिंह, भारत सरकार के नामजद निदेशक
2. श्री ए.एम.खान, महाराष्ट्र सरकार के नामजद निदेशक
3. श्री एस.के.मिश्रा, मध्यप्रदेश सरकार के नामजद निदेशक

स्वतंत्र निदेशक :

1. डॉ.एस.के.भट्टाचार्य
2. श्री विजय काले
3. डॉ. मधु विज
4. श्री एच.सी.डिसोडिया
5. श्री बी.के.गुप्ता
6. डॉ. डी.डी.कौशिक
7. श्री संजीव नारायण

2.2 सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक सर्व साधारण सभा, निदेशक पद की संख्या तथा सदस्यता /समिति की अध्यक्षता का विवरणः-

निदेशक का नाम	मंडल सभा की संख्या	उपस्थित हुए मंडल सभा की संख्या	पिछली वार्षिक सर्व साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद	समिति में सदस्यता/ अध्यक्षता पद*
पूर्ण कालिक निदेशक					
श्री के.जे.सिंह, अ.स.प्र.निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य
श्री एम.ए.वी.गौतम,निदेशक (वित्त)	8	8	हां	2	1
श्री ए.के.मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	8	8	हां	2	1
श्री जी.पी.कुंदरगी,निदेशक (उ./यो.)	8	8	हां	2	1
सरकारी नामजद निदेशक					
डॉ. दलिप सिंह, भारत सरकार के नामजद	8	8	..	2	शून्य
श्री ए.एम.खान,महाराष्ट्र सरकार के नामजद	8	3	..	5	शून्य
श्री एस.के.मिश्रा (9.11.2010तक) तथा (3.2.2011से प्रभावी) म.प्र.सरकार के नामजद	6	3	--	13	शून्य
स्वतंत्र निदेशक					
डॉ.एस.के.भट्टाचार्य (25-6-2010 सेप्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	7	5	..	1	1
श्री विजय काले (25-6-2010 से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	7	7	..	शून्य	1
डॉ.मधु विज (25-6-2010 से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	7	6	..	शून्य	1
श्री एच.सी.डिसोडिया (9-11-2010 से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	4	4	..	शून्य	शून्य
श्री बी.के.गुप्ता (9-11-2010 से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	4	3	..	शून्य	1
डॉ. डी.डी.कौशिक (25-6-2010तक) तथा (9-2-2011से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	3	3	..	शून्य	1
श्री संजीव नारायण (16-10-2010 से प्रभावी) स्वतंत्र निदेशक	5	4	..	5	1
श्री ए.बलराज (25-6-2010 तक) स्वतंत्र निदेशक	1	1	..	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ.एम.महाराजन (25-6-2010 तक) स्वतंत्र निदेशक	1	1	..	लागू नहीं	लागू नहीं

***** पब्लिक लिमिटेड कंपनी की लेखा परीक्षा समिति की सदस्यता / अध्यक्षता तथा अंशधारक/ निवेशक शिकायत समिति को विचार में लिया गया है।

2.3 तिथियों के साथ मण्डल सभाओं की संख्याः

वर्ष 2010-11 के दौरान मंडल की 8 सभाएं हुई जो दिनांक 21 मई 2010, 10 सितम्बर 2010,

23 सितम्बर 2010, 30 अक्टूबर 2010, 15 नवम्बर 2010, 4 दिसम्बर 2010, 9 फरवरी 2011 और 15 मार्च 2011 को ली गई।

3) समितियाँ :

निदेशक मंडल की समितियों का गठनः

भारत सरकार द्वारा कंपनी को 'मिनी रत्न' श्रेणी प्रथम का दर्जा प्रदान किया गया। कंपनी के शासनात्मक ढांचे में मण्डल समिति की भूमिका निर्णायक होती है तथा इसलिए निर्दिष्ट की जाती है ताकि कंपनी के उन विशिष्ट क्षेत्रों / क्रियाकलापों, जिसे गहन समीक्षा की आवश्यकता है, का संचालन करें। मण्डल निदेशकों का पुनर्गठन जो बडी हुई वित्तीय प्रचालन स्वायत्ता की पूर्व निर्धारित शर्त है, प्रारंभ में केन्द्र सरकार द्वारा चार अंश कालीन गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया गया जिसे आगे बढाकर सात कर दिया गया है। मण्डल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है जो नीचे दर्शाएअनुसार है :-

3.1 मंडल की लेखा परीक्षा समिति

लेखा के गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा के पर्यवेक्षण, कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उसके कानूनी तथा नियामक आवश्यकतानुसार पालन करने में लेखा समिति मंडल को उनकी जिम्मेदारियों का वहन करने में सहायता करती है। कंपनी की लेखा करण एवं वित्तीय रिपोर्टींग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण, नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखा परीक्षकों का कार्य निरूष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिति का उद्देश्य है।

अ. लेखा परीक्षा समिति अधिकार :

लेखा परीक्षा समिति के अधिकारों में निम्नलिखित का समावेश है :-

1. किसी भी क्रियाकलाप का, उसकी विचारार्थ के विषय के दायरे में, अन्वेक्षण करना।
2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
3. बाहर से कानूनी या अन्य व्यवसायिक सलाह प्राप्त करना
4. यदि आवश्यक समझा जाए, तो, संगत निपुणता प्राप्त, बाहरी व्यक्ति की सेवा प्राप्त करना।

ब. विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश है :-

(अ) वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे निश्चित करने के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टींग प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना।

(ब) सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पुर्ननियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो, तो प्रतिस्थापन करना या हटाने तथा लेखा परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मण्डल को सिफारिश करना।

(क) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का भुगतान स्वीकृत करना।

(ड) विशिष्ट संदर्भ में, मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व, वार्षिक वित्तीय विवरणी का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(i) कंपनी अधिनियम की धारा 217 की उप धारा (2 ए ए) के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में समावेश करने हेतु निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समावेश किये जाने वाले आवश्यक मामले ;

(ii) कारण दर्शाते हुए, लेखाकरण नीति एवं व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन करना हो ;

(iii) प्रबंधन द्वारा,आकलन आधारित निर्णय के प्रयोग को आवृत्त करते हुए, प्रमुख लेखा प्रविष्ठियां ;

(iv) वित्तीय विवरण के प्रमुख समायोजन, जो लेखा परीक्षा में पाए गए ;

(v) वित्तीय विवरण से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन ;

(vi) पार्टी से संबंधित किसी भी व्यवहार का प्रगटीकरण ; तथा

(vii) ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(स) मंडल के स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के पूव्र प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।

(इ) निधि जो इशु (पब्लिक इशु, राईट इशु, प्रिपरेन्शियल इशु इत्यादि) के द्वारा उभारी गई है उसके उपयोग / विनियोग के विवरण, पब्लिक या राईट इशु के उपयोग की प्रक्रिया का मानीटर करने वाली मॉनीटरींग एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर डाक्यूमेंट / प्रास्प्रेक्टर्स / नोटिस तथा रिपोर्ट में दर्शाई गए के अलावा, अन्य कारणों के लिए उपयोग की गई निधि का विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मॉनीटरींग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडल को योग्य सिफारिश करना ;

(ई) सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की प्रबधन के साथ समीक्षा करना ;

(प) आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग का ढांचा, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचे की व्याप्ति तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति का समावेश यदि करते है, तो आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

(फ) आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी उल्लेखनीय जांच परिणाम पर विचार विमर्श करना तथा उस पर कार्यवाही करना।

(य) संदेहास्पद धोखाघडी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता के मात्रात्मक प्रकार के मामले, जो आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक अन्वेषण के दौरान पाए गए, उसकी समीक्षा करना तथा मामले की जानकारी बोर्ड को देना।

(र) लेखा परीक्षा का प्रकार एवं उसकी व्यापकता, साथ ही सरोकार के क्षेत्र निर्धारण के बारे में पूर्व लेखा परीक्षा वार्तालाप, लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ वार्ता करना।

(ल) जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, अंशधारक (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं किये जाने का मामला) एव ऋणदाताओं को भुगतान में भारी व्यतिक्रम के कारणों को देखना।

(त) प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो वित्तीय कार्य या वित्तीय कार्यो का निष्पादन प्रमुख हो) पद के उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमि इत्यादि का मूल्यांकन करके नियुक्ति की स्वीकृति देना।

(थ) यदि ''विसलब्लोअर'' यंत्रणा मौजूद हो तो उसकी समीक्षा करना ; तथा

(द) लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लेखित या समय समय पर संशोधित लिस्टींग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यो का निर्वहन करना।

क. गठन सदस्य एवं अध्यक्ष के नाम :

मंडल द्वारा 15-3-2011 को पुर्नगठित की गई लेखा परीक्षा समिति, वर्तमान में निम्नानुसार है :-

1. श्री विजय वी. काले, अध्यक्ष (अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक)
2. डॉ. सुबीर के भट्टाचार्य, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री संजीव नारायण, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
4. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
5. श्री जी.पी. कुंदरगी, सदस्य (निदेशक, उत्पादन एवं योजना)

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

ड. वर्ष के दौरान सभाएं एवं उपस्थितिः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की **पांच** सभाएं आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अनु.क्र.	दिनांक	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	21.05.2010	4	4
2.	10.09.2010	4	4
3.	23.09.2010	4	4
4.	30.10.2010	4	4
5.	09.02.2011	4	4

3.2 अंशधारक की/निवेशक की शिकायत समिति :

शेअरों का स्थानांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश न मिलना इत्यादि के संबंध में अंशधारक तथा निवेशकों के शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेअर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) के कार्य निष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेशकों को प्रदान की जा रही सेवा स्तर को सुधारने हेतु लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। सेबी (प्रोहिबिशन आफ इनसाईडर ट्रेडिंग) अधिनियम 1992 का अनुगमन करते हुए इनसाईडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध करने के लिए कंपनी की आचार संहिता को कार्यान्वित करने एवं उसका पालन करने के कार्य का पर्यवेक्षण भी करती है। मंडल ने आर.टी.ए. तथा /या कंपनी सचिव को सिक्यूरीटीस स्थानांतरण करने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

अ) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

समिति की जिम्मेदारियां नीचेदिये अनुसार है :-

1. निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना।
2. शेअरों का आंबटन, शेअरों, ऋणपत्र या अन्य कोई प्रतिभूतियों के हस्तानांतरण या पारेषण को स्वीकृति देना।
3. विभाजन/समेकन/नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र तथा नया प्रमाण पत्र जारी करना।
4. घोषित लाभांश न मिलने बाबद, कंपनी का तुलनपत्र बाबद।
5. समय समय पर संशोधित लिस्टींग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यो का निर्वहन करना।

ब. वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. डॉ. मधु विज, स्वतंत्र निदेशक - सभापति
2. डॉ. डी.डी.कौशिक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री एम.ए.वी.गौतम, निदेशक (वित्त) - सदस्य
4. श्री ए.के.मेहरा, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 9 .2.2011 को समिति की सभा हुई जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

पालनकर्ता अधिकारी का नाम :- श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव

स. निवेशक की शिकयतें :

दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवं रजिस्ट्रार ने, उन मामलों को छोडकर जो विवाद या कानूनी बाधाओं के कारण बाधित हुए, निवेशकों की शिकायतों को तत्परता से देखा।

वर्ष के दौरान कंपनी को अंशधारकों की 31745 शिकायतें / तक्रार प्राप्त हुए जिसमें से 31673 मामलों को देखा गया / सुलझाया गया तथा 31 मार्च 2011 को केवल 50 मामले लम्बित थे। शिकायतें/तक्रार मुख्यतः कंपनी के आईपीओ से संबंधित थे।

3.3 पारिश्रमिक समिति :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन मॉयल एक सरकारी कम्पनी है अतः निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य कर्मचारियों का भी वेतनमान सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये गए दिशा निदेशों के अनुसार तय किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों के परफार्मेन्श रिलेटेड पे (पीआरपी) के लिए मॉयल ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के नेतृत्व में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

अ. वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. डॉ. एस. के भट्टाचार्य, (स्वतंत्र निदेशक) - अध्यक्ष
2. श्री विजय वी. काले, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य
3. डॉ. मधु विज, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर कार्य करते है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान दिनांक 21-5-2010 को समिति की सभा आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

ब. पारिश्रमिक समिति की भूमिका :

पारिश्रमिक समिति के कार्य :-

1. निर्धारित सीमा के अंदर, एक्झीक्यूटीव तथा नॉन यूनियनॉइज्ड सुपरवाईजर में वितरण हेतु वार्षिक बोनस / वेरियबल पे पूल एवं नीति निर्धारित करना।
2. कंपनी अधिनियम 1956, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देश तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य सरकारी दिशा निर्देश जो भी लागू हो तथा निर्धारित हो, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

स. वर्तमान क्रियात्मक निदेशक के द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए क्रियात्मक निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिकों का विवरण :-

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	बोनस/ कमिशन	कार्यनिष्पादन से जुडे इनसेंटीव	कुल
1. श्री के.जे.सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1286216.00	800235.65	0.00	79378.00	2165829.65
2. श्री एम.ए.वी.गौतम, निदेशक (वित्त)	1235462.00	800113.49	0.00	2130934.00	4166509.49
3. श्री ए. के.मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	1177232.00	743528.45	0.00	1866680.00	3787440.45
4. श्री जी.पी.कुंदरगी (उत्पादन एवं योजना)	1138008.00	860528.20	0.00	1206906.00	3205442.20

उपरोक्त प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निर्देशकों का पद उनके संबंधित नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष का होता है तथा 3 माह के लिखित नोटिस किसी एक पक्ष द्वारा देने पर समाप्त किया जा सकता है। संबंध विच्छेद शुल्क के भुगतान के लिए अलग प्रावधान नहीं है।

गैर कार्यपालक निदेशकों को मंडल तथा / या समिति सभा में उपस्थित होने के लिए 7500/- रूपये प्रति सभा की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

3.4 परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीपीआरसी):

श्री बी.के.गुप्ता, अध्यक्ष, डॉ. एस.के.भट्टाचार्य, श्री एच.सी.डिसोडिया, श्री संजीव नारायण गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों की, परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति, दिनांक 15 मार्च 2011 को गठित की गई। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की सभा नही हुई। यह समिति कंपनी द्वारा हाथ में लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्य निष्पादन एवं प्रगति की समय समय पर समीक्षा करने हेतु गठित की गई है।

3.5 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति (सीएसआर):

दिनांक 15 मार्च 2011 को निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन किया गया। समिति में 4 स्वतंत्र निदेशक, श्री एच.सी.डिसोडिया, अध्यक्ष एवं सदस्य डॉ. डी.डी. कौशिक, श्री विजय वी.काले डॉ. मधु विज का समावेश है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की सभा नही हुई।

यह समिति इसलिए गठित की गई है, कि, कंपनी द्वारा स्वीकृत किये गए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यो की प्रगति का पर्यवेक्षण करें ताकि निश्चित किया जा सके कि स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप यह कार्य किये जा रहे है। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यो के वह प्रस्ताव जो कंपनी के कार्य क्षेत्र के बाहर के है उन्हें मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व समिति के समक्ष रखे जाएंगे। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की नीति या, यदि हो तो, कोई परिवर्तन, समिति के द्वारा मंडल को सिफारिश की जाएगी।

3.6 आईपीओ समिति :

आईपीओ से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने तथा स्वीकृति देने हेतु श्री के.जे.सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, श्री एम.ए.वी.गौतम, निदेशक (वित्त), श्री ए.के.मेहरा निदेशक (वाणिज्य) तथा श्री जी. पी. कुंदरगी निदेशक (उत्पादन एवं योजना) की एक समिति गठित की गई। दिनांक 15 दिसम्बर 2010 को एनएसई एवं बीएसई के साथ कंपनी के सूचीबद्ध होने के पश्चात आइपीओ कमेटी की कोई भूमिका नहीं रहने के कारण, मंडल द्वारा समिति को समाप्त कर दिया गया है।

4. सर्व साधारण सभा :

4.1 कंपनी की पिछली तीन सर्व साधारण सभा का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :-

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्तावों की संख्या
2007-08	29.7.2008	11.00 सुबह	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड,मॉयल भवन, नागपुर -440013	शून्य
2008-09	28.8.2009	3.00 दोपहर	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड,मॉयल भवन, नागपुर -440013	शून्य
2009-10	23.7.2010	2.30 दोपहर	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड,मॉयल भवन, नागपुर -440013	2

4.2 रिपोर्ट किये जा रहे वर्ष के दौरान पोस्टल बॅलेट के मार्फत विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किये गए।

4.3 पोस्टल बॅलेट के मार्फत संचालित करने हेतु विशेष प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है।

5. प्रकटीकरण

अ) कंपनी ने उल्लेखनीय सामग्री संबंधी पार्टी व्यवहार का आरंभ नहीं किया है जो बडे पैमाने पर कंपनी के हितों में संभावित संघर्ष निर्माण करे। फिर भी पार्टी से संबंधित व्यवहार वार्षिक रिपोर्ट के लेखा के नोट नम्बर 14 के शेड्यूल नं. 19 में प्रकट किया गया है।

ब) कंपनी अधिनियम 1956 या नियम तथा स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी के प्रावधानों का पालन न करने बाबद कोई भी मामला नहीं था। पिछले 3 वर्षो के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर इन अधिकारियों द्वारा कंपनी पर आक्षेप या दण्ड नहीं लगाया गया।

स) कंपनी के किसी कार्मिक ने लेखा परीक्षा समिति से मिलने से इन्कार नहीं किया।

ड) निगमित शासन से संबंधित धारा 49 तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों में आवश्यक प्रावधानों का कंपनी द्वारा पालन किया गया।

लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 49 के संलग्नक आईडी में निर्देशित गैरअनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अधिग्रहित / अनुपालित क्षेत्र नीचे दर्शाये अनुसार है :-

1. चूंकि कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक कर्मचारी है अतः अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 3 वर्षो की गई है अतः किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल 9 वर्षो से अधिक सेवा प्रदान नहीं किया है।
2. कंपनी ने पाश्रिमिक समिति का गठन किया है जिसका विवरण अनुक्रम क्रमांक 3.3 में दर्शाया गया है।
3. कंपनी अपने अन-अंकेक्षित / अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम को ''मिन्स ऑफ कम्युनीकेशन'' शीर्षक के अधिन प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करती है। यह अन-अंकेक्षित / अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के वेब साईट www.moil.co.in में भी डाली गई है। किन्तु अलग से परिचालित नहीं किया गया है। कंपनी, अपने प्रमुख कार्य, उपलब्धियां इत्यादियों को इलेक्ट्रानिक माध्यम, समाचार पत्र तथा अपने वेब साईट से भी संप्रेषित करती है।
4. कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है कि अनक्वलीफाईड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।
5. कंपनी के निदेशकों को, समय समय पर प्रशिक्षण दिया गया है।
6. सरकारी कंपनी रहने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामजदगी इस्पात मंत्रालय के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अतः गैर कार्यकारी निदेशकों के मूल्यांकन के लिए पीयर- वर्ग का गठन नहीं किया गया है।

6. संचार के माध्यम :

6.1 कंपनी अपने अन-अंकेक्षित / अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र जैसे एकॉनामिक टाईम्स तथा हिन्दी दैनिक समाचार पत्र जैसे नवभारत में प्रकाशित करती है।

6.2 यह अन-अंकेक्षित / अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के वेब साईट www.moil.nic.in में भी डाला गया है।

6.3 कंपनी अपने प्रमुख कार्य, उपलब्धियां इत्यादियों को इलेक्ट्रानिक माध्यम, समाचार पत्र तथा अपने वेब साईट द्वारा संप्रेषित करती है।

7. सामान्य अंशधारक जानकारी :

7.1 सर्व साधारण सभा :

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
23.09.2011	Friday	2.30 P.M.	वसंतराव देशपांडे हॉल, एमएलए हॉस्टेल के पास, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

7.2 वित्तीय वर्ष :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष प्रणाली अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रेल माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31 वें दिन समाप्त होता है।

7.3 अंशधारक रजिस्टर बंद होने की तारीख :

शुक्रवार, दिनांक 16 सितंबर 2011 से 23 सितंबर 2011 (दोनों दिवस शामिल)

7.4 लाभांश भुगतान करने की तारीखः

लाभांश के घोषणा किये जाने के 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान / प्रेषण किया जाता है।

7.5 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धीकरण :

दिनांक 15 दिसम्बर 2010 को आपके कंपनी के शेअर सूचीबद्ध किये गए है। एक्सचेंजों तथा स्टॉक कोड का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :-

स्टॉक एक्सचेंज	शेअर के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्वीटी शेअर	533286
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	इक्वीटी शेअर	मॉयल-ईक्यू

7.6 बाजार मूल्य तारीख : पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में उच्च एवं कम कीमत :*

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	कम	उच्च	कम
दिसम्बर 2010	590.00	431.40	591.05	367.35
जनवरी 2011	460.50	394.20	460.50	394.55
फरवरी 2011	424.25	377.00	424.40	386.35
मार्च 2011	417.00	375.50	412.00	375.55

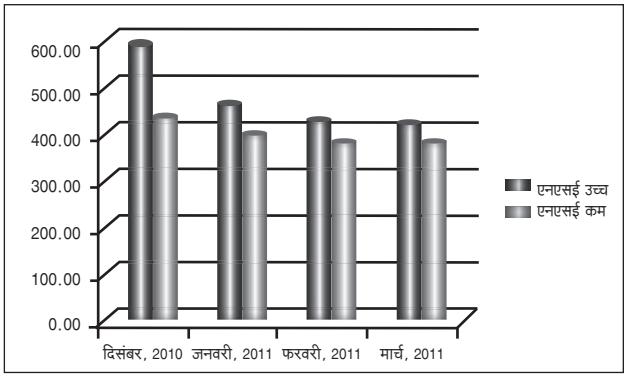

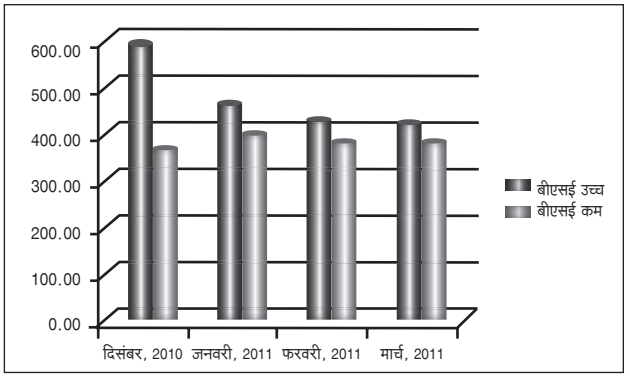

*** दिनांक 15.12.2010 को शेअर सूचीबद्ध किये गए।**

7.7 बीएसई एवं एनएसई ब्राडबेस्ड सूचकांक की तुलना में निष्पादनः

माह	एनएसई		बीएसई	
	एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
दिसम्बर2010	6134.50	449.70	20509.09	449.85
जनवरी 2011	5505.90	408.95	18327.76	409.60
फरवरी 2011	5333.25	394.25	17823.40	394.80
मार्च2011	5833.75	394.75	19445.22	394.55

7.8 अ. पंजीयक एवं स्थानांतर अभिकर्ता (आर.टी.ए.) :

बीगशेअर सर्विसेस प्रा. लि.,
ई-2 एवं 3, अन्सा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, साकी-विहार रोड, साकीनाका,
अंधेरी ईस्ट मुम्बई- 400 072
टेलीफोनः 91-22-40430200, फैक्सः 91-22-2847 5207
ई-मेलः investor@bigshareonline.com, वेबसाईटः www.bigshareonline.com

ब. आईपीओ के लिए पंजीयकः

कारवी कम्प्युटरशेअर प्रा. लि.,
''कारवी हाउस'' 46 एवेन्यू 4, स्ट्रीट नम्बर 1, बंजारा हिल्स
हैद्राबाद- 500 034
टेलीफोनः 91-40-23312454, 23320751 फैक्सः 91-40-23311968
ई-मेलः moil.ipo@karvy.com, वेबसाईटः www.karvy.com

7.9 शेअर हस्तांतरण प्रणालीः

भौतिकीय सेगमेंट के सभी शेअर हस्तांतरण के कार्य बीगशेअर सर्विसेस प्रा. लि., के द्वारा किये जाते है। शेअर हस्तांतरण प्रणाली जिसमें हस्तांतरण करने वाले से हस्तांतरण डीड के साथ शेअर हस्तांतरण की रसीद, उसका सत्यापन, हस्तांतरण का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि का समावेश है। कंपनी के प्रतिभूतियों के आबंटन एवं उत्तर आंबटन के लिए मंडल की उपसमिति द्वारा शेअर हस्तांतरण स्वीकृत किये जाते है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किये गए लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 47 सी का अनुसरण करते हुए, छःमाही आधार पर, निर्देशित समय के अंदर, शेअर हस्तांतरण औपचारिकताओं का योग्य प्रकार से पालन किये जाने की पुष्ठि करते हुए कार्यकारी कंपनी सेक्रेटरी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई।

7.10 शेअरधारणाधिकार का वितरण :

अ. 31 मार्च 2011 को धारणाधिकार के आकार, प्रतिशत के अनुसार :-

शेअरों की संख्या	शेअरधारकों की संख्या	शेअरधारकों का प्रतिशत	कुल शेअर का	शेअर का प्रतिशत
1-5000	490714	99.4284	124899140	7.4345
5001-10000	1548	0.3137	11145450	0.6634
10001-20000	604	0.1224	8459700	0.5036
20001-30000	193	0.0391	4865530	0.2896
30001-40000	86	0.0174	3059320	0.1821
40001-50000	70	0.0142	3277700	0.1951
50001-100000	138	0.0280	10074730	0.5997
100001एवं अधिक	182	0.0369	1514218430	90.1320
कुल	**493535**	**100.0000**	**1680000000**	**100.0000**

ब. 31 मार्च 2011 को शेअरधारणाधिकार की श्रेणीवार सारांश :

श्रेणी	धारित शेअरों की सं.	कुल शेअर होल्डींग का %
केन्द्रीय /राज्य सरकार (प्रमोटर)	134400000	80.0000
जनता	15362757	9.1445
सहकारी निकाय	5732662	3.4123
म्युचअल फण्ड	5413642	3.2224
एफएलएलएस	4458511	2.6539
बैंक	1121551	0.6676
एफएलएस	1104050	0.6572
क्लीयरींग सदस्य	191890	0.1142
एनआरआय	168303	0.1002
कर्मचारी	34588	0.0206
न्यास	12046	0.0072

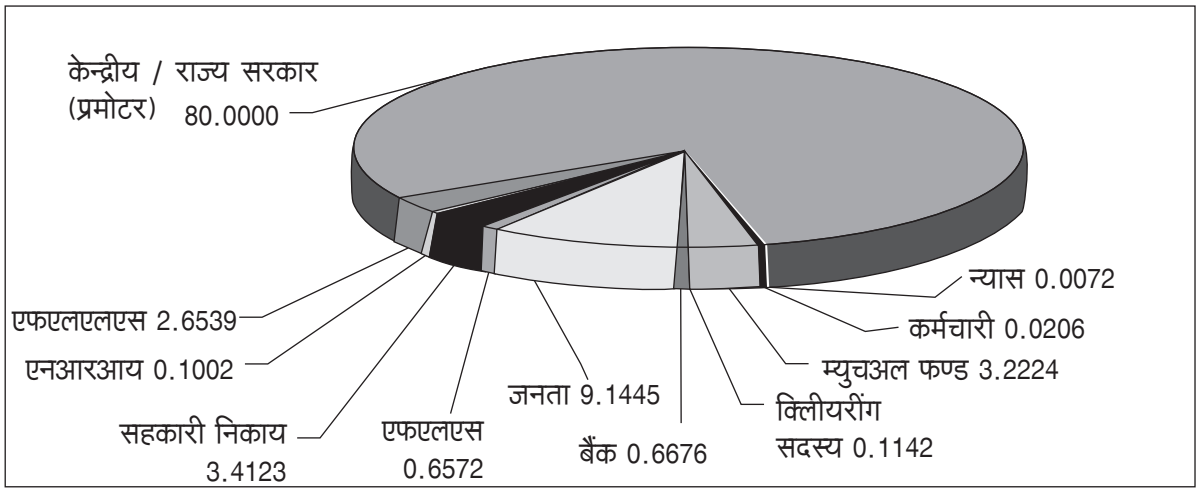

7.11 शेअर का विभौतिकीकरण एवं नगदीकरणः

नेशनल सिक्यूरीटी डिपॉजीटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजीटरी सविसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कंपनी के शेअरों का विभौतिकीकरण किया जाता है।

7.12 बकाये जीडीआर / एडीआर/ वारंट या अन्य परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट, परिवर्तन तिथि एवं इक्वीटी पर संभावित प्रभाव : विभौतिकीकरण में शेअरों की संख्या तथा भौतिकी प्रणाली :-

श्रेणी	शेअरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिशत
सीडीएसएल के साथ डिमॅट प्रणाली में शेअर	6514755	3.88
एनएसडीएल के साथ डिमॅट प्रणाली में शेअर	41249564	24.55
भौतिकीय प्रणाली में शेअर	120235681	71.57
कुल	168000000	100.00

कंपनी द्वारा जीडीआर / एडीआर/ वारंट या अन्य परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं किये गए।

7.13 परियोजनाओं के कार्य स्थल :

खदानों की सूची

अनु.क्र.	खदानों के नाम एवं पता
महाराष्ट्र	
1.	**चिखला खान,** पो.आ. चिखला, तह. तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441 920
2.	**डोंगरी बुजुर्ग खान,** पो.आ. डोंगरी बुजुर्ग, तह. तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441 907
3.	**बेलडोंगरी खान,** पो.आ. साटक, तह. रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441 105
4.	**कान्द्री खान,** पो.आ. कान्द्री, तह. रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441 401
5.	**मनसर खान,** पो.आ. मनसर, तह. रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441 106
6.	**गुमगांव खान,** पो.आ. खापा, तह. सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441 401
मध्यप्रदेश	
7.	**बालाघाट खान,** पो.आ. भरवेली, जिला बालाघाट, म.प्र., पिन-481 102
8.	**उकवा खान,** पो.आ. उकवा, जिला बालाघाट, म.प्र., पिन-481 105
9.	**तिरोडी खान,** पो.आ. तिरोडी, जिला बालाघाट, म.प्र., पिन-481 449
10.	**सितापठोर खान,** पो.आ. सुकली, जिला बालाघाट, म.प्र., पिन-481 449

पवन फार्म की सूची

अनु.क्र.	पवन फार्म का नाम एवं पता
1.	**नागदा पर्वत श्रेणी,** जिला -देवास, म.प्र.
2.	**रातेडी पर्वत श्रेणी,** जिला -देवास, म.प्र.

7.14 पत्र व्यवहार के लिए पता :

पंजीकृत कार्यालय,
मॉयल लिमिटेड,
''मॉयल भवन'', 1-ए, काटोल रोड,नागपुर-440013

8. आचार संहिताः

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उच्च मानकों को स्थापित करने के मॉयल के लगातार प्रयासों के तौर पर सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए '' कोड आफ बिजनेस कन्डक्ट अँड एथीक्स '' बनाया गया है। उक्त संहिता की प्रति कंपनी के वेब-साईट www.moil.nic.in में प्रस्तुत की गई है। कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2010 -11 के दौरान मॉयल की संहिता '' कोड आफ बिजनेस कन्डक्ट अँड एथीक्स '' का पालन करने का अभिवचन दिया है।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किये गए लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 49 में किये गए प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन, 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए '' कोड आफ बिजनेस कन्डक्ट अँड एथीक्स '' का पालन करने की पुष्ठि करते है।

कृते मॉयल लिमिटेड

हस्ता/-
के.जे.सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 20-5-2011

---

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरणः

लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 49 के अनुसार, कंपनी के सीईओ/सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. विसल ब्लोवर पॉलिसी (सत्य सूचक नीति):

कंपनी में विशिष्ट विसल ब्लोवर पॉलिसी (सत्य सूचक नीति) नहीं है किन्तु अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संशयति धोखाघडी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीतियों के उल्लंघन के मामलों को मॉनिटर करने हेतु भारतीय पुलिस सेवा के मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम एवं स्वतंत्र सतर्कता विभाग कंपनी में विद्यमान है। सतर्कता विभाग को अपनी शिकायतें, तक्रार इत्यादि प्रस्तुत करने सभी कर्मियों को सुलभता है।

11. मण्डल सदस्यों का प्रशिक्षणः

मण्डल सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया किन्तु व्यापार से संबंधित मामले,जोखिम मूल्यांकन आदि विषयों पर मण्डल / समिति सभाओं में वरिष्ठ अधिकारी /व्यावसायिक /सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाता है। विभिन्न संस्थओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कंपनी अपने निदेशकों को नामित करती है।

12. लागू कानूनों के पालन की समीक्षा :

कंपनी में लागू सभी कानूनों के पालन की रिपोर्ट की सामयिक समीक्षा मंडल द्वारा की जाती है तथा सभी लागू कानूनों के पालन की पुष्टि की गई।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,
निदेशक मण्डल,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

अ) हमने, हमारी अच्छी से अच्छी जानकारी एवं विश्वास के साथ 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले मॉयल लिमिटेड का वित्तीय विवरण एवं नगद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :-

(i) इस विवरण में कोई भी महत्वपूर्ण असत्य विवरण या महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप या भ्रामक विवरण का समावेश नहीं है।

(ii) यह विवरणी कंपनी के व्यवहार की सच्ची एवं साफ छवी प्रस्तुत करती है तथा वर्ममान में लागू लेखा - करण मानक, लागू कानून एवं नियमन के अनुवर्ती है।

ब) हमारे अच्छी से अच्छी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान कोई भी धोखाधडी, गैर कानूनी या कंपनी के आचार संहिता का अतिक्रमणात्मक व्यवहार नहीं किया गया है।

क) हम, वित्तीय रिपोटींग करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा कंपनी के वित्तीय रिर्पोटींग के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को इस आंतरिक नियंत्रण के बनावट या प्रचालन में यदि कोई कमी हो,जिसकी हमें जानकारी हो तथा उन त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम के बारे में हमने जानकारी उनके समक्ष प्रकट किया है।

ड) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को सूचित किया है :-

(i) वर्ष 2010-11 के वित्तीय रिपोटींग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी के टिप्पणी में प्रकट किया है ; तथा

(iii) ऐसे धोखाधडी के मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा उस प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलिप्तता जिसकी कंपनी के वित्तीय रिपोटींग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है।

हस्ता. /-
एम.ए.वी.गौतम
निदेशक (वित्त)

हस्ता./-
के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20-5-2011

अनुलग्नक - III

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट -2010-11

प्रस्तावनाः

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (प्रविविआर) का लक्ष्य यह है कि कंपनी का व्यापारिक वातावरण में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी का कार्य निष्पादन तथा भावी दृष्टि को विशद करना। प्रविविआर निदेशक रिपोर्ट का एक भाग है। किसी भी कंपनी का कार्य निष्पादन विभिन्न घटकों से जुडा होता है जिसमें मांग,पूर्ति, जलवायु स्थिति,आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सरकारी नियम तथा नीतियां, कर नीति एवं नैसर्गिक आपत्तियां जो कंपनी के नियंत्रण की कक्षा से बाहर है तथा जो कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते है। इसे मद्दे नजर रखते हुए प्रायोजन, दृष्टिकोण, अपेक्षाएं, आंकलन के संबंध में इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन, वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं।

अ. औद्योगिक ढांचा, बाजार परिदृश्य, अवसर, चुनौतियां, संभावना, जोखिम एवं चिन्ताएं

- **औद्योगिक ढांचा, बाजार परिदृश्य**

  मैंगनीज अयस्क उद्योग का निष्पादन मुख्यतः इस्पात उद्योग पर निर्भर है। वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में अर्थ व्यवस्था में सुधार के अच्छे चिन्ह देखे गये तथा दो वर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष 2008-09 के मध्य से प्रारंभ हुई मंदी से वह लगभग उभर गई। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक जिन्होंने अपने उत्पादन में कमी लाई थी उन्होंने अपनी क्षमता का विस्तार किया। इसके परिणाम स्वरूप फैरो अलॉय की मांग / उत्पादन तथा मैंगनीज अयस्क की बिक्री में वृद्धि होगी।

  इन वर्षो के दौरान भारत विश्व में एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा है तथा विश्व का चौथा सबसे बडा इस्पात उत्पादक बन गया है तथा 2015-16 तक विश्व का दूसरे नम्बर का सबसे बडा उत्पादक बनने की अपेक्षा है। अपने मजबूत घरेलू अर्थ व्यवस्था, भारी ढांचागत आवश्यकताएं, घेरेलू खपत तथा औद्योगिक उत्पादन के विस्तार के कारण, दूसरे देशों की तुलना में, आने वाले वर्षो में भारत के द्वारा इस्पात उद्योग में भारी विकास लाने की अपेक्षा है।

  वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (थडअ) के अनुसार वर्ष 2011 में भारत की इस्पात खपत 13.3% की वृद्धि करते हुए 68.7 एमएमटी तक की पहुंच जाएंगी। वर्ष 2012 में विकास दर बढकर 14.3% हो जाएगी। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2010 के 13.2% का अनुगमन करते हुए वर्ष 2011 में वैश्विक इस्पात का उपयोग 5.9% वृद्धि करते हुए 1359 एमएमटी तक पहुंच जाएगी। यह भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2012 में इस्पात की मांग 6% से बढकर 1441 एमएमटी के रिकार्ड तक पहुंच जाएगी।

  यह भविष्यवाणी बताती है कि विकसित विश्व का इस्पात उपयोग वर्ष 2007 के स्तर 14% से कम रहेगा जबकि भारत जैसे उभरते एवं विकसनशील अर्थ व्यवस्था में 38% से ज्यादा रहेगा। वर्ष 2007 के 61% की तुलना में विश्व इस्पात की 72% मांग विकसनशील अर्थ व्यवस्था द्वारा की जाएगी।

  इस्पात उत्पादन में मैंगनीज अयस्क अत्याधिक महत्वपूर्ण उत्पाद है तथा इस्पात के वृद्धि के कारण इसकी मांग में भी भारी बढोतरी होगी।

- **क्षमता एवं कमजोरी** :

  क्षमता

  - उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क का विस्तृत भंडार
  - परिमाण में, देश का मैंगनीज अयस्क का सबसे बडा उत्पादक
  - देश के फैरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क के कुल प्रमाणित भंडार का 60% मॉयल के पास होने की धारित क्षमता है।
  - संसाधनों के कारण, कंपनी कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है
  - वर्तमान उत्पादक दर के अनुसार 40 वर्षो से अधिक भंडार के टीके रहने की अपेक्षा है।
  - उच्च शुद्ध सम्पत्ति एवं शून्य कर्ज के कारण वित्तीय क्षमता मजबूत है।
  - उत्तम कार्य संस्कृति के साथ योग्यता प्राप्त तकनीकी तौर पर कुशल मानव बल की उपलब्धतता।
  - मॉयल के भंडार,मध्य भारत के मैंगनीज पट्टे में स्थित है जो सामान्य नियमित आकार के है
  - मॉयल की सभी खदानें राज्य / राष्ट्रीय राजमार्गो से जुडी हुई है जिससे उसे सुप्रचालन का लाभ प्राप्त है।

उसकी खदानें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नेटवर्क में स्थित है तथा उसे रेलवे सायडिंग की सुविधा प्राप्त है।

- मैंगनीज अयस्क खनन में मूल क्षमता
- औद्योगिक असंतोष या श्रम समस्या नहीं
- मॉयल के मैंगनीज अयस्क ब्रांड की उत्तम छवी
- आंतरिक अनुसंधान क्षमता एवं विकास केन्द्र तथा अयस्क बेनीफिशयन एवं खनिज प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम आंतरिक गवेषण क्षमता

कमजोरी :

- खनन कंपनी रहने के कारण मॉयल अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण के विस्तृत विनियमों के अधीन है। विनियम मानकों के अविरत विकास तथा समुदाय के अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि तथा अनपेक्षित पर्यावरण सुधार खर्च करना पडता है।
- नये खान पट्टे मिलने में देरी होने के कारण नई खदानें चालू करने में देरी होकर कंपनी की निवेश योजना पर प्रभावित होती है।
- कंपनी ने अन्य सेक्टर में उल्लेखनीय विविधिकरण नहीं किया गया है जिसके कारण मैंगनीज उद्योग में आए विपरीत प्रभाव से कंपनी के लाभ को धक्का पहुंचता है।
- मॉयल की खदानें काफी पुरानी है तथा उसे पूरी तरह यंत्रीकृत करना अत्याधिक कठिन है।
- अयस्क भंडार काफी गहराई में जाने के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है।
- **अवसर एवं चुनौतियां :**

अवसरः

- राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार वर्ष 2019-20 तक इस्पात का उत्पादन 110 मिलियन टन पहुंच जाएगा यद्यपि ग्रीन फिल्ड एवं ब्राउंन फिल्ड दोनों क्षेत्रों में वर्तमान में चल रही परियोजना के मूल्यांकन के आधार पर, इस्पात मंत्रालय की धारणा के अनुसार, 2011-12 तक देश की इस्पात क्षमता 124.06 मिलियन टन होने की संभावना है। आगे, निजि उत्पादकों के द्वारा

  विभिन्न राज्य सरकारों के साथ किये गए समझौता ज्ञापन की स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2020 तक भारत की इस्पात क्षमता 293 मिलियन टन हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए,यदि इस्पात उत्पादन की वृद्धि के समानुपात, फैरो अलॉय के उत्पादन में कमी आती है तो फैरो अलॉय की उपलब्धता एवं आवश्यकता के मध्य, मांग की भारी खाई निर्माण होने की संभावना है।
- भारत का सबसे बडा मैंगनीज उत्पादक तथा देश का 50% उत्पादन करने वाला तथा लगभग 69.5 मिलियन टन का 17% सिद्ध मैंगनीज अयस्क भंडार का आरक्षित एवं संसाधन होने के कारण, अपनी सर्वोच्च स्थिति, उच्च श्रेणी अयस्क प्रदायक, केन्द्रीभूत स्थानों पर स्थित खदानें, मजबूत ग्राहक संबंध के कारण मॉयल भारत की इस्पात मांग में वृद्धि को पूंजीकृत करने की स्थिति में है।
- इस्पात उत्पादन में सिलिको मैंगनीज की क्रेमक उपयोगिता आने के कारण न्यून/मध्यम श्रेणी के अयस्क का अच्छा बाजार मिलने की संभावना है।
- कम लागत, प्रभावी एवं पर्यावरण मित्र खनन कंपनी के तौर पर लगातार बने रह रही है।
- सशक्त वित्त अर्थात भारी नगद संचित निधि के कारण प्रमुख निवेश परियोजना में जाने के अवसर है।
- सेल एवं आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के तहत फैरो अलाय उत्पादन से मैंगनीज अयस्क उत्पादन के एक अच्छे हिस्से केलिए तैयार बाजार उपलब्ध।
- कंपनी ने अपनी वर्तमान खदानो के विकास हेतु भारी निवेश की भी परियोजनाएं बनाई है जिससे भविष्य में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता की पूव्रि करने के हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के नागपुर एवं भंडार जिलों में 814.71 हेक्टर भूमि का क्षेत्र भी आरक्षित किया है। यह आरक्षित क्षेत्र कंपनी के वर्तमान खदानों के निकट है तथा उसके वर्तमान लिज एरिया का लगभग 45% है। अन्य स्वीकृतियां प्राप्त होने एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात मैंगनीज अयस्क की मांग की पूर्ति करने तथा भारत के इस्पात उद्योग की वृद्धि को पूंजीकृत करने के उत्तम अवसर प्राप्त होगे।
- मैंगनीज अयस्क खनन के क्षेत्र में विशाल अनुभवों के साथ कंपनी अन्य खनिजों के क्षेत्र में जाने की विस्तार योजना भी बना सकती है।

चुनौतियांः

- मैंगनीज अयस्क का आयात, कंपनी के मुनाफा के गुंजाइश के लिए चुनौति बना रहता है।

- विनियामक स्वीकृति मिलने में देरी से भी कंपनी के दीर्घकालिन प्रगति पर भी प्रभाव पडता है। आगे, खदानों, विशेषकर अंडर ग्राउंड खदानों के विकास के लिए, हाथ में लिए गए परियोजनाओं को निर्धारित समय में एवं लागत के अंदर पर पूरा करने की चुनौति सदैव बनी रहती है तथा इसमें किसी भी तरह की कमी से लक्षित कार्य निष्पादन पर परिणाम होता है।
- इस्पात उद्योग चक्रीय स्वभाव रहने के कारण मैंगनीज अयस्क की मांग इस्पात उद्योग की वृद्धि से आगे आती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक के बढ जाने पर कंपनी को खतरे का सामना करना पड सकता है तथा उससे मैंगनीज अयस्क के उठाव में कमी आ सकती है।
- मॉयल का लगभग 67.5% उत्पादन अंडर ग्राउंड खदानों से होता है जिसकी उत्पादन लागत ओपन कास्ट खदानों की तुलना में अधिक होती है। अंडर ग्राउंड खदानों की लागत में किसी भी प्रकार की लागत में वृद्धि से मार्जिन पर विपरीत परिणाम हो सकता है।
- मैंगनीज अयस्क के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी के कारण घरेलू मूल्यों में गिरावट आ सकती है।

- **संभावना :**

मैंगनीज एवं फैरो अलाय उत्पाद की मांग, इस्पात उद्योग की संभावनाओं एवं सकल आर्थिक विकास पर सीधे अवलम्बित है। विश्व का 90% से अधिक मैंगनीज अयस्क का उत्पादन का उपयोग वि-गंधकीकरण एवं इस्पात को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसके पहले इस्पात उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क एवं फे रो अलाय की मांग में भारी वृद्धि हुई।

वर्ड स्टील असोसियशन के अनुसार वर्ष 2011 तथा क्रॅलेण्डर वर्ष 2012 में विश्व इस्पात की मांग में लगभग 5-6% की वृद्धि संभावित है। जबकि उन्होंने भारत के लिए क्रॅलेण्डर वर्ष 2011 तथा क्रॅलेण्डर वर्ष 2012 में 13-14% मांग वृद्धि प्रक्षेपित किया है। इससे यह सूचित होता है कि भारत में मांग में काफी वृद्धि होगी जो एकमात्र देश होगा जिसके मांग का स्तर उंचा होगा।

भारत सरकार के प्रक्षेपित जी.डी.पी. वृद्धि दर लगभग 8.5-9% तथा ढांचागत विकास नीति के कारण इस्पात के मांग में भारी वृद्धि होगी, कारण इस्पात की वृद्धि के साथ जी.डी.पी. की वृद्धि भी चलती है जिसके परिणाम स्वरूप मैंगनीज अयस्क के मांग में भी वृद्धि होगी।

- **जोखिम एवं चिन्ताएं :**

मैंगनीज अयस्क उद्योग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग से जुडा हुआ है जिसका चक्रीय स्वभाव है तथा मैंगनीज अयस्क की मांग पर प्रभाव डालता है। मॉयल एक श्रमिक बहुल संस्थान है। यद्यपि कंपनी का औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट है किन्तु श्रमिक से जुडा हुआ जोखिम सदैव उत्पादन के कार्य में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है।

विश्व अर्थ व्यवस्था के उभरने में तेल की उंची कीमतें एक खतरा है। भारत में वृद्धि के लिए मंहगाई चिंता का विषय है। पूर्ति के पक्ष में तथा उत्पादकता में सुधार के उपाय करना आवश्यक है। वैश्विक उपयोगी वस्तु एवं तेल की कीमतों से निर्मित सामानों के कीमतों में बढोतरी हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) बिल सरकार के विचाराधीन है तथा प्रतिपूर्ति के नीति से कंपनी का लाभार्जन प्रभावित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वर्तमान में मैंगनीज अयस्क की हो रही अधिक पूर्ति चिंता का विषय है तथा जिससे आगे चल कर, घरेलू मैंगनीज के मूल्य में कमी आ सकती है। वास्तव में पिछले दिनों कंपनी को अपने विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के मूल्य में 23% - 28% के मध्य कमी लाना पडा।

ब. खण्ड अथवा उत्पादानुसार निष्पादन

बिक्री निष्पादनः

मूल्य

पिछले वर्ष के इसी समय के दौरान रूपये 969.39 करोड (निर्मित उत्पाद 52.93 करोड रूपये की बिक्री तथा 9.31 करोड रूपये की बिजली की बिक्री का समावेश करते हुए) की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान कारोबार रूपये 1139.96 करोड (निर्मित उत्पाद 67.74 करोड रूपये की बिक्री तथा 8.32 करोड रूपये की बिजली की बिक्री का समावेश करते हुए) रहा।

मात्रा

पिछले वर्ष की 11.75 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान 9.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की गई। पिछले वर्ष के 857 टन की तुलना में 911 टन इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड की बिक्री हुई जबकि पिछले वर्ष के 7479 टन फेरो मैंगनीज की बिक्री की तुलना में 6903 टन की बिक्री की गई। पिछले वर्ष के 10911 टन की तुलना में 14339 टन फेरो मैंगनीज स्लॅग की बिक्री दर्ज की गई। पिछले वर्ष के 240.56 (KWH)

यूनिट की तुलना में चालू वर्ष में 224.50 (KWH) यूनिट बिजली की बिक्री एमपीईडीसीएल को की गई।

ई-सेल

कंपनी के व्यवहार में पारदर्शिता लाने हेतु मुख्य सतर्कता आयुक्त ने ई-कॉमर्स पर जोर दिया है। इसे दृष्टि में रखते हुए तथा मैंगनीज अयस्क का अच्छा मूल्य प्राप्त करने तथा अधिक से अधिक ग्राहक जुटाने हेतु, कंपनी वर्ष के दौरान लगातार ई-सेल पर जोर देते रही। रिपोर्ट वर्ष के दौरान सफलता पूर्वक 22 ई ऑक्शन के द्वारा कंपनी ने मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज तथा स्लॅग के विभिन्न श्रेणियों की 195.83 करोड रूपये की 116656 टन की बिक्री किया।

उत्पादन :

पिछले वर्ष के 10.93 लाख टन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का 11.51 लाख टन उत्पादन दर्ज किया। इलैक्ट्रीलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (ई.एम. डी.) का उत्पादन 805 टन (गत वर्ष 1150 टन) किया जबकि पिछले वर्ष के 9555 टन फैरो मैंगनीज के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 9081 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन दर्ज किया गया। गत वर्ष के 9640 टन के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 13515 टन फेरो मैंगनीज स्लॅग का उत्पादन रिकार्ड किया गया है। पिछले वर्ष के 331.01 (KWH) यूनिट की तुलना में पवन उर्जा संयंत्र द्वारा 310.40 (KWH) यूनिट का निर्माण किया गया।

क. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठता :

कंपनी में, आंतरिक नियंत्रण के औचित्य, नीतियों पर चलने, प्रक्रिया एवं किसी भी दरार को ठीक करने के लिए, आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग तथा आंतरिक अंकेक्षण,एक बहु अनुशासनिक कार्य है जो अनुभवी विशेषज्ञों के दल द्वारा संचालित किया जाता है।

पेपर लेखा नियंत्रण के उचित तौर पर रखरखाव, प्रचालन की मॉनीटरिंग, संपत्तियों का अनाधिकृत उपयोग या हानियों से बचाव, कानूनों का पालन तथा वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता के लिए यह नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन किया गया है। कंपनी इस क्षेत्र में विश्व में प्रचलित तरीके के अनुरूप अपनी प्रक्रिया तथा नियंत्रण को बनाए रखने का लगातार प्रयास करती आ रही है। उत्तम निगमित प्रशासन को लक्षित करते हुए,जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए भी एक सुव्यवस्थित तथा अनुशासनात्मक पहूंच भी बना रही है।

व्यवस्था में पारदर्शिता तथा आंतरिक यंत्रणा को लक्षित करते हुए, मंडल द्वारा गठित अंकेक्षण समिति के देखरेख के अधीन, आंतरिक लेखा परिक्षा समस्त नियंत्रण का कार्य करती है। मंडल की अंकेक्षण समिति सक्रिय तौर पर आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की यथेष्ठता एवं प्रभावशिलता की समीक्षा करती है तथा इसको सशक्त बनाने के लिए सुधार के सुझाव देती है। कंपनी में सर्वांगिण सुधार लाने हेतु विभिन्न विभागों के समीक्षात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार के अनुरूप होती है। तथापि कंपनी हमेशा अपने आतंरित नियंत्रण प्रणाली एवं आंतरिक लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। लेखा परीक्षा में पाये गये उल्लेखनीय निष्कर्षो को कंपनी की अंकेक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा अंकेक्षण समिति के मार्फत मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ड. प्रचालनीक कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चा।

वित्तीय निष्पादन

₹ करोड में

	2010-11	**2009-10**
बिक्री कारोबार	**1139.97**	969.39
कुल आय	**1335.09**	1087.85
कुल खर्च	**422.43**	355.76
श्रवू पडता	**912.66**	732.09
मूल्य ह्रास	**32.51**	25.30
वर्ष का कर पूर्व लाभ	**880.15**	706.79
आयकर प्रावधान	**292.10**	240.44
वर्ष का कर प श्चात लाभ	**588.05**	466.35
सामान्य आरक्षण को स्थानांतरण	**450.00**	357.00
लाभ अग्रेषित	**1.51**	0.58

पिछले वर्ष के 1087.85 करोड रूपये आय; की तुलना में वर्ष के दौरान 23 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1335.09 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के 969.39 की तुलना में कंपनी ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 17.60 प्रतिशत का उच्चतर कारोबार दर्ज करते हुए 1139.96 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ 880.15 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.52 प्रतिशत अधिक है। जबकि पिछले वर्ष के 466.35 करोड़ रुपये कर पश्चात लाभ से 26.10 प्रतिशत बढ़कर 588.05 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष

के दौरान कंपनी की ईबीआयडीटीए मार्जिन 75.52 प्रतिशत से बढ़कर 80.06 प्रतिशत हो गई। अपने व्यवहारकुशल नगद योजना के चलते कंपनी ने 133.93 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 124.20 करोड़ रुपये) ब्याज अर्जित किया।

प्रचालनीक निष्पादन

ईंधन, उपयोगी सामान, मंहगाई इत्यादि की विभिन्न चिंताओं के बावजूद वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी की सकल अर्थव्यवस्था काफी अच्छी रही। कंपनी ने पिछले वर्ष से बेहतर कार्य निष्पादन किया।

उत्पादन समीक्षा

बेहतर उत्पादकता योजना एवं संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कारण कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष विभिन्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के 10.93 लाख टन के उत्पादन का आंकडा सफलता पूर्वक पार किया तथा पिछले वर्ष के तुलना में चालू वर्ष के दौरान 11.50 लाख टन उत्पादन करके 5% की वृद्धि दर्ज दर्ज किया है। कंपनी ने एमओयू का लक्ष्य 11.50 लाख टन प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की।

इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साईड तथा फेरो मैंगनीज के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 80.5% (805 टन) एवं 95% (9081 टन) उत्पादन का कार्य निष्पादन किया। वर्ष के दौरान वार्षिक रखरखाव हेतु ई.एम.डी. संयंत्र 3 माह के लिए बंद रहा। मांग में कमी, माल के कम उठाव तथा उच्च वस्त सूची के कारण ईएमडी का उतपादन घट गया। मुख्यतः बाजार की स्थिति खराब रहने के कारण फेरो मैंगनीज का उत्पादन 9555 टन से घट कर 9081 टन हुआ।

कंपनी की उत्पादकता उत्कृष्ट रही, कारण 0.500 टन प्रति मानव पाली के लक्ष्य पर 0.779 टन (पिछले वर्ष का 0.728 टन) प्रति मानव पाली उत्पादकता रही।

कंपनी नियमित आधार पर अनुसंधान तथा विकास पर सक्रिय तौर पर कार्य कर रही है :-

- अंडर ग्राउंड के डेवलपमेंट एवं स्टोपिंग कार्य के लिए लोड हॉल एवं डम्प मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया गया।
- सुरक्षा एवं उत्पादकता में सुधार हेतु स्टोप डिझाइन का इष्टतमीकरण।
- कान्द्री खदान में अंडर ग्राउंड खनन कार्य के लिए हाईड्रोजिओलॉजिकल अध्ययन किया जा रहा है।
- जलद खनन प्रचालन के लिए लेवल अंतराल (वर्तमान 30 मीटर से 45 मीटर) में वृद्धि करना।
- उर्जा बचत हेतु कान्द्री, उकवा एवं गुमगांव खदानों में पीएलसी चलित काम्प्रेशर लगाना तथा बेकार डम्प का पुनः उपयोग का अध्ययन तथा अन्य पर्यावरण संवर्धन उपायों का अन्वेषण।
- भू-गर्भ खदानों के लिए पर्यायी खनन प्रणाली तथा सपोर्ट सिस्टम का विकास।
- ग्रॅविटी मैंगनीटीक तथा हाईड्रो-स्टेटीक ड्रिलिंग मशीन द्वारा जिओफिजकल गवेषण जैसे आधुनिक गवेषण की तकनीक अपनाना।
- ओपन कास्ट खदान में विस्फोट के कारण उडने वाले पत्थर एवं भूकंपन को नियंत्रित करने के लिए अध्ययन जारी है।
- मैंगनीज अयस्क का XRF स्पेट्रोफोटो मीटर के द्वारा सही तथा तीव्र गति से विश्लेषण का कार्य किया गया।
- टोटल स्टेशन का प्रारंभ :- खदान का सही सही सर्वेक्षण के स्तर को बनाये रखने के लिए उच्च गति सर्वेक्षण उपकरण अपनाया गया।

ई. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित श्रम बल का समावेश करते हुए सामग्री विकास।

प. पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकी संवर्धन, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी विनिमय संवर्धन।

फ. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी।

मद ई,प एवं फ में दर्शाए गए विवरण को वर्ष 2010-11 के निदेशक रिपोर्ट में शामिल किया गया है अतः उसे संदर्भित किया जाए।

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

प्रति,
मॉयल लिमिटेड के सदस्य,
मॉयल भवन, 1-ए,काटोल रोड,
नागपुर

भारत सरकार के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किये गए लिस्टींग एग्रीमेंट की धारा 49 में निर्देश किये गए अनुसार मॉयल लिमिटेड (पूर्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा 15 दिसम्बर 2010 (लिस्टींग की तारीख) से 31 मार्च 2011 तक की कालावधि में मॉयल लिमिटेड द्वारा निगमित अधिशासन की शर्तो के अनुपालन की जांच की है।

निगमित अधिशासन की शर्तो का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारे जांच का दायरा, निगमित अधिशासन की शर्तो के अनुपालन के सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा उसके परिपालन तक सीमित थी। यह अंकेक्षण नहीं है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रगट की गई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि लिस्टींग एग्रीमेंट में निर्देशित निगमित अधिशासन के शर्तो का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

हम आगे कहना चाहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भविष्य की अंकुरण क्षमता का आश्वासन नही है और न क्षमता या प्रभावशीलता का, जिससे प्रबंधन द्वारा कंपनी का व्यवहार संचालित किया जाता है।

अमित के.राजकोटीया
कार्यकारी कंपनी सचिव
एफ.सी.एस. 5561
सी.पी.नं. 5162

स्थल : नागपुर,
दिनांक18-5-2011

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन मॉयल लिमिटेड नागपुर के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ :

कंपनी अधिनियम 1956 में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टींग ढाँचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड की वित्तीय विवरणी बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गए सांविधिक अंकेक्षक, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जवाबदार है जो उनकी व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा निर्धारित, अंकेक्षण एवं आश्वासन मानको के अनुकूल स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित हो। यह कहा जाता है कि दिनांक 20 मई 2011 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट देखिए, जो उनके द्वारा किया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम 1956 की विस्तृत धारा 619(3) (ल) के अनुसार मॉयल लिमिटेड का 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का वित्तीय विवरण का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के दस्तावेजो से गुजरे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षको तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जांच तथा कुछ चुनिंदा लेखा पुस्तकों की जांच तक सीमित था। मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या अनुपूरक जोडने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता. /-
(एम.के.बिश्वास)
प्रधान निदेशक
वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षक बोर्ड (III)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जून 2011

शेयर धारकों के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने, मॉयल लिमिटेड,नागपुर के 31 मार्च 2011 के, संलग्न तुलन पत्र की तथा समाप्त होने वाले वर्ष के अनुबद्ध की गई तारीख के लिए लाभ हानि लेखा एवं कंपनी के नकद प्रवाह विवरणी का, भी अंकेक्षण किया है। यह वित्तीय विवरणियां कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस वित्तीय प्रतिवेदन पर राय व्यक्त करना है।

हमने हमारी लेखा परीक्षा, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार सम्पन्न किये। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार से बनाकर लेखा परीक्षा करें कि हमें पर्याप्त विश्वास हो जाए कि वित्तीय विवरणियों में असत्य जानकारी नहीं है। लेखा परीक्षा में जाँच के आधार पर परीक्षण करना, वित्तीय विवरणियों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकट किये गए लेखों के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किये गये लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा उल्लेखनीय आंकलन करना साथ साथ कुल वित्तीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती है।

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप धारा (4 ए) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश 2004 द्वारा संशोधित, जारी कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश 2003, में आवश्यकतानुसार के पैरा 4 एवं 5 में निर्दिष्ट मामलों की विवरणी, अनुलग्न ''अ'' जोड रहे हैं :-
2. उपर्युक्त पैरा 1 के संदर्भ में अनुलग्नक में आगे हमारी टिप्पणियां :-

   लेखाओं के नोटस् (अनुसूची 19) के नोट क्रमांक 2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते है। स्लॅग के स्टॉक के मूल्यांकन एवं स्लॅग के बिक्री की रिकार्डिंग को, अन्य आय से बदलकर बिक्री में दर्ज करने की लेखा करण नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के शुद्ध कर पूर्व लाभ एवं शुद्ध कर पश्चात लाभ घटकर क्रमशः 1030.33 लाख रूपये तथा 688.08 लाख रूपये हो गया। बंद इनवेन्ट्री का शुद्ध मूल्य भी 1030.33 लाख रूपये से घट गया। अन्य आय में घटी के अनुरूप बिक्री 1622.44 लाख रूपये से बढ गई।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

अ) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया है जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थी।

ब) हमारी राय में हमारे द्वारा किताबों की जॉच करने पर यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के आवश्यकता अनुसार लेखा पुस्तकें रखी गई है।

क) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाही विवरण इस कंपनी के लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

ख) हमारी राय में इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाही विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 सी) में निर्दिष्ट लेखांकरण मानकों की अनुपालन करते है।

ग) कंपनी ने हमें सूचित किया है कि कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गए अधिसूचना क्रं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

घ) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 (अ) के अंतर्गत देय उप कर का भुगतान नहीं किया है न ही उसका प्रावधान किया है। सरकार द्वारा भुगतान पद्धति की अधिसूचना जारी होने तक यह लंबित है।

ङ) हमारे मतानुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा जैसे स्पष्टीकरण हमें दिया गया, कथित लेखा तथा उसके साथ की टिप्पणियां एवं लेखा नीति विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आवश्यक जानकारियां प्रदान करती है तथा साधारणतया भारत में मान्य लेखा सिद्धांत के अनुरूप सत्य एवं साफ दृष्टि प्रदान करती है।

   i) 31 मार्च 2011 को, कंपनी की व्यवहार स्थिति के तुलन पत्र के मामले में :
   ii) वर्ष समाप्ति की तिथि पर कंपनी के लाभ का, लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, तथा
   iii) वर्ष समाप्ति की उस तिथि पर, नकद प्रवाह के, नकद प्रवाह विवरणी के मामले में।

कृते **शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफआरएन नं. 109513 W

(सीए पी.एम.श्रावक)
भागीदार
सदस्यता क्रं. 109237

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20.5.2011

लेखा अंकेक्षक के प्रतिवेदन का परिशिष्ट- अ

वर्ष 2010-2011 हेतु मॉयल लिमिटेड के लेखा पर समान तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में

1) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी सम्पत्ति की स्थिति एवं उसका मात्रात्मक ब्यौरा के साथ पूरा विवरण दर्शाया गया है।

   वर्ष के दौरान प्रबंधन ने स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा जांच में कोई सामग्री की गडबडी नहीं पाई गई। हमारी राय में कंपनी के आकार तथा सम्पत्तियों के प्रकार को देखते हुए स्थायी सम्पत्तियों की वर्ष के अंत में जांच उचित रही।

   वर्ष के दौरान निपटान की गई स्थायी सम्पत्तियां बहुत अधिक नहीं थी,जिसके चलते उसका कंपनी की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पडा।

2) जैसा कि हमें बताया गया, मैंगनीज अयस्क, फैरो मैंगनीज, ईएमडी भंडार तथा कल पुर्जो के स्कंध का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल में किया गया।

   हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वस्तु सूची के सत्यापन की प्रक्रिया उचित एवं पर्याप्त थी।

   हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा तथा भौतिक सत्यापन के दौरान अभिलेख पुस्तकों एवं भौतिक स्कंध के बीच जो अंतर मिला वह वस्तुगत नहीं था उसे लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से दर्ज किया गया।

3) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण,सुरक्षित व असुरक्षित रूप में न तो लिया या दिया जिनका ब्यौरा रखना कंपनी विधि, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के प्रकार को देखते हुए स्कंध,स्थायी सम्पत्तियों की खरीदी तथा माल की बिक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई गई। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख कमियां नहीं पाई गई।

5) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है।

6) कंपनी ने आम जनता से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-A तथा 58-AA के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते है।

7) कंपनी में आंतरिक लेखा प्रणाली विद्यमान है किन्तु हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कंपनी की आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

8) केन्द्र सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत अभिलेख रखना निर्धारित नहीं किया है।

9) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, कंपनी, सामान्यतः भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उपकर जैसे अविवादित वैधानिक देय तथा अन्य वैधानिक देयों को उचित प्राधिकरणों को चुकाने के मामले में, वर्ष के दौरान नियमित रही।

   कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 (ए) के अनुसार देय उपकर का केन्द्रीय सरकार द्वारा

   आज तारीख तक निर्धारण नहीं किया गया है अतः नियमितता या उक्त राशि जमा करने बाबत कोई टिप्पणी करने की स्थिति में हम नहीं है।

   विवादास्पद आयकर, बिक्री कर, संपति कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, आबकारी कर, उप कर देना बाकी नहीं है।

10) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का कोई भी जमा घाटा नहीं है, न ही वित्तीय वर्ष में कोई नगद घाटा हुआ और न ही इस वित्त वर्ष के पूर्व वर्ष में।

11) कंपनी ने न तो किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से ऋण लिया और न ही ऋण पत्र जारी किया।

12) कंपनी ने शेअर के बंधक, ऋण पत्र एवं अन्य जमानत के द्वारा जमानति के आधार पर ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं किया है।

13) कंपनी कोई चिट फण्ड, निधि, म्युचअल बेनिफिट फण्ड या सोसायटी नहीं है अतः आदेश का उपबंध 4(xiii) लागू नहीं होता है।

14) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, अंशों, सिक्यूरिटी, ऋण पत्रों तथा अन्य निवेश कारोबार या सौदे में लिप्त नहीं है। तद्नुसार आदेश की धारा 4(xiv) लागू नहीं होती है।

15) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।

16) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है।

17) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने अल्प अवधि के आधार पर कोई निधि प्राप्त नहीं की है। सभी सम्पत्तियां अंशधारकों के निधि द्वारा निधिबद्ध की गई है।

18) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी या ऐसी कंपनी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण अंशों का आबंटन नहीं किया तथा जिनका रजिस्टर रखना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 की सीमा में आता है।

19) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार का ऋण पत्र जारी नहीं किया।

20) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इशू के द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया है।

21) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी में अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार के धोखाधडी का मामला ध्यान में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है।

कृते **शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफआरएन नं. 109513 W

(सीए पी.एम.श्रावक)
भागीदार
सदस्यता क्रं. 109237

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20.5.2011

31 मार्च 2011 की स्थितिनुसार तुलन पत्र

₹ लाख में

विवरण	अनुसूची	31.3.2011 ₹	₹	31.3.2010 ₹	₹
अ निधी का स्त्रोत					
1 अंशधारियों की निधी					
(अ) शेयर पूंजी	1	**16800.00**		16800.00	
(ब) आरक्षित तथा अधिशेष	2	**196029.49**		150937.10	
			212829.49		167737.10
2 विलंबित कर देयता			**149.83**		1283.31
			212979.32		169020.41
ब) निधीयों का उपयोगः					
1 स्थायी संपतियां	3				
(अ) सकल खण्ड		**39646.13**		35702.66	
(ब) (-) मूल्य ह्रास		**19048.12**		16048.61	
(क) शुद्ध खण्ड		**20598.01**		19654.05	
(ड) (-)पूंजीगत चालू निर्माणकार्य		**2878.78**		2217.76	
			23476.79		21871.81
2 निवेश	4		**221.28**		21.28
3 चालू परिसम्पतियां	5				
(अ) चालू परिसम्पतियां					
(i) वस्तु सूचियां		**9742.97**		4753.94	
(ii) विविध लेनदार		**6795.89**		8574.47	
(iii) नगद एवं बैंक में शेष जमा		**187965.17**		148709.79	
(iv) अन्य चालू परिसम्पतियां		**7631.64**		5977.81	
		212135.67		168016.01	
ब) कर्जे और अग्रिम राशियां	6	**8284.41**		6262.84	
		220420.08		174278.85	
कम करें:					
चालू देयताएं तथा प्रावधान					
(अ) चालू देयताए	7	**15436.66**		14586.53	
(ब) प्रावधान	8	**15702.17**		12565.00	
		31138.83		27151.53	
शुद्ध चालू परिसम्पतियां			**189281.25**		147127.32
			212979.32		169020.41

अनुसूची क्रं. 1 से 20 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है

सम तिथि के हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन नं. 109513W

सीए पी.एम.श्रावक
भागीदार (एम.एन. 109237)

नीरज दत्त पाण्डेय
कंपनी सचिव

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के.जी.कविश्वर
व. उप महा प्रबंधक (वित्त)

के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 मई 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

₹ लाख में

विवरण	अनुसूची	2010 -11 वर्ष के लिए ₹	₹	2009 -10 वर्ष के लिए ₹	₹
अ आय					
(अ) कुल बिक्री	9	**114531.23**		97232.72	
(-) उत्पाद शुल्क		**534.39**		293.26	
शुद्ध बिक्री			**113996.84**		96939.46
(ब) अन्य आय	10		**14527.56**		12992.22
(क) रिटन बॅक का प्रावधान	11		**21.86**		5.79
(ड) भंडार में बढत/घटत	12		**4963.13**		-1152.22
कुल आयः			**133509.39**		108785.25
कम करें:					
ब खर्च					
(अ) अयस्कउत्खनन/ प्रचालन खर्च	13	**27996.93**		25232.67	
(ब) विर्निमाण एवं विद्युत निर्माण खर्च	14	**5219.79**		3718.52	
(क) प्रशासकीय एवं बिक्री का खर्च	15	**8493.72**		6152.25	
(ड) अनुसंधान एवं विकास खर्च	16	**343.04**		287.71	
(इ) बट्टे खाते में डालना एवं प्रावधान	17	**102.21**		92.68	
(फ) जंगल भूमि विविधिकरण खर्च		**87.35**		92.15	
कुल खर्च			**42243.04**		35575.98
मूल्य ह्रास तथा ब्याज से पहले का सकल पडता			**91266.35**		73209.27
कम करें: मूल्य ह्रास			**3251.17**		2529.86
कराधान पूर्व लाभ			**88015.18**		70679.41
कम करें:					
कर प्रावधान					
(अ) आयकर के लिए प्रावधान -					
(i) चालू वर्ष के लिए		**30338.67**		24460.35	
(ii) पिछले वर्षो के लिए		**4.41**		161.41	
		30343.08		24621.76	
(ब) फ्रिन्ज बेनीफिट टॅक्स के लिए प्रावधान		**0.00**		-10.15	
(क) वर्ष के लिए विलम्बित कर देयता (-)संपत्ति		**-1133.48**		-566.91	
			29209.60		24044.70
कराधानपश्चात लाभ			**58805.58**		46634.71
पिछले वर्ष का शेष लाभ			**58.31**		58.43
(द्द) अनु. एवं वि.आरक्षण से स्थानांतर			**0.00**		50.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ			**58863.89**		46743.14

₹ लाख में

विवरण	अनुसूची	2010 -11 वर्ष के लिए ₹	₹	2009 -10 वर्ष के लिए ₹	₹
क विनियोजन					
(अ) प्रस्ताविक अंतिम लाभांश @ 45% (34%)		**7560.00**		5712.00	
अंतरिम लाभांश @ 25% (22%)		**4200.00**		3696.00	
			11760.00		9408.00
(ब) सरचार्ज /उपकर को शामिल करते अंतिम लाभांश पर कर		**1255.62**		948.69	
सरचार्ज /उपकर को शामिल करते अंतरिम लाभांश पर कर		**697.57**		628.14	
			1953.19		1576.83
(क) सामान्य आरक्षिति को स्थानांतरित			**45000.00**		35700.00
(ड) अग्रेनित शेष			**150.70**		58.31
योगः			**58863.89**		46743.14
प्रति शेअर पर आय					
(अ) कर पश्चात शुद्ध लाभ			**58805.58**		46634.71
(ब) प्रति 10 ₹ शेयर की संख्या			**168000000**		168000000
(क) प्रति 10 ₹ शेयर पर आय (प्राथमिक एवं अनुपात ह्रास)			**35.00**		27.76

अनुसूची क्रं. 1 से 20 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है

सम तिथि के हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते शाह बहेती चाण्डक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन नं. 109513W

सीए पी.एम.श्रावक
भागीदार (एम.एन. 109237)

नीरज दत्त पाण्डेय
कंपनी सचिव

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के.जी.कविश्वर
व. उप महा प्रबंधक (वित्त)

के.जे.सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 मई 2011

31 मार्च 2011 के तुलन पत्र की अनुसूची

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को ₹	₹	31 मार्च 2010 को ₹	₹
अनुसूची 1 - शेयर पूंजी				
अधिकृत				
इक्वीटी शेयर : संख्या		**250000000**		250000000
प्रत्यक्ष मूल्य		**10**		10
राशि		**25000.00**		25000.00
निर्गमित, अंशदानित एवं प्रदत्त				
इक्वीटी शेयर : संख्या		**168000000**		168000000
प्रत्यक्ष मूल्य		**10**		10
राशि		**16800.00**		16800.00
आरक्षण के पूंजीकरण के द्वारा जारी किये गए बोनस शेअर का विवरण				

वित्तीय वर्ष	शेअरों की सं.	पूंजीकृत आरक्षण	
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि
		₹ - लाख	₹ - लाख
2006-07 #	1267486	1267.49	0.00
2009-10 #	140000000	13993.39	6.61

वर्ष 2009-10 में शेअर के 100/- रूपये प्रत्यक्ष मूल्य को रूपये 10/- प्रत्यक्ष शेअर मूल्य में विभाजित किया गया है।

अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
आरक्षित पूंजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		6.61	
(-) बोनस शेअर के द्वारा पूंजीकृत	**0.00**		6.61	
		0.00		0.00
अनु. एवं वि. पर आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		50.00	
(-) लाभ हानि लेखा को स्थानांतरित	**0.00**		50.00	
		0.00		0.00
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**150878.79**		129172.18	
(-) बोनस शेअर जारी करके पूंजीकरण	**0.00**		13993.39	
(+) लाभ हानि लेखा से स्थानांतर	**45000.00**		35700.00	
		195878.79		150878.79
लाभ हानि लेखा				
लाभ का शेष		**150.70**		58.31
कुल		**196029.49**		150937.10

31 मार्च 2011 को तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची 3 - स्थायी संपत्ति

₹ लाख में

क्र.	संपति का ब्यौरा	सकल परिसम्पति				मूल्य ह्रास				शुद्ध परिसंपत्ति	
		31.03.2010 के अनुसार	परिवर्धन	कटौती के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार	वर्ष के अनुसार	कटौती के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	भूमि	982.41	33.83		**1016.24**	0.00			**0.00**	**1016.24**	982.41
2	पट्टाधारी भूमि	1394.35	972.36		**2366.71**	563.64	486.76		**1050.40**	**1316.31**	830.71
3	भूमि एवं इमारत	6782.78	294.25	15.46	**7061.57**	1586.54	275.31	13.53	**1848.32**	**5213.25**	5196.24
4	डाटा प्रोसेसिंग मशीनरी	186.49	38.88	7.51	**217.86**	138.46	32.44	7.11	**163.79**	**54.07**	48.03
5	संयंत्र एवं मशीनरी	15565.38	2603.57	197.92	**17971.03**	10509.41	1355.78	183.34	**11681.85**	**6289.18**	5055.97
6	विंड टरबाईन जनरेटर	9701.74			**9701.74**	2460.98	1003.16		**3464.14**	**6237.60**	7240.76
7	रेल्वे साइडिंग	38.18			**38.18**	18.99	2.66		**21.65**	**16.53**	19.19
8	फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण	477.39	124.19	7.76	**593.82**	355.35	32.99	6.59	**381.75**	**212.07**	122.04
9	वाहन	573.94	152.02	46.98	**678.98**	415.24	62.07	41.09	**436.22**	**242.76**	158.70
	कुल योग	35702.66	4219.10	275.63	**39646.13**	16048.61	3251.17	251.66	**19048.12**	**20598.01**	19654.05
10	चालू पूंजीगत कार्य									**2878.78**	2217.76
										23476.79	21871.81
11	पिछले वर्ष	34199.97	1632.53	129.84	**35702.66**	13636.30	2529.86	117.55	**16048.61**	**21871.81**	22108.95

1 इमारत में भूमि का समावेश है जहां कहीं भूमि के लिए अलग से भुगतान नहीं माना गया

2 वर्ष के लिए मूल्य ह्रास में पर मूल्य ह्रास शामिल है, वे हैं:-

	2010-11 के लिए	2009-10 के लिए
	₹ - लाख	₹ - लाख
(अ) निर्माण विभाग की परिसम्पति	**72.56**	69.10
(ब) उर्जा निर्माण की परिसम्पति	**1006.71**	1006.71

31मार्च 2011 के तुलनपत्र की अनुसूची

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को ₹	31 मार्च 2011 को ₹	31 मार्च 2010 को ₹	31 मार्च 2010 को ₹
अनुसूची 4 - विनिवेश (अनकोटेड) लागत पर खदानों के सहकारी दूकानों /सोसायटीयों का पूरी तरह प्रदत्त शेयर :				
(अ) को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 5 ₹ का 500 (500) शेयर्स	**0.03**		0.03	
(ब) को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 25 ₹ का 1612 (1612) शेयस	**0.40**		0.40	
(क) को-आपरेटिव स्टोर (अपंजीकृत) प्रति 10 ₹ का 8556 (8556) शेयर्स	**0.85**		0.85	
		1.28		1.28
संयुक्त उद्यम में विनिवेश (प्रारंभिक अंशदान) :				
(अ) 10/- रूपये प्रत्येकी के 100000 (100000) इक्वीटी शेअर्स सेल-मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.में पूर्णतःनियोजित	**10.00**		10.00	
(ब) 10/- रूपये प्रत्येकी के 100000 (100000) इक्वीटी शेअर्स रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि. में पूर्णतः नियोजित	**10.00**		10.00	
		20.00		20.00
शेअर आबंटन हेतु अग्रिम				
10/- रूपये प्रति शेअर के 2000000 (शून्य) इक्वीटी शेअर सेल-मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.		**200.00**		0.00
		221.28		21.28

31मार्च 2011 के तुलनपत्र की अनुसूची

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को ₹	31 मार्च 2011 को ₹	31 मार्च 2010 को ₹	31 मार्च 2010 को ₹
अनुसूची 5 - चालू परिसम्पतियाँ				
(अ) वस्तु सूचियां (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)				
(i) लागत पर मूल्यांकित कच्चे माल का भंडार		**51.13**		74.58
(ii) लागत पर मूल्यांकित स्टोर एवं स्पेयरों का भंडार	**569.48**		557.28	
(-) अप्रचलित स्टोर सामग्री एवं स्पेअर के बिक्री पर नुकसान का प्रावधान	**3.49**		4.20	
		565.99		553.08
(iii) मार्गस्त माल (स्टाक इन ट्रांजिट) लागत मूल्य		**9.71**		6.01
(iv) लागत पर स्टाक इन ट्रेड या शुद्व वसूली योग्य मूल्य इनमें जो कम है		**9113.58**		4101.18
(v) चालू कार्य		**2.56**		19.09
योग :		**9742.97**		4753.94
(ब) विविध **देन दारियां**				
(i) मान्य वस्तु				
6 माह से अधिक अदत्त ऋण	**0.00**		9.90	
अन्य देनदारियां	**6795.89**		8564.57	
		6795.89		8574.47
(ii) संदिग्ध माने हुए				
छः माह से अधिक प्रलम्बित देनदारियां		**20.87**		42.02
		6816.76		8616.49
(-) संदिग्ध देनदारियों का प्रावधान		**20.87**		42.02
योग		**6795.89**		8574.47
(क) नगद एवं बैंक शेष				
(i) उपलब्ध नगद		**6.79**		6.12
(ii) अनुसूचित बैंकों में शेष				
फिक्स डिपाजिटों में		**186387.04**		146501.67
विशेष लाभांश खाते में लम्बित वारंट का नगदीकरण		**214.77**		0.00
चालू खाते में		**1356.57**		2202.00
		187965.17		148709.79
(ड) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां				
(i) फिक्स एवं अन्य डिपाजिटों पर उपर्जित ब्याज		**7558.25**		5884.12
(ii) विविध प्राप्त होने योग्य राशियां		**73.39**		93.69
योग		**7631.64**		5977.81
कुल योग		**212135.67**		168016.01

31मार्च 2011 के तुलनपत्र की अनुसूची

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को ₹	₹	31 मार्च 2010 को ₹	₹
अनुसूची 6 - कर्ज एवं पेशगियां (उचित समझा गया)				
(अ) सुरक्षित				
कर्मिको को कर्ज		**150.59**		151.48
(ब) असुरक्षित				
(i) कार्मिको को पेशगियां		**143.86**		99.48
(ii) भंडार सामग्री,स्पेयर्स एवं मशीनरी क्रय के लिए पेशगियां	**93.72**		109.30	
(-) संदिग्ध पेशगियों के लिए प्रावधान	**0.57**		0.57	
		93.15		108.73
(iii) ठेकेदार एवं अन्य को पेशगियां		**282.53**		175.82
(iv) प्राप्य दावे	**0.53**		0.53	
(-) संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	**0.53**		0.53	
		0.00		0.00
(v) पूर्वदत्त खर्च		**97.20**		32.61
(vi) रेल्वे, विद्युत मंडल एवं अन्य के पास जमा राशियां प्रदत्त		**428.24**		418.24
(vii) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)		**7088.84**		5276.48
		8284.41		6262.84
अनुसूची 7 - चालू देयताएं				
(अ) विविध लेनदार		**2577.41**		2278.14
(ब) ग्राहक से अग्रिम राशि		**1244.40**		1193.90
(क) पूर्तीकार, ठेकेदार व अन्य से सुरक्षा		**1893.31**		1530.37
(ड) जमा राशियां		**8963.93**		9106.37
(इ) प्रत्याभूति के नगदीकरण के लिए लम्बित दावा न कि गए लाभांश		**214.77**		0.00
(फ) अन्य देयताएं		**542.84**		477.75
		15436.66		14586.53
अनुसूची 8 - प्रावधान				
(अ) इक्वीटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश		**7560.00**		5712.00
(ब) लाभांश पर कर हेतु प्रावधान		**1255.62**		948.69
(क) बकाया छुट्टियों हेतु प्रावधान -				
तुलन पत्र तिथि पर देयता	**3899.15**		3192.48	
(-) एलआईसी के पास जमा निधि	**2852.95**		2717.10	
		1046.20		475.38
(ड) उपदान हेतु प्रावधान		**442.34**		1674.86
(इ) पेंशन फण्ड हेतु प्रावधान		**4920.77**		3354.27
(फ) पूर्णतः खान बंद खर्च हेतु प्रावधान		**477.24**		399.80
		15702.17		12565.00
कुल (चालू देयताएं + प्रावधान)		**31138.83**		27151.53

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की अनुसूचियां

₹ लाख में

विवरण		31 मार्च 2011 को ₹	₹	31 मार्च 2010 को ₹	₹
अनुसूची 9 - बिक्री					
(अ) खनन उत्पाद की बिक्री			**106924.99**		91009.40
(ब) निर्मित उत्पाद की बिक्री			**6773.75**		5292.09
(क) बिक्री			**832.49**		931.23
(ड) एमपीईबी को विद्युत की बिक्री			**114531.23**		97232.72
कम करें - निर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क			**534.39**		293.26
शुद्ध बिक्री			**113996.84**		96939.46
अनुसूची 10 - अन्य आय					
(अ) प्राप्त ब्याज			**13393.42**		12420.43
(ब) कर्मचारियों से वसूली			**11.18**		13.74
(क) कबाड की बिक्री			**75.14**		2.75
(ड) इमारतों का किराया			**14.04**		12.77
(इ) बिक्री कर दावा/वापसी			**121.08**		101.20
(एफ)विविध आय			**912.70**		441.33
			14527.56		12992.22
अनुसूची 11 - रिटर्न बॅक का प्रावधान					
(अ) अप्रयुक्त भंडार की बिक्री पर अनुमानित हानि का प्रावधान			**0.71**		0.00
(ब) संदिग्ध कर्जो के लिए प्रावधान			**21.15**		5.79
			21.86		5.79
अनुसूची 12 - भंडार में वृद्धि / ह्रास					
(अ) खनन उत्पाद					
बंद भंडार		**6681.65**		2036.48	
(-) खुला भंडार		**2036.48**		3995.24	
			4645.17		-1958.76
(ब) निर्मित उत्पाद					
बंद भंडार		**2434.49**		2083.78	
(-) खुला भंडार		**2083.78**		1171.86	
			350.71		911.92
	अ		**4995.88**		-1046.84
कम करें:					
निर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क					
बंद भंडार		**227.33**		194.59	
(-) खुला भंडार		**194.58**		89.21	
	ब		**32.75**		105.38
शुद्ध बढत/-घटी (अ - ब)			**4963.13**		-1152.22

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की अनुसूचियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को ₹	₹	31 मार्च 2010 को ₹	₹
अनुसूची 13 - अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च				
(अ) कार्मिक लागत				
वेतन,मजदूरी एवं बोनस	**12899.98**		12388.13	
पी.एफ एवं अन्य निधियों में अंशदान	**4412.93**		4334.00	
कल्याण खर्च	**723.82**		776.06	
		18036.73		17498.19
(ब) ठेकेदारों के द्वारा परिवहन,रेलिंग एवं अन्य कार्य		**4313.64**		3005.25
(क) भंडार सामग्री व स्पेअर्स की खपत		**3309.09**		2816.96
(ड) विद्युत एवं ईधन		**1219.20**		999.43
(ड) मरम्मत तथा अनुरक्षणः				
(i) इमारते	**317.54**		250.14	
(ii) संयंत्र एवं मशीनरा	**943.48**		809.06	
(iii) अन्य	**163.41**		164.06	
		1424.43		1223.26
(एफ) किराया		**26.95**		2.84
(जी) दर तथा कर		**112.89**		101.97
(एच) बीमा		**37.18**		29.70
(आय) विविध खर्च		**359.05**		330.73
		28839.16		26008.33
(-) (-) मैंगनीज अयस्क की लागत जो ई.एम.डी. तथा फैरो संयंत्र को स्थानांतरित किया		**842.23**		775.66
		27996.93		25232.67
अनुसूची 14 - विनिर्माण एवं विद्युत निर्माण खर्च				
(अ) कार्मिक खर्च				
वेतन, मजदूरी बोनस	**301.88**		259.10	
भविष्य निधि तथा अन्य निधि में अंशदान	**84.99**		97.39	
कल्याण खर्च	**12.46**		12.08	
		399.33		368.57
(ब) ठेकेदारों का भुगतान		**195.53**		152.64
(क) कच्चे माल का खपत		**1792.00**		1714.22
(ड) स्टोर एवं स्पेयर की खपत		**50.15**		69.71
(इ) संयंत्र एवं मशिनरी की मरम्मत		**133.29**		66.15
(एफ) बीमा		**4.15**		2.52
(जी) विद्युत एवं ईधन		**2604.82**		1308.78
(एच) विविध खर्च		**40.52**		35.93
		5219.79		3718.52
टिप्पणी				
1 अयस्क निकालने के लिए परिसम्पपति का मरम्मत एवं रखरखाव का खर्च शामिल -				
(अ) वेतन एवं मजदूरी		**754.13**		649.88
(ब) स्टोर एवं कलपुर्जे		**83.65**		105.99

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की अनुसूचियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 15 - प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च				
अ प्रशासनिक खर्च				
(अ) कार्मिक लागत				
वेतन,मजदूरी एवं बोनस	**1416.24**		976.97	
पी.एफ एवं अन्य निधियों में अंशदान	**268.31**		392.70	
कल्याण खर्च	**84.21**		76.80	
		1768.76		1446.47
(ब) विद्युत एवं ईधन		**58.60**		50.92
(क) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
(i) इमारते	**103.94**		71.68	
(ii) संयंत्र एवं मशीनरी	**4.30**		7.23	
(iii) अन्य	**14.03**		19.63	
		122.27		98.54
(ड) किराया		**0.00**		0.90
(इ) दर तथा कर		**13.42**		127.93
(एफ)बीमा		**42.20**		18.02
(जी)आडिटर का पारिश्रमिक		**10.74**		3.83
(एच)निदेशक की बैठक शुल्क		**4.20**		2.54
(आय)विज्ञापन		**820.54**		79.82
(जे) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च		**575.39**		156.97
(के) विविध खर्च		**540.39**		340.94
(एल)आयकर पर ब्याज		**0.00**		144.31
		3956.51		2471.19
ब बिक्री खर्च				
(अ) रायल्टी एवं उपकर		**4349.81**		3469.42
(ब) बिक्री पर नगद छूट		**95.98**		100.57
(क) आरबीटेशन अवार्ड पर क्षतिपूर्ति		**0.00**		2.63
(ड) ई -आक्शन पर सेवा प्रभार		**77.15**		87.93
(इ) सॅम्पलिंग खर्च		**14.27**		20.51
		4537.21		3681.06
सकल योग		**8493.72**		6152.25
अनुसूची 16 - अनुसंधान एवं विकास खर्च				
(अ) खदानों पर गवेषण हेतु ड्रिलिंग		**282.45**		248.97
(ब) ब्लास्टींग / राक मैकेनिकस एवं स्टोप डिजायनिंग अध्ययन ई.		**60.59**		38.74
		343.04		287.71
अनुसूची 17- बट्टा खाता एवं प्रावधान				
(अ) रद्द परिसम्पति बट्टे खाते में डालना		**23.97**		12.29
(ब) भंडार एवं सामग्री की कमी बट्टे खाते में डालना		**0.80**		1.26
(क) अप्राप्य कर्जे बट्टे खाते में डालना		**0.00**		5.79
(ड) पुरानी अग्रिम राशियों को बट्टे खाते में डालना		**0.00**		0.08
(इ) अंतिम रूप से खदान बंद करने के खर्च का प्रावधान		**77.44**		73.26
		102.21		92.68

अनुसूची - 18

लेखाकरण नीतियाँ

1. स्थायी परिसम्पत्ति का लेखाकरण

क) स्थायी परिसम्पत्ति का मुल्यांकन

स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्य उसकी मूल लागत पर रखा गया है !

ख) मुल्य ह्रास

यह कम्पनी, कंपनी अधिनियम की अनुसूची ॒र्ळी में निर्धारित किये अनुसार 5000/- रूपये तक मुल्य के स्थायी परिसम्मत्ति पर 100 प्रतिशत मुल्य-ह्रास लगाती है।(1) विंड टरवाईन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाईन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसम्मपत्ति पर रिर्टन डाउन वेल्यू प्रणाली, प्रो रेटा आधार पर समय समय पर अनुसूचि ॒र्ळी में किये गए संशोधन के अनुसार निर्धारित किये गये दर से की जाती है। यद्यपि पुरे माह के मुल्य ह्रास की गणना तब से की जाती है जब उस माह के जिस किसी भी दिन से किसी परिसम्पति का उपयोग किया जाता हैः

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए, पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

ग) परिसम्पत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई / हटाई गई सभी परिसम्पतियां उसका स्क्रेप मुल्य शुन्य मानकर बट्टे खाते में डाली जाती है। यदि जब ऐसे स्क्रेप परिसम्पत्तियों का आंशिक या पुरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसुल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानी लेखा में जमा की जाती है!

ख) निर्माण कार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्प को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किये जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किये जाने वाले सभी खर्च जो सीधे पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नामें डाले जाते हैं।

ड.) निर्माण कार्य अवधि के दौरान ब्याज

निर्माण काल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसम्पति से संबंधित कर्जे; (कर्जे पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) का ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

2. निवेश :

दीर्घकालिन शेअरों में निवेश, लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी स्वभाव की न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता हैं।

3. बंद भंडार का मूल्यांकनः

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मुल्यांकन किया जाता हैः

अ) तैयार माल

(i) सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाईन्स,हच डस्ट एवं एचाआयएमएस रिजेक्टस छोडकर):- खानों पर लागत के आधार पर, जिसमें खदान परिसम्पति पर मुल्य ह्रास या शुद्व वसुली योग्य मूल्य इसमें जो कम है, शामिल है!

(ii) मैंगनीज अयस्क फाईन्स, हच डस्ट एवं एचआईएमएस रीजेक्टसः जिगींग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या शुद्व बिक्रीयोग्य मुल्य पर, इसमें जो भी कम है आबंटन किया जाता है।

(iii) बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्कः बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्व वसुलीयोग्य मुल्य इसमें जो कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमुना परिक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है!

प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकी भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार की कुल किताबी भंडार से तुलना करने पर अधिक पाई नहीं जाती ! जब भी वास्तविक तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेल्वे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक पारेषण अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है !

(iv) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साईड (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिस की निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित युनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा किया जाता है): संयंत्र का मूल्य ह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेश करते हुए चालू वर्ष का उत्पादन।

(v) अ) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज का 31मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है :- चालू वर्ष के उत्पादन लागत जिसमें फैरो मैंगनीज संयत्र का मुल्य ह्रास (स्लेग की वसुली योग्य मुल्य,) इसमें जो कम हो।

ब) प्रक्रियागत भंडारः- प्रक्रिया से गुजरने वाले मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मुल्य नियत नहीं किया जाता है !

क) स्लैग का भंडारः- स्लैग यह फैरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्व द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रेप माना जाता है तथा वसुलीयोग्य कीमत पर मुल्य आंका जाता है।

ब भंडार सामग्री वस्तुसूची :- (सामग्री, कलपुर्जे, टिम्बर, विस्फोक, इंधन एवं ल्युब्रिकंट्स एवं कच्चा माल) :- भारीत औसत पद्वति पर लागत।

(i) सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है ! प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकी भंडार के अंतर की जांच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है!

(ii) फैरो मैंगनीज संयंत्र के मामलों में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोडकर, कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारीत औसत पद्धति के लागत पर किया जाता है! संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मुल्य चालु वर्ष की उत्पादन किमत या शुद्व वसुलीयोग्य मुल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च यदि हो तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है ! प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को ''स्टॉक आफ रॉ. मटेरियल'' के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4. बिक्री

रेल्वे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पश्चात,बिक्री इनवाईस तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

(अ) मैंगनीजअयस्क की बिक्री

(i) गुणवत्ता तथा / या मात्रा में अंतर के बारे में विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पूरक बिल उगाहे जाते हैं। यह विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने वाले वर्ष में उगाहे जाते हैं तथा उसी वर्ष में समायोजित किये जाते हैं।

(ii) बिक्री में रायल्टी की राशि शामिल रहती है।

(ब) ईएमडी/फैरो मैंगनीज /सिलिको मैंगनीज / स्लॅग की बिक्रीः-

ई.एम.डी., फैरो मैंगनीज तथा स्लॅग की बिक्री में, उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर,जो उन पर लागू है,का समावेश है।

(स) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री :

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई ऊर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5. अन्य आय

अ) विविध देनदारों से ब्याज के रूप में आय,भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के एएस-9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है :-

(i) जहां देनदारों से वसुली की बैंक द्वारा क्रेडीट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहां उसके वसुली सुनिश्चित होती है,वहां उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

चालू वर्ष के बाहर, ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।

(ii) जहां देनदारों से वसुली बैंक के मार्फत क्रेडीट पत्र द्वारा पुष्टि नहीं की गई हो, जहां वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहां प्रबंधन के अनुभव के आधार पर, जब कभी वास्तविक वसुली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर माना जाता है !

ब) जमा राशियां एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है !

स) बदले गए घिसे हुए पार्ट / स्क्रेप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है! जब उसक निपटारा किया जाता है,तब वह आय, उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है !

6. केप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फैरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाईन्स/ एचआईएमएस रीजेक्ट्स का मुल्य चालू वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाएं जाने वाले तरीके से फाईन्स/ एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मुल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा ''विनिर्माण खर्च'' के मद में कच्चे माल के खपत के तौर पर मान्य किया जाता है !

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खान/ संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार संबंधित इकाई को चार्ज किया जाता है।

7. बिक्रीकर, आयकर आदि

अ) बिक्री कर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए, उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

ब) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है! छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8. कार्मिकों के लाभ

अ) कर्मचारियों के लघुकालीन लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, लघुकालीक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

ब) नियोजनोत्तर लाभ

(i) परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिन कर्मचारी लाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है। देय राशि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को, बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करते हुए, खर्चे को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालीक लाभ से संबंधित बीमाकिंक प्राप्ति एवं हानि को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

(ii) परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग अलग नीधियों में तय सुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9. वी.आर.एस.खर्च

कंपनी, वी.आर.एस.लिये गये वर्ष के लाभ हानि लेखा में संपूर्ण खर्च को चार्ज करती है।

10. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सबसिडी का लेखाकरण

अ) श्रमिक निवास :- कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है / कर रही है,जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सबसिडी मिल रही है ! चूंकि जिस भूमि पर इन निवासस्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपूर्द की जाती है और यह परिसम्पति (निर्मित निवास स्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है, इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है / सबसिडी प्राप्त होती है,उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है!

ब) कल्याण परिसम्पति:- परिसम्पतियां जैसे स्कूल बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है,के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसम्पति लेखा में डाला जाता है! प्राप्त हुई सबसिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसम्पति के शीर्षक खाते में जमा की जाती है और बाद में मुल्य हास उस वर्ष से परिसम्पति के कम किये मूल्य पर आंका जाता है !

11. कंपनी के दावे

बीमा कंपनी / रेलवे में दाखिल किये दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियां के आधार पर लेखे में लिया जाता है। दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वदत्त खर्च

जहां रूपये 1,00,000/- से ज्यादा प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

13. संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान

पिछले दो वर्षो से अधिक रूके पडे फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। नीजि पार्टियों के नाम पर 3 वर्षो से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जाती है !

14. अनुसंधान एवं विकास खर्च

आर एण्ड डी खर्च उसी वर्ष क॓ लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसम्पति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसम्पति के खर्च के समान ही माना जाता है !

15. खान बंद का खर्च

संबंधित नियम एवं अधिनियम के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए ततपश्चात साल दर साल आधार पर खाते में प्रावधान किया जाता है !

16. वन भूमि का अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्व वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियां तय की जाती है।

17. पूर्वावधि खर्च

पिछले वर्ष (वर्षो के) के मूलभूत कमिशन या ओमिशन की त्रुटियों को पिछले समय के समायोजित खाते में डालकर सुधारित किया जाता है !

18. तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्वपूर्ण घटना का उल्लेखनीय प्रभाव या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा को संयत किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है !

अनुसूची-19

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:

(अ) कर्ज के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के खिलाफ दावे :-

₹ लाख में

	विवरण	31-03-2011	31-03-2010
i)	कार्मिकों द्वारा का वेतन एवं अन्य लाभ के दावे।	**165.00**	40.48
ii)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे सायडिंग से संबंधित किराये के एरियर्स के भुगतान के दावे	**109.68**	109.68
iii)	ठेकेदारों द्वारा संविदा उत्तरदायित्वपूर्ण न करने के लिए।	**26.42**	26.42
iv)	तिरोडी खान पर अयस्क उत्पादन पर ट्रांझिट फी भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा किये गए दावे।	**79.45**	72.28
v)	पंचाट अवार्ड पर ब्याज	**216.17**	100.65
vi)	कर्मचारियों का प्रोफेशनल टॅक्स	**8.83**	0.00

(ब) निर्धारण वर्ष 2008-09 तक आय कर का निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है। विवादित मामलों के विरूद्ध विभाग द्वारा जो आयकर का भुगतान किया गया / वापस प्राप्त हुआ उसे कर्ज तथा अग्रिम के अधीन दर्शाया गया है ! विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के अपील के अंतिम निपटारे पर ही इन विवादित अग्रिम को समायोजित किया जाता है ! विभाग द्वारा की गई मांगों,जिस पर कम्पनी ने विवाद उपस्थित किया है, तथा जिन मांगों पर कंपनी ने भुगतान किया है, नीचे दर्शाये अनुसार है :-

₹ लाख में

निर्धारण वर्ष	विवादित मांग	भुगतान की गई रकम	31.3.11 को बकाया	के पास लंबित
2005-06	350.27	350.27	शून्य	आय कर आयुक्त(अपील)
2007-08	747.83	747.83	शून्य	
2008-09	127.26	127.26	शून्य	
2006-07	16.30	16.30	शून्य	आय कर अपलेट ट्राब्यूनल

कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर पहले से ही किये गए प्रावधान से अधिक वित्तीय भार नहीं आयेगा !

(क) कम्पनी ने प्रोगेसिव माइन क्लोझर प्लान के संबंध में 186.04 (181.67) लाख रूपये का बैंक ग्यारन्टी द्वारा वित्तीय आश्वासन आय.बी. एम.को दिया है ! इस बैंक ग्यारंटी के सम राशि की फिक्स डिपाझिट राशि बैंक /सरकारी विभाग द्वारा धारित है।

(ड) पूंजीगत खातों में क्रियान्वित न होने के कारण ठेके की अनुमानित राशि बकाया है तथा प्रावधान नहीं की गई 7908.48 (904.01) लाख रूपये थी। इस प्रकार कि संविधाओं के लिए अग्रिम राशि रूपये शून्य (शून्य) है।

(2) **लेखाकरण नीति में परिवर्तन :**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने फेरो मैंगनीज स्लॅग जिसे कबाड माना जाता था के मूल्यांकन के संबंध में अपनी लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। फेरो मैंगनीज स्लॅग के स्टॉक का इसके पूर्व मूल्यांकन नहीं किया जाता था अब शुद्ध वसूली कीमत पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परिवर्तन से तैयार उत्पाद अर्थात फेरो मैंगनीज के उत्पादन लागत पर प्रभाव हुआ। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप फेरो मैंगनीज की वस्तु सूची में 1107.40 लाख रूपये की कमी आई एवं

फेरो मैंगनीज स्लॅग के वस्तु सूची में 77.07 लाख रूपये की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के कर पूर्व लाभ में 1030.33 लाख रूपये की कमी आई एवं कर पश्चात लाभ 688.08 लाख रूपये से कम हुआ। स्लॅग की बिक्री से होने वाली आय जो इसके पूर्व अन्य आय में शामिल की जाती थी अब उसे बिक्री खाते में शामिल किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष की बिक्री 1622.44 लाख रूपये से बढ गई तथा उतनी ही राशि अन्य आय खाते से कम हो गई।

(3) कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सडक विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिग्रहित किया गया। इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी एक लेखी याचिका कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय, नागपुर में दायर की गई है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया !

(4) अ) वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है।

ब) भार - मात्रा अनुपात आधार पर मैंगनीज अयस्क का उत्पादन एवं वस्तू सूची प्राप्त की जाती है।

क) संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादन / तकनीकी विभाग द्वारा भार परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है !

ड) 11.39 (11.15लाख रूपये) लाख रूपये मुल्य का 249 (292) टन मैंगनीज अयस्क का स्कंध 31.3.2011 को फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पडा है वह कच्चे माल के स्कंध में शामिल है।

(5) विविध देनदार (ऋण को) तथा विविध लेनदारों (धनको) के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गये है। प्राप्त पुष्टीकरणों का,कंपनी शेष राशियों का सत्यापन एवं तालमेल की प्रक्रिया कर रही है !

(6) कार्मिकों के संबंध में दी गई सुरक्षित ऋण का प्रलेखन, कुछ मामलों में लंबित है !

(7) ऋण एवं पेशगियां (अनुसूची- 6) शामिल है :-

₹ लाख में

विवरण		**31.3.2011**	**31.3.2010**
अ	अधिकारियों को अग्रिम राशि वर्ष के दौरान व्यक्तिशः अधिकारियों पर अधिकतम बकाया	21.02	2.97
ब	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को अग्रिम राशि वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	6 .71	1.88
क	विद्युत मण्डल के पास जमा ब्याज	339.86	327.42

(8) संविदा उत्तरदायित्व को पूरा न करने के कारण ग्राहकों के ईएमडी 358.48 (400.06) लाख रूपये फोरफिट की गई। अन्य आय के विविध आय अनुसूची 10 में शामिल है तथा पूर्तिकर्ता द्वारा बिजली का कम निर्माण करने के लिए 485.40 (शून्य) लाख रूपये पेनाल्टी के रूप में वसूल किये गए।

(9) अप्रचलित भंडार सामग्री / स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याशित हानी हेतु की गई 3.49 लाख रूपये (4.20 लाख रूपये) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है !

(10) ब्याज एवं किराया से कटौती किया गया आयकर कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया जो 1797.28 (1626.85) लाख रूपये है।

(11) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय शून्य (शून्य) लाख रूपये की राशि, 30 दिनों से अधिक 1.00 लाख रूपये से उपर, विविध लेनदार में शामिल है।

(12) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची- 15) में शामिल है :-

₹ लाख में

	विवरण	**31-03-2011**	31-03-2010
1.	यात्रा खर्च		
	(अ) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	**25.91**	14.05
	(ब) निदेशक	**91.63**	41.72
2.	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
	(अ) लेखा परीक्षा शुल्क		
	सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए	**2.76**	2.76
	पब्लिक इशू से संबंधित लेखा परीक्षा	**5.52**	0.00
	तिमाही लेखा की सीमित समीक्षा	**1.37**	0.00
	पॉकेट खर्च से	**0.17**	0.15
	(ब) अन्य सेवाएं	**0.92**	0.92
		10.74	3.83
3.	विज्ञापन में जन संपर्क एवं प्रचार शामिलि है	**776.63**	38.21

13. **परिभाषित दायित्व** - लेखा मानक 15 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :-

₹ लाख में

I. निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान	उपदान		छुट्टी नगदीकरण	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
वर्ष के प्रारंभ में	8640.93	6790.87	3192.48	2564.97
चालू सेवा लागत	513.23	458.93	265.89	212.15
ब्याज लागत	691.28	543.27	255.40	205.20
बीमांकीक(प्राप्ति)/हानि	566.43	1251.08	316.20	255.48
प्रदत्त लाभ	-508.98	-403.22	-130.82	-45.32
वर्ष के अन्त में	9902.89	8640.93	3899.15	3192.48

II. योजना सम्पत्ति का संगत मूल्य का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समार्धों	उपदान		छुट्टी नगदीकरण	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
वर्ष के प्रारंभ में	6966.07	5031.55	2717.10	1400.30
योजना सम्पत्ति की अपेक्षित वापसी	658.29	475.48	256.76	125.33
बीमांकीक(प्राप्ति)/हानि	60.53	101.88	9.91	72.12
नियोक्ता का योगदान	2284.64	1760.38	0.00	1164.67
प्रदत्त लाभ	-508.98	-403.22	-130.82	-45.32
वर्ष के अन्त में	9460.55	6966.07	2852.95	2717.10

III. सम्पत्ति का संगत मूल्य तथा नीधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान	उपदान		छुट्टी नगदीकरण	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
वर्ष के अन्त में योजना सम्पत्ति का संगत मूल्य	9460.55	6966.07	2852.95	2717.10
वर्ष के अन्त में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9902.89	8640.93	3899.15	3192.48
तुलन पत्र में मान्य देयताएं	442.34	1674.86	1046.20	475.38

IV. लाभ हानि लेखा में मान्य खर्चे	उपदान		छुट्टी नगदीकरण	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
चालू सेवा लागत	513.23	458.93	265.89	212.15
ब्याज लागत	691.28	543.27	255.40	205.20
योजना सम्पत्ति की अपेक्षित वापसी	-658.29	-475.48	-256.76	-125.33
बीमांकीक(प्राप्ति)/हानि	505.90	1149.20	306.29	183.36
लाभ हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	1052.12	1675.92	570.82	475.38

V. बीमांकीक पूर्वानुमान	उपदान		छुट्टी नगदीकरण	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
मृत्यु दर तालिका(जीवन बीमा)	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम
छूट दर(प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना सम्पत्ति पर अपेक्षित वापसी(प्रति वर्ष)	9.45%	9.45%	9.45%	8.90%
वेतन वृद्धि दर(प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

14) **संबंधित पार्टीयों के साथ व्यवहार** - लेखा मानक - 18 के अनुसार संबंधित पार्टीयों के साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है !

अ) जिन पार्टियों के साथ व्यवहार किया गया है उन संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

(1)	श्री के.जे.सिंह	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
(2)	श्री एम.ए.व्ही.गौतम	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
(3)	श्री ए.के.मेहरा	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
(4)	श्री जी.पी.कुंदरगी	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
(5)	सेल एवं मॉयल फे रो अलाए प्रा.लि.	संयुक्त उद्यम
(6)	रीनमॉयल फेरो अलाए प्रा.लि.	संयुक्त उद्यम

ब) संबंधित पार्टी के साथ इस वर्ष के दौरान व्यवहार

₹ लाख में

	विवरण	2010-11	2009-10
1	प्रबंधकीय मेहनताना		
	(अ) वेतन एवं भत्ते	**154.82**	92.22
	(ब) भविष्य नीधि में अंशदान	**6.17**	7.28
	(क) वास्तविक/अनुमानित प्रीक्वीजिट का मूल्य	**3.65**	10.73
	(ड) कुल	**164.64**	110.23
2	यात्रा खर्च की प्रतिपूति	**117.54**	55.77
3	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्वीटी शेअर पूंजी में अंशदान	**200.00**	10.00
4	पार्ट टाईम निदेशक का बैठक शुल्क	**4.20**	2.54

15) **विलम्बित कर देनदारी** - लेखा मानक 22 के अनुसार नीचे दर्शाये अनुसार प्रकटीकरण :-

₹ लाख में

क्रं.	विवरण	2010-11/ 31मार्च 2011	2009-10/ 31मार्च 2010
1.	विलम्बित कर देयताएं मूल्य ह्रास से संबंधित	**2619.05**	2993.01
2.	विलम्बित कर परिसम्पत्ति आयकर अधिनियम के तहत अस्वीकृत	**2469.22**	1709.70
3.	तुलन पत्र तिथि पर बंद शेष	**149.83**	1283.31
4.	लाभ-हानि लेखा के लिए विलम्बित कर -देयता में घटी	**1133.48**	566.91

16) **संयुक्त उद्यम** - लेखा मानक 27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाएअनुसार है :-

(अ) संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण :-

संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	विनिगमन का विवरण		मालकियत का प्रारंभिक अनुपात	अंशदान ₹ लाख में
	देश	तारीख		
सेल एवं मॉयल फेरो अलाए प्रा.लिमिटेड	भारत	31.07.2008	50%	210.00
रीन मॉयल फेरो अलाईस प्रा.लिमिटेड	भारत	29.07.2009	50%	10.00

(ब) वित्तीय विवरण :-

₹ लाख में

विवरण	पर स्थिति	
	31.03.2011 (अ-अंकेक्षित)	31.03.2010 (अंकेक्षित)
आकस्मिक दायित्व का कंपनी का अंश	**शून्य**	शून्य
पूंजी प्रतिबद्धता का कंपनी का अंश	**580.05**	शून्य
संयुक्त उद्यम की ओर से दी गई गारंटी	**शून्य**	शून्य
संयुक्त उद्यम कंपनी लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि :-		
(i) सेल एवं मॉयल फेरो अलाय प्रा.लि.		
अंशधारक की निधि	**10.00**	10.00
शेअर विनियोग पैसा आबंटन के लिए लम्बित	**200.00**	शून्य
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	**शून्य**	शून्य
विलम्बित कर दायित्व(शुद्ध)	**शून्य**	शून्य
स्थायी संपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य	**176.66**	29.42
शुद्ध चालू संपत्ति	**32.88**	-19.88
लाभ-हानि लेखा में नामे शेष	**0.46**	0.46
आय	**शून्य**	शून्य
खर्च	**शून्य**	शून्य
(ii) रीनमॉयल फेरो अलाय प्रा.लि.		
अंशधारक की निधि	**10.00**	10.00
सुरक्षित/असुरक्षित कर्ज	**शून्य**	शून्य
विलम्बित कर दायित्व (शुद्ध)	**शून्य**	शून्य
स्थायी संपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य	**55.59**	30.35
शुद्ध चालू संपत्ति	**-45.90**	-20.66
लाभ-हानि लेखा में नामे शेष	**0.31**	0.31
आय	**शून्य**	शून्य
खर्च	**शून्य**	शून्य

17) **प्रावधान** - लेखाकरण मानक 29 के अनुसार विवरणों का प्रगटीकरण निम्नानुसार है :-

₹ लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2010	प्रावधान	रद्द /उपयोगित प्रावधान	**बंद शेष 31.03.2011**
अंतिम खान बंदी का खर्च	399.80 (326.54)	77.44 (73.26)	- -	**477.24** **(399.80)**
बुरे तथा संदिग्ध कर्ज	42.02 (47.81)	- -	21.15 (5.79)	**20.87** **(42.02)**

अंतिम खान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में, अंतिम खान बंदी के समय नगद निर्गम अपेक्षित है।

18) पूंजीगत माल, स्टोर /कलपुर्जे तथा कच्चा सामान का आयात - रूपये शून्य (शून्य) लाख

19) प्रवास एवं विविध खर्चो के लिए विदेशी मुद्रा का खर्च - 59.83 (7.00) लाख रूपये

20) लाभ हानि लेखा की अतिरिक्त जानकारी !

(अ) खपत किया गया प्रमुख कच्चा माल :-

विवरण	**वर्षांत 31-03-2011**		वर्षांत 31-03-2010	
	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में
ई.एम.डी.प्लांट -				
(i) मैंगनीज अयस्क	**3587**	**12.65**	4161	12.42
(ii) सल्फूरिक एसिड	**295**	**19.86**	345	13.20
(iii) सोडिएम कार्बोनेट	**15**	**2.98**	20	4.08
फैरो मैंगनीज प्लांट -				
(i) मैंगनीज अयस्क	**23498**	**829.79**	24680	758.45
(ii) कोक	**5186**	**555.23**	5255	634.81
(iii) कार्बन पेस्ट	**136**	**37.67**	137	36.02

(ब) उत्पादन, बिक्री, खुला तथा बंद भंडार

विवरण	**वर्षांत 31-03-2011**		वर्षांत 31-03-2010	
	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में
अ) उत्पादन /निर्मिती -				
मैंगनीज अयस्क	**1150742**	--	1093363	--
ई.एम.डी.	**805**	--	1150	--
फैरो मैंगनीज	**9081**	--	9555	--
फैरो मैंगनीज स्लॅग	**13515**	--	9640	--
पवन उर्जा (किलोवाट हार्स पावर)	**31039998**	--	33101066	--
ब) बिक्री -				
मैंगनीज अयस्क	**999249**	**106924.99**	1175230	91009.40
ई.एम.डी.	**911**	**620.77**	857	579.60
फैरो मैंगनीज	**6903**	**4530.54**	7479	4026.86
फैरो मैंगनीज स्लॅग	**14339**	**1622.44**	10911	685.63
पवन उर्जा (किलोवाट हार्स पावर)	**22449760**	**832.49**	24055800	931.23
स) खुला भंडार -				
मैंगनीज अयस्क	**66709**	**2036.48**	177443	3995.24
ई.एम.डी.	**696**	**451.93**	403	221.44
फैरो मैंगनीज	**4444**	**1631.85**	2368	950.42
फैरो मैंगनीज स्लॅग	**1600**	--	2871	--
द) बंद भंडार -				
मैंगनीज अयस्क	**191160**	**6681.65**	66709	2036.48
ई.एम.डी.	**590**	**404.52**	696	451.93
फैरो मैंगनीज	**6622**	**1952.89**	4444	1631.85
फैरो मैंगनीज स्लॅग	**776**	**77.08**	1600	--
टिप्पणी :				
उत्पादन के लिए जारी किया गया अयस्क के समायोजन के पश्चात बंद भंडारः-				
ई.एम.डी.	**3587**	--	4161	--
फैरो मैंगनीज	**23455**	--	24706	--
केप्टीव खपत के लिए उपयोग की गई बिजली का समावेश करते हुए बिजली की निर्मिती (केडब्ल्यूएच)	**8590238**	--	9045266	--

विवरण	**वर्षांत 31-03-2011**		वर्षांत 31-03-2010	
	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में	मात्रा मेट्रीक टन में	₹ लाख में
ध) अनुज्ञप्तित एवं स्थापित क्षमता				
ईएमडी	**1000**	--	1000	--
फेरो मैंगनीज	**10000**	--	10000	--
पवन उर्जा(केडब्ल्यूएच)	**40000000**	--	40000000	--
थ) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ईएमडी	**805**	**81%**	1150	115%
फेरो मैंगनीज	**9081**	**91%**	9555	96%
पवन उर्जा (केडब्ल्यूएच)	**31039998**	**78%**	33101066	83%

21) पिछले वर्ष के तत्सम आकडे कोष्टक में दर्शाये गये तथा समीक्षाधीन वर्ष के आंकडों के साथ तुलन योग्य करने हेतु पुनः समूहीत किये गये है।

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य हिस्सा है !

कृते शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए
एफआरएन नं. 109513W

सीए. पी.एम. श्रावक
भागीदार
(एम.नं.109237)

नीरज दत्त पाण्डेय
कम्पनी सचिव

के. जी. कविश्वर
व.उप महा प्रबंधक (वित्त)

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के. जे. सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थानः नागपुर
दिनांक : 20 मई 2011

अनुसूची - 20 : कंपनी अधिनियम के भाग खत के अनुसार, कंपनी के तुलन पत्र का सारांश तथा सामान्य कारोबार की रूपरेखा

	विवरण	ब्योरा
I	**पंजीयन विवरण**	
1	पंजीकरण क्रमांक	012398
2	राज्य कोड	11
3	तुलन पत्र की तिथि	31.03.2011
II	**वर्ष दौरान उभारी गई पुंजी**	
1	पब्लिक इश्यू	शून्य
2	राईट इश्यू	शून्य
3	बोनस इश्यू	शून्य
4	प्रायवेट प्लेसमेंट (नीजिमांग)	शून्य
III	**निधि का संग्रहण एवं नियोजन की स्थिति**	
1	कुल देयताएं	24411815
2	कुल परिसम्पत्ति	24411815
क	**निधि का स्त्रोत**	
1	प्रदत्त पूंजी	1680000
2	आरक्षित एवं अधिशेष निधि	19602949
3	विलंबित कर देयताएं	14983
4	सुरक्षित कर्ज	शून्य
5	असुरक्षित कर्ज	शून्य
ख	**निधि का उपयोग :**	
1	शुद्व स्थायी परिसम्पत्ति	2059801
2	चालू पूंजीगत कार्य	287878
3	निवेश	22128
4	शुद्व चालु परिसम्पत्ति	18928125
IV	**वर्ष में कंपनी का कार्यनिष्पादन :**	
1	टर्न ओवर	11453122
2	शुद्व टर्न ओवर	11399684
3	कुल खर्च	2598166
4	कर पूर्व लाभ	8801518
5	कर पश्चात लाभ	5880558
6	प्रति शेयर पर प्राथमिक एवं हास कमाई (रूपये) -अपर्पीरश्रळीशव	35.00
7	लाभांश दर (%)	70%
V	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पाद /सेवाओं के सामान्य नाम :**	
	उत्पाद का विवरण -	I T C Code
1	मैंगनीज अयस्क 46%	26020001
2	मैंगनीज अयस्क 44% से 46% तक	26020002
3	इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय आक्साईड	28201001
4	फैरो मैंगनीज	72021100
5	पवन उर्जा संयंत्र के द्वारा विद्युत	3601

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य हिस्सा है !

कृते शाह बाहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए (एफआरएन नं. 109513 W)

सीए. पी.एम. श्रावक
भागीदार (एम.नं.109237)

नीरज दत्त पाण्डेय
कम्पनी सचिव

के. जी. कविश्वर
व.उप महा प्रबंधक (वित्त)

स्थानः नागपुर
दिनांक : 20 मई 2011

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के. जे. सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष का का नगद प्रवाही (कैश प्लो) विवरण

₹ लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11 ₹	₹	वित्तीय वर्ष 2009-10 ₹	₹
अ. प्रचालन कार्यविधी से नगद प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध लाभ एवं लाभांश		**88015.18**		70679.41
के हेतु समायोजनः				
(अ) मूल्य ह्रास	**3251.17**		2529.86	
(ब) अनुपयोगी संपत्ति बट्टे खाते में	**23.97**		12.30	
		3275.14		2542.16
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन के पूर्व का प्रचालन लाभ		**91290.32**		73221.57
के लिए समायोजन :				
(अ) वस्तुसूची	**-4989.03**		1082.59	
(ब) विविध देनदार	**1778.58**		-2465.59	
(क) प्राप्य/उपार्जित ब्याज	**-1674.13**		-566.39	
अन्य चालू परिसम्पपत्ति	**20.30**		2.65	
(ड) कर्ज एवं पेशगियां	**-2021.58**		-1979.68	
(ई) चालु देयताएं एवं प्रावधान	**3987.30**		-5891.12	
		-2898.56		-9817.54
प्रचालन के द्वारा प्राप्त नगद		**88391.76**		63404.03
वर्ष के दौरान कर का प्रावधान		**-30343.08**		-24611.61
प्रचालन से नगद राशि उभार		**58048.68**		38792.42
ब. निवेश कार्यविधि से नकद राशि प्रवाह				
(अ) स्थायी परिसम्पत्ति का क्रय	**-4880.12**		-2305.01	
(ब) निवेश की खरीदी /बिक्री	**-200.00**		-10.00	
निवेश कार्यविधि में उपयोग में लाई गई शुद्ध नगद राशि		**-5080.12**		-2315.01
क. वित्त व्यवस्था कार्यविधि से नगद राशि प्रवाहः				
(क) लाभांश (लाभांश वितरण कर को मिलाकर)		**-13713.19**		-10984.83
ड. नगद एवं नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/ (-)घटी		**39255.37**		25492.58
ई. खुली नगदी तथा समतुल्य नगदी		**148709.79**		123217.21
बंद नगदी तथा समतुल्य नगदी		**187965.16**		148709.79
नगद एवं नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/ (-) घटी		**39255.37**		25492.58

अनुसूची 1 से 20 इस वित्तीय विवरण का अविभाज्य अंग है !

कृते शाह बहेती चांडक एण्ड कं.
सनदी लेखाकर के लिए
एफआरएन नं. 109513 W

(सी.ए. पी.एम.श्रावक)
भागीदार (एम.नं.109237)

स्थानः नागपुर
दिनांक : 20 मई 2011

निरज दत्त पाण्डेय
कम्पनी सचिव

एम.ए.व्ही.गौतम
निदेशक (वित्त)

के. जी. कविश्वर
व.उप महा प्रबंधक (वित्त)

के. जे. सिंह
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

व्यवसाय खंड विषयक जानकारी

लेखाकरण मानक अड-17, खंड रिपोर्ट के संबंधमें, कंपनी ने 3 व्यवसायिक खंड मान्य किये है अर्थात खनन, निर्माण एवं बिजली निर्माण।

₹ लाख में

क्र. सं.	विवरण	खनन		निर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	**राजस्व**										
	(अ) बाहरी बिक्री (सकल)	**106924.99**	91009.40	**6773.74**	5292.09	**832.49**	931.23	**0.00**	0.00	**114531.22**	97232.72
	(ब) आंतर खंड बिक्री	**842.23**	775.66	**0.00**	0.00	**421.17**	445.95	**-1263.40**	-1221.61	**0.00**	0.00
	(क) कुल राजस्व	**107767.22**	91785.06	**6773.74**	5292.09	**1253.66**	1377.18	**-1263.40**	-1221.61	**114531.22**	97232.72
2	**परिणाम**										
	(अ) खंड परिणाम	**72072.24**	55416.09	**1268.41**	1930.78	**125.11**	334.53	**0.00**	0.00	**73465.76**	57681.40
	(ब) अन्य आय (राईट बॅक मिलाकर)	**14064.02**	12998.01	**0.00**	0.00	**485.40**	0.00	**0.00**	0.00	**14549.42**	12998.01
	(क) कुल खंडपरिणाम	**86136.26**	68414.10	**1268.41**	1930.78	**610.51**	334.53	**0.00**	0.00	**88015.18**	70679.41
	(ड) कर पूर्व लाभ									**88015.18**	70679.41
	(ल) आयकर हेतु प्रावधान									**30343.08**	24611.61
	(य) विलंबित कर देयताएं									**-1133.48**	-566.91
	(व) कर पश्चात लाभ									**58805.58**	46634.71

क्र. सं.	विवरण	खनन		निर्माण		बिजली निर्माण		अ-आबंटित#		समेकित	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**31.03.2011**	31.03.2010	**31.03.2011**	31.03.2010
3	**अन्य जानकारीः**										
	(अ) खंड परिसपत्ति	**27093.94**	24004.60	**3097.51**	3024.49	**6438.91**	7410.11	**207487.79**	161732.72	**244118.15**	196171.92
	(ब) खंड देयताएं	**5998.62**	4034.05	**319.72**	423.70	**420.54**	787.42	**24549.78**	23189.65	**31288.66**	28434.82
	(क) पूंजीगत खर्च	**4724.69**	2005.38	**72.18**	56.56	**0.00**	0.00	**83.25**	243.07	**4880.12**	2305.01
	(ड) मुल्य ह्रास	**2171.90**	1454.05	**72.56**	69.10	**1006.71**	1006.71	**0.00**	0.00	**3251.17**	2529.86

नोट :- म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पवन टरबाईन जनरेटर द्वारा निर्मित बिजली के बिल में क्रेडीट की गई राशि के द्वारा विद्युत प्रभाव में सकल योगित किया गया है तथा खंड राजस्व पर पहुंचने के लिए उसे डब्ल्यू.टी.जी. पर आतंरित खंड राजस्व माना गया है।

अ-आबंटित पूंजीगत खर्च, निगमित सम्पपति तथा निगमित देयताएं शामिल है।

सामाजिक सुख सुविधाओं का विवरण -खर्च एवं आय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष				जोड	
		वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा#	कल्याण सेवा $	2010-11 के लिए	2009-10 के लिए
		₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	वेतन एवं मजदूरी	4495967	5574350	7253073	23091771	**40415161**	30709839
2	पी.एफ.का अंशदान	446385	668934	782015	2682057	**4579391**	3329508
3	भंडार सामग्री खपत	1745035	1275138	561787	8351263	**11933223**	9011143
4	बिजली	12836596	64333	859593	3619877	**17380399**	16326631
5	दवाई एवं इंजेक्शन	0	0	6659533	0	**6659533**	4751844
6	विविध खर्च	96413	2191685	6952090	41956961	**51197149**	41516534
7	ठेकेदार - इमारत / अन्य मरम्मत	22688704	126355	36234	11444967	**34296260**	24849001
	उप जोड : अ	42309100	9900795	23104325	91146896	**166461116**	130494500
8	मूल्य ह्रास	16836064	2064871	1259976	148409	**20309320**	21076968
9	ब्याज	0	0	0	0	**0**	0
	उप जोड : ब	16836064	2064871	1259976	148409	**20309320**	21076968
10	कुल खर्च (अ + ब) उप जोडः क	59145164	11965666	24364301	91295305	**186770436**	151571468
	कम करें :						
	बिजली से आय	351945	0	0	217019	**568964**	867226
	शाला बस से प्राप्ति	0	245013	0	75560	**320573**	237680
	क्रीडा/चिकित्सा/अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	0	0	0	143675	**143675**	87708
	उप जोड ड	351945	245013	0	436254	**1033212**	1192614
11	शुद्व खर्च (क-ड)	58793219	11720653	24364301	90859051	**185737224**	150378854
	$ सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक	# सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रिया कलापों का समावेश करते हुए					

टिप्पणी

टिप्पणी

माननीय मंत्री, एमओएस, को अंतरिम लाभांश चेक हस्तांतरित करते हुए।

15-12-2010 को एनएसई मुंबई में लिस्टिंग सेरिमनी के अवसर पर घंटाध्वनि करते हुए।

मॉयल लिमिटेड

[पूर्व नाम मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड]

(भारत सरकार का उपक्रम)

मॉयल भवन, 1-ए काटोल रोड,

नागपुर - 440 013

Designed and printed by
Magna Graphics (India) Ltd.